राजस्थान विधान सभा

६ ठी बैठक, बुधवार, दिनांक-३० नवम्बर, सन् १९५५ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में सायं ४-१२ बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—प्रश्न, श्री चांदमल मेहता !

प्रश्न संख्या ४५

ग्राम पंचायत पी (तहसील परबतसर) में पंचायत के चुनाव

श्री चांदमल मेहता—क्या स्वायत शासन मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(क) ग्राम पंचायत पी (तहसील परबतसर) के चुनाव के लिए कौन कौन सी तारीखें मुकर्रर की गई हैं ?

(ख) किन किन तारीखों को चुनाव अधिकारी के नहीं पहुंचने की वजह से चुनाव नहीं हुआ ?

(ग) अन्तिम चुनाव किस तारीख को कराया गया ?

(घ) क्या यह सही है कि चुनाव अधिकारी ने यह घोषणा कर दी थी कि पुलिस का पर्याप्त इन्तजाम नहीं होने से उक्त तिथि को चुनाव नहीं होगा ?

(ङ) क्या यह भी सही है कि उक्त घोषणा के बाद जब किसान लोग चले गये तब चुनाव कराया गया ?

(च) यदि हां, तो क्यों ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब दिनांक २३।११।५५ को क्रम-संख्या २२ में दिया जा चुका है ।

प्रश्न संख्या ४६

श्री अध्यक्ष—श्री गोपालसिंह ।

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

नेक्स्ट, श्री चांदमल मेहता ।

प्रश्न संख्या ४७

किशनगढ़ नगरपालिका के हरिजन कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन

श्री चांदमल मेहता—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि किशनगढ़ नगरपालिका के हरिजन कर्मचारियों को श्रम-विभाग द्वारा न्यूनतम वेतन देने की सरकार को सिफारिश की गई है ?

(ख) क्या यह सही है कि बजट में स्वीकृत वेतन भी हरिजनों को नहीं मिल रहा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—(क) जी हां ।

(ख) बजट में एक लम्प सम प्रोविजन किया गया है । रेट निर्धारित करने के लिए अलग से स्वीकृति की आवश्यकता होती है ।

श्री चांदमल मेहता—श्रम विभाग की सिफारिश पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—उस पर विचार किया जा रहा है ।

श्री चांदमल मेहता—यह सिफारिश कब आई और इस पर क्या विचार किया जा रहा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—विचार यह किया जा रहा है कि कुछ म्युनिसिपैलिटियों के कर्मचारी पार्ट टाइम हैं और कुछ के होल टाइम हैं; तो यह किन पर लागू होगा; यह स्पष्ट नहीं है ।

श्री चांदमल मेहता—कुछ नगरपालिकाओं का सवाल नहीं। यहां किशनगढ़ का जिक्र किया गया है कि किशनगढ़ नगरपालिका के हरिजन कर्मचारियों के बारे में श्रम विभाग ने सिफारिश की, उस पर क्या किया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने कहा कि विचार किया जा रहा है। श्रम विभाग ने सारी म्युनिसिपैलिटियों के बारे में सिफारिश की है, जिसमें किशनगढ़ म्यु० भी शामिल है। जो पार्ट टाइम सर्विसेज़ में हैं और जो परमानेन्ट सर्विसेज़ में हैं उनमें से किस पर लागू होगा ?

श्री चांदमल मेहता—मैंने अन्य नगरपालिकाओं के बारे में प्रश्न नहीं किया, किशनगढ़ नगरपालिका के बारे में प्रश्न किया है जिसके बारे में 'हां' का जवाब दिया गया था। उसी के बारे में पूछना चाहता हूं कि जो श्रम विभाग की तरफ से सिफारिश की गई उस पर क्या किया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने अर्ज किया कि श्रम विभाग की ओर से जो सिफारिश की गई उसमें किशनगढ़ नगरपालिका भी शामिल है और उन्हीं के बारे में मैंने जवाब दिया कि अभी विचार किया जा रहा है कि यह पार्ट टाइम वालों पर एप्लाई करेगा या होल टाइम वालों पर।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि किशनगढ़ नगरपालिका के सम्बन्ध में अलग से श्रम मंत्री ने स्वायत. शासन विभाग को लिखा है कि उसको न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—हम तो सभी म्युनिसिपैलिटियों से कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह दी जानी चाहिये।

श्री चांदमल मेहता—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो किशनगढ़ के बारे में जवाब चाहता हूँ कि श्रममंत्री ने लिखा है तो क्या लिखा है और उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने कह दिया कि अलग नहीं लिखा है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि किशनगढ़ नगरपालिका के हरिजन कर्मचारियों के लिये बजट में न्यूनतम वेतन जितना निर्धारित किया जाना चाहिए उतना होते हुए भी उन्हें नहीं दिया जा रहा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—बजट में वेतन की दर नियत नहीं होती, उसमें लम्प सम प्रोवाइड किया जाता है। रिविजन का है तो उसके लिये गवर्नमेंट की सेंक्शन लेनी पड़ती है।

श्री चांदमल मेहता—मैं रिवीजन का नहीं पूछता, चालू वर्ष का जो बजट स्वीकृत हुआ उसमें प्रत्येक हरिजन के लिए बजट में जो रकम स्वीकृत की गई है वह स्वीकृत रकम नहीं देने की क्या वजह है ?

Page No.4

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—हरएक हरिजन का इसमें नियत नहीं है, हर एक एम्प्लोई की तनख्वाह मुकर्रर है, इसके लिये अलग अलग नियत नहीं होता, लम्प सम प्रोवाइड किया जाता है।

श्री चांदमल मेहता—बजट में यह दर्ज किया जाता है कि इतने हरिजन हैं और इतने रुपये तो उन्हें जो तनख्वाह दी जानी चाहिए वह दिया जाता है, उस बजट को मैंने देखा है। इसलिए पूछता हूँ कि जो स्वीकृति है उससे कम दिये जाने की क्या वजह है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—बजट में जितनी तनख्वाह स्वीकृत है उतनी ही दी जायगी।

श्री चांदमल मेहता—क्या उन्हें, जिनको कि अब तक बजट के माफिक रकम नहीं दी गई है, कम दी गई है उनको अब देने को सरकार तैयार है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने कहा कि जितनी स्वीकृत है उतनी ही दी जाती है ?

श्री चांदमल मेहता—मैं कहता हूँ कि नहीं दी जाती है, इसीलिये पूछता हूँ कि जितनी कम दी गई है क्या वह सरकार देने को तैयार है ?

श्री अध्यक्ष—आपने वह बजट देखा है तो बतलाइये कि कितनी रकम स्वीकृत है और कितनी कम देते हैं। ये तो कहते हैं कि जो स्वीकृत है वही देते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अध्यक्ष महोदय, उनको गलतफहमी हो गई है। बजट में लम्प सम प्रोवाइड है, तनख्वाह का ग्रेड फिक्स है २५=१=३० का।

श्री चांदमल मेहता—क्या किशनगढ़ नगरपालिका के हरिजन कर्मचारियों के लिये लिखा है कि जो न्यूनतम वेतन है वही दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष—यह तो जवाब दे चुके हैं। अब मिल जायगी तनख्वाह पूरी। और कुछ पूछना है ?

प्रश्न संख्या ४८

श्री अध्यक्ष—श्री प्रभुदयाल :

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

नेक्स्ट, श्री चांदमल मेहता।

Page No.5

प्रश्न संख्या ४६

ग्राम फतहगढ़ (त० सरवाड़) के तालाब की नहर का जीर्णोद्धार

श्री चांदमल मेहता—क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) ग्राम फतहगढ़ तहसील सरवाड़ के तालाब विजयसागर की नहर कितने समय से मरम्मत तलब है ?

(ख) उक्त नहर को अब तक तैयार नहीं कराने के क्या कारण हैं ?

श्री रामनिवास मिर्धा—(क) यह तालाब सिंचाई विभाग के आधीन सन् १९५२-१९५३ में आया था और उस समय उसकी नहर मरम्मत तलब थी।

(ख) इस पर कुछ काम हो चुका है। बाकी काम इस साल खत्म करने का प्रयत्न किया जायगा। वर्षा की वजह से शीघ्र समाप्त नहीं हो सका।

चांदमल मेहता—क्या काम किया गया और कब कराया गया ?

श्री रामनिवास मिर्धा—५२-५३ में ३०००० का काम हुआ, सिर्फ ३००० का बाकी है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह ३०००० की रकम इस तालाब की नहर पर खत्म हुई है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—नहर के लिये सिर्फ ३००० की मंजूरी थी।

श्री चांदमल मेहता—सवाल नहर के बारे में पूछा है। नहर के ऊपर कुछ काम कराया जा चुका है, वह कब कराया गया है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—नहर के ऊपर ज्यादा काम होना बाकी है, इस वर्ष इसे समाप्त करने का प्रयत्न किया जायगा।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि विधान सभा में तीन अधिवेशनों में मुतवातिर आश्वासन देने के बावजूद भी वर्षा के पहले इस कार्य को शुरू नहीं कराया गया ?

श्री रामनिवास मिर्धा—इसके बारे में जानकारी नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—किसका अपराध रहा है कि वर्षा के पहले काम नहीं कराया गया ?

श्री रामनिवास मिर्धा—किसी का अपराध नहीं रहा है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या सह विभागीय शिथिलता मानी गई है, जिसके बारे में विधान सभा में इतनी बार आश्वासन दिये जाने पर भी यह काम पूरा नहीं हुआ ?

श्री रामनिवास मिर्धा—विभागीय शिथिलता नहीं है, पहले काम बांध का हो रहा था । नहर का काम होने लगा तो वर्षा हो गई । इस साल वैसे वर्षा ज्यादा हुई ।

श्री चांदमल मेहता—बांध का काम समाप्त होने के बाद कितने समय बाद यह घटना हुई ।

श्री रामनिवास मिर्धा—यह बिल्कुल जुदा प्रश्न है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि बांध का काम समाप्त हुए डेढ़ साल से ज्यादा अर्सा हुआ, इसके पहले तैयार करने के लिए काफी समय था....

श्री रामनिवास मिर्धा—इसके लिये मैं समय चाहता हूँ ।

श्री जवानसिंह—अभी और आश्वासन क्यों नहीं दे दिया जावे ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ५०

वर्तमान वर्ष में किशनगढ़ के तालाब टूटने से क्षति एवं उनका जीर्णोद्धार

श्री चांदमल मेहता—क्या सिंचाई मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) चालू वर्ष में किशनगढ़ सब डिवीजन में कौन २ से ग्राम के तालाब टूट गये ?

(ख) उक्त तालाबों में किस २ पर कितनी कितनी क्षति हुई है ?

(ग) ऐसे कौन २ से तालाब, जिनके खतरनाक होने की सूचना संबंधित अधिकारियों के पास वक्त पर पहुँचने पर भी, उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने से टूटे हैं ?

(घ) किन किन तालाबों की वापिस मरम्मत कराई जा चुकी है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—(क) तीन तालाब टूटे है :—

(१) नया सागर,

(२) गज सागर भेला, और

(३) सूरज सागर।

(ख) इन तीनों तालाबों पर करीब एक हजार रुपयों की क्षति हुई है।

(ग) ऐसा कोई भी तालाब नहीं है।

(घ) तालाब गज सागर भेला और सूरज सागर की तो मरम्मत करवा दी गई है और तालाब नया सागर बिड़ला की मरम्मत करवाई जा रही है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि फतहगढ़ का तालाब नया सागर भी टूट गया था ?

श्री रामनिवास मिर्धा—मेरे पास इन तीनों की जानकारी है।

श्री चांदमल मेहता—क्या जो जानकारी आपको प्राप्त हुई है वह अपूर्ण है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—इसके बारे में जांच की जावेगी।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि बिड़ला का तालाब भी टूट गया था ?

श्री रामनिवास मिर्धा—मैंने बताया कि नया सागर बिड़ला की मरम्मत कराई जा रही है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जब तालाब टूट रहा था उस समय सूचना दी गई कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जावे, मगर कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

श्री रामनिवास मिर्धा—मैं उत्तर दे चुका हूँ कि ऐसी बात नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि माननीय मंत्री महोदय और सुप्रिन्टेडिंग इंजीनियर के पास रजिस्टर्ड सूचना भेजी गई थी ?

श्री रामनिवास मिर्धा—मैं यह कह चुका हूं कि इस तरह का कोई नोटिस या सूचना सिंचाई विभाग के पास नहीं आया।

Page No.8

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस तालाब के टूट जाने के बाद सरकार ने मरम्मत नहीं कराई और गांव वालों ने कराई और सिंचाई विभाग के लोगों की शिकायत की है और अपने पैसे की मांग की है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—सरकार के समक्ष ऐसी कोई मांग नहीं है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मंत्री महोदय इसकी जांच करने के लिए तैयार हैं कि किन किन अधिकारियों की गड़बड़ी से ऐसा हुआ और इसके लिए विशेष अधिकारी मुकर्रर करेंगे ?

श्री रामनिवास मिर्धा—विशेष अधिकारी की जरूरत नहीं है, आप सूचना देंगे तो उसकी जांच कराएंगे ।

श्री चांदमल मेहता—अराई तहसील का तालाब सांक्या भी टूट गया...

श्री रामनिवास मिर्धा—मैंने कहा कि मुझे सिर्फ ३ की जानकारी है ।

श्री चांदमल मेहता—माननीय अध्यक्ष, माननीय मंत्री अपूर्ण जानकारी पर प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, पहिले भी कई बार ऐसा हुआ है । अतः ऐसी हिदायत की जावे कि आयन्दा इस प्रकार अपर्ण जानकारी से उत्तर न दें और पूरी जानकारी प्राप्त करें ।

श्री अध्यक्ष—सभी तालाब एक साथ टूट जावें...

प्रश्न संख्या ५१

श्री गुरुदयाल सिंह संधु

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित–कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

नेक्स्ट, श्री चांदमल मेहता ।

प्रश्न संख्या ५२

पुलिस थानेदारों की स्वीकृत एडवान्स रकम

श्री चांदमल मेहता—क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) एस. आई. पुलिस को कितने रूपये एडवान्स मनी के लिये स्वीकृत हैं ?

[श्री चांदमल मेहता]

(ख) जयपुर जिले में ऐसे कितने एस. आई. हैं जिनकी एडवान्स मनी कम हो जाने या खत्म हो जाने पर भी १ जून, सन् ५५ तक नहीं मिली है ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—(क) राजस्थान में सब इन्सपेक्टर पुलिस को कोई रकम एडवान्स नहीं दी जाती। हां, प्रत्येक थाने को ५० रूपये बतौर इम्प्रेस्ट के एडवान्स किये जाते हैं।

(ख) उपरोक्त उत्तर से यह प्रश्न नहीं उठता क्योंकि सब इन्सपेक्टर को कोई एडवान्स मनी नहीं दिया जाता।

श्री अध्यक्ष—श्री प्रभुदयाल।

(अनुपस्थित)

श्री गुरूदयाल सिंह संधु।

(अनुपस्थित)

श्री जवानसिंह—इन तीनों प्रश्नों के उतर जन-हित में दे दिये जावें तो अच्छा होगा।

एक माननीय सदस्य—'जन-हित' कोई पेपर है क्या ?

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—सभा की कार्यवाही प्रारंभ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री बृजेन्द्रपाल ने विधान सभा की बैठकों से २१ नवम्बर, १९५५ से २ दिसम्बर तक अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिये प्रार्थना की है।

क्या सदन की यह अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने को आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

जन लेखा समिति में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उम्मीदवारों के नाम

श्री अध्यक्ष—मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि राजस्थान विधान सभा की जन लेखा समिति में एक रिक्त स्थान की पूर्ति के हेतु निम्नलिखित उम्मीदवारों के सही नामजदगी के पर्चे आये हैं :

(१) श्री हजारीलाल शर्मा (५६)

(२) श्री संतोषसिंह कछवाहा (१३६)

(३) श्री कुम्भाराम आर्य (८०)

(४) श्री त्रिवेणी श्याम शर्मा (१५४)

(५) श्री रूपनारायण शास्त्री (१३१)

उक्त उम्मीदवारों में से जो अपना नाम वापिस लेना चाहें वे आज ले सकते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—आज अभी ले सकेंगे।

श्री अध्यक्ष—I want to know whether it is desired to extend the date ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अध्यक्ष महोदय, बहुत से सदस्य आज ही बाहर से लौट कर आये हैं इसलिए कल तक का समय रखा जावे।

श्री अध्यक्ष—अभी देख कर तय कर लेते हैं कि इसमें कोई टेक्निकल डिफिकल्टी तो नहीं है।

(विराम)

नेक्स्ट, श्री बृजसुन्दर शर्मा।

अनुपूरक अनुदानों के लिए १९५५-५६ की मांगों का विवरण

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय अध्यक्ष, मैं अनुपूरक अनुदानों के लिए १९५५-५६ की मांगों का प्रथम खंड प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष—ऐसा है कि I have allowed only those cut-motions which relate to the particular heads of the Demands, the rest I have disallowed. So if in opening the speech or putting in the Demand before the House if the Minister puts forth as to what is the subject matter of the Demand, it will be better.

(विराम)

उन नामजदगी के पर्चों को वापिस लेने के लिये कल १२.०० बजे तक के लिये इस समय को बढ़ाया जाता है।

[श्री अध्यक्ष]

(विराम)

yes, Demand No. 63

अनुपूरक मांग संख्या ६३-विविध

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव रखता हूँ कि अनुपूरक अनुदान के लिये मांग संख्या ६३, मेजर हैड ५७-विविध के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित श्रीमान् राजप्रमुख को २,२१,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष—मांग प्रस्तुत की गई।

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, मेरे कट मोशन्स का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष—जो हैं वे तो सर्कुलेट कर दिये गये।

श्री चांदमल मेहता—मैंने सोमवार को ११।। बजे दिये थे, सर्कुलेट हुए नहीं।

श्री अध्यक्ष—जो उनसे सम्बन्धित थे वे तो सर्कुलेट कर दिये गये।

श्री हिम्मतसिंह—दफ्तर से चले गये तो हमारे पास तो पहुँचे नहीं।

श्री अध्यक्ष—दफ्तर से चला जाना ही सर्कुलेट हो जाना माना जाता है !

श्री हिम्मतसिंह—हमारे पास तो आये नहीं।

श्री अध्यक्ष—आपके जो एड्रेसेज़ है, गवर्नमेंट होस्टल....

अनेक माननीय सदस्य--किसी को पता नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष--अभी मिले नहीं है ?

श्री चांदमल मेहता—जी नहीं।

श्री अध्यक्ष—I am sorry.

(विराम)

Page No.12

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तक सर्कुलेशन में आयें उस दरमियान में मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री जी से कि जो उन्होंने डिमान्ड रखी है उसके सम्बन्ध में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दे दें कि किस सम्बन्ध में डिमांड रखी है।

श्री अध्यक्ष—They want some speech.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जो डिमान्ड की सूची के साथ डिटेल्स भेजी है उसमें एक्सप्लेनेटरी नोट्स हैं और उसके अलावा कोई बात हो तो अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर दूं कि जो अर्ज करना हो कर दूं। हर एक हैड्स में क्या क्या आइटम्स हैं, क्या २ एक्सपेन्डीचर है वह सब डिटेल्स में हैं ही।

श्री अध्यक्ष—Nobody cares to go through that statement.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं निवेदन कर दूं।

राज श्री हिम्मतसिंह—अध्यक्ष महोदय, ने फरमाया वह बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष—No explanation is necessary,

राज श्री हिम्मतसिंह—बात दरअसल यह है कि डिमान्ड्स आई हैं....

श्री अध्यक्ष—Not necessary.

राज श्री हिम्मतसिंह—मैं एक्स्प्ले कर दूं।

श्री अध्यक्ष—There is no occasion to give any explanation.

राज श्री हिम्मतसिंह—All right, Sir.

श्री अध्यक्ष—यह मेमोरेन्डम तो सर्कुलेट हो गया ना?

('हां' की आवाज)

श्री हरिकृष्ण व्यास—वह मेमोरेन्डम बहुत इनएडीक्वेट (inadequate) है।

श्री अध्यक्ष—That is a different thing.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं निवेदन कर दूं अध्यक्ष महोदय, इस मेमोरेन्डम को कैसे इनएडीक्वेट बताते हैं।

[श्री ब्रजसुन्दर शर्मा]

(हंसी)

अध्यक्ष महोदय यह ५७ मिस्लेनियस है । चार्ज तो ३३ हजार रुपये हैं। और २,२१ हजार रुपये और मांगे हैं।

श्री अध्यक्ष—६३ से चलते हैं।

श्री हरीकृष्ण व्यास—बजट हैड ५७, डिमांड नं० ६३ ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—The Budget head is 57-Miscellaneous. The Demand is No. 63.

यह ५७ मिस्लेनियस पब्लिसिटी डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता है। यह जो एडीशनल एक्स्पेन्डीचर जिस चीज़ के लिए मांगा है उसमें यह है कि पब्लिसिटी डिपार्टमेंट को पब्लिसिटी वान्स की आवश्यकता पड़ी। गये साल भी थी, लेकिन खर्चा नहीं कर सके। बजट के वक्त मालूम नहीं हुआ। ऐसा था कि साल के अखीर तक यह हो सकेगा। तो बजट के वक्त में कुछ नहीं हुआ और बाद में ये खरीदी गई पब्लिसिटी वान्स और उसके लिए व डिवीजनल ऑफिसेज़ में फर्नीचर का प्रोवीजन किया गया; तो इस तरह से १,१०,००० रुपया पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के लिए रखा गया।

२६ रुपया पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की ओर से एक पत्र निकाला गया है, जिसका नाम है विकास उसके खर्चे के लिए यह सेन्कशन चाही गई है। बाकी जो पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की ओर से पत्र निकलते थे वे सब बन्द कर दिये गये हैं।

१५,३५० रुपया डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् के इलेक्शन्स में खर्च होने के लिए रखे गये हैं। जिनके लिए टोकन ग्रान्ट १ हजार रुपये की मांगी गई थी।

२६ हजार रुपयों का एडीशनल एक्स्पेन्डीचर है। वह इस पर है कि १००) रुपया पर फेमिली के हिसाब से २४६ डिस्प्लेस्ड पर्सन्स जो अलवर और भरतपुर मोस्क्स में रह रहे हैं उनको मकान देने के सिलसिले में मांगा गया है।

४७ हजार रुपया स्टाफ के लिए मांगा गया है। लो इन्कम गृप हाउसिंह स्कीम के अन्तर्गत जो स्टाफ रखा गया है उसके लिए है, क्योंकि पी. डब्ल्यू. डी में इतना स्टाफ नहीं था। तो लो इन्कम हाउसिंग स्कीम के स्टाफ के लिए यह रखा है।

५ हजार रुपया जो अब के काफी पानी बरसा और उससे फ्लड्स वगेरह आ गये और मकान गिर गये उनकी ग्रेचुएशन रिलीफ देने के लिए रखा गया है।

Page No.14

[श्री ब्रजसुन्दर शर्मा]

३३ हजार रुपया का ऐसा चार्ज्ड आइटम है कि डिक्रियां हुई है और लोगों को देना है; उसके बारे में यह है।

तो जैसा मैंने अर्ज किया, विकास के लिए, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के इलेक्शन के लिए डिस्प्लेस्ड पर्सन्स के लिए और लो इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम (Low income group Housing-scheme) के अन्तर्गत स्टाफ के लिये वह एडीशनल मांग रखी गई है।

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय मैं बोलना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—जनरल डिबेट...

श्री चांदमल मेहता—मैंने जो कट मोशन्स दिये; जो सर्कुलेट नहीं हुए; तो मैं जनरल पर ही बोलना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष—आपने जो ६३, मांग नं० १...

श्री चांदमल मेहता—इसमें बाढ़ पीड़ितों के लिए जो रुपया दिया गया है और मैंने बाढ पीडितों के आधार पर एक गांव जो सारा का सारा ही डूब गया है उसके सम्बन्ध में कटमोशन दिया है और जब बाढ़ पीड़ितों के लिए रकम रखी गई है तो मैं उस पर प्रकाश डालना चाहूँगा।

दूसरी बात है शरणार्थियों के विषय में और उसके लिए भी चर्चा हुइ। किशनगढ़ के शरणार्थियों के बारे में सरकार की ओर से जो उदासीनता रही है उसके बारे में मैंने कट मोशन दिया है। अतः यदि अध्यक्ष महोदय आप इजाजत दें तो मैं अपनी राय जाहिर कर दूं।

श्री अध्यक्ष—इसके बारे में मैं आपसे थोड़ा निवेदन कर दूं कि जहां भरतपुर और अलवर के शरणार्थियों के बसाने के लिये मांग मांगी जा रही है वहां पर किशनगढ़ के शरणार्थियों को ले लेना, यह इसके स्कीम में नहीं आ सकता और भी कई आपके कटमोशन्स ऐसे थे जिनके बारे में विस्तार में मैं हाउस में डिस्कस नहीं करना चाहता। हमने आपके कट मोशन्स को अच्छी तरह देख लिया है, जो स्कोप में आते थे उनको अलाउ किया गया है और जो विदिन स्कोप within scope, नहीं थे उनको डिस-अलाउ किया गया है।

६३ के अलावा जितने कटमोशन्स आपके रिजेक्ट हुए हैं उनके बारे में आप सेक्रेटरी साहब से डिस्कस कर सकते हैं और जहां तक जनरल डिबेट करने का सवाल है जनरल डिबेट तो बजट पर हो चुकी है. That is not within the scope of the supplementary Demands.

[श्री ब्रजसुन्दर शर्मा]

जो आपके कटमोशन्ज अलाउ हो चुके हैं उनके बारे में बोलने के लिये अलाउ करने में एतराज नहीं है। आपके कटमोशन्स अलाउ किये हैं और जिनको नहीं किया गया है उनको आप देख लें। जनरल डिबेट नहीं हो सकती।

श्री हरिकृष्ण व्यास—टोटल डिमान्ड को रिजेक्ट करने के बारे में तो अर्ज किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—Discussions are raised only by way of cut motions.

वे कटमोशन्स चाहे टोपिंग हों, चाहे किसी भी तरह से हों उनका स्टेटमेन्ट होना चाहिये, That is the only parliamentary way of raising discussions on Demands.

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, मैं दूसरी बात अर्ज कर रहा हूं जो यह है कि इस मद की जितनी भी रकम है वह सारी की सारी रकम के विरोध करने के सिलसिले में अर्ज किया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष—बिल्कुल नहीं। आपको इसमें १०० रुपये कमी या १ रुपये की कमी करने का मोशन तो जरूर करना चाहिये, उसके बिना कोई डिस्कशन हो नहीं सकता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—हां, यह ठीक है कि यदि किसी मांग में कटौती करवाना हो तो कटमोशन आ सकता है, किन्तु अब सारी की सारी मांग को नामन्जूर किया जाय, इस बारेमें बोलना चाहें तो बोला जा सकता है क्योंकि इस पर वोट होता, मोशन किया जाता है। कोई इस मोशन पर विरोध करना चाहते हैं तो उन्हें बोलने की इजाजत दी जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष--कोई मांग जो दस हजार की है उसमें ९ हजार रुपया कम कर दिया जाय, इस तरह का मोशन रख सकते हैं और डिस्कशन में वैसे पोइन्ट रेज़ कर सकते हैं।

That is denying the Demand. The Members have no right to discuss the Demand without moving any cut-motion. cut-motion is a device to raise discussion on a particular point.

श्री हरिकृष्ण व्यास—My submission is that if there is no objection to the Principle of the entire demand but there is objection either to the particular items or to the amount in the form that you have certain grievances which are to be discussed then of course suitable procedure is a cut motion. But the entire principle of the demand in its totality is under objection —that no motion should

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

be granted under this item, than the only thing left is that the Member must oppose the entire Demand. This has happened in our House also and in othere Houses as well. So I submit that this may be now permitted.

श्री अध्यक्ष--जो बजट प्रस्तुत होता है उसके लिये सब से पहले जनरल डिस्कशन होता है, उस समय पोलिसी आदि के बारे में जो डिस्कशन होना चाहिये वह होता है। उसके बाद में अगर किसी मांग पर विवाद करना होता है तो उसके लिये सांकेतिक कटौती का प्रस्ताव रखा जाता है और अगर सारा का सारा टोटल रिजेक्शन करना चाहें, तो भी उसी तरह का प्रस्ताव रखा जाता है ऐसा कोई प्रोवीजन नहीं कि आप कटौती का प्रस्ताव नहीं रखें और टोटल रिजेक्शन करते हैं इस लिये वोट नहीं करते, ऐसा कोई पार्लियामेन्टरी प्रोसीजर नही है और न इस तरह की नयी प्रणाली चलाई जा सकती है। I want to know whether the Minister for Finance would like to be enlightened by the discussions in a general form.

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—No, sir, otherwise it might be a Budget Session and it may take ten—twelve days. There must be a cut—motion before a Member could speak.

श्री हरिकृष्ण व्यास—This matter may be deferred for a few minutes for I am looking up for references on this matter.

श्री अध्यक्ष—We are proceeding and in the meantime the hon'ble member is free to leek up.

श्री हरिकृष्ण व्यास—That Demand may not be put to vote, Sir.

श्री अध्यक्ष--Some Demands will have to be put.

(विराम)

श्री अध्यक्ष—References on what ?

श्री हरिकृष्ण व्यास--On procedure governing the opposition.

श्री अध्यक्ष—I think the Member can go on searching and if he can fnid out something, I will give hive him a chance. But so far as I am convinced there is no provision to that effect. So I put Demand No. 63 to vote.

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान के लिये मांग संख्या ६३, मेजर हैड ५७– विविध के संबन्ध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को रु० २,२१,००० तक की राशिप्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अनुपूरक मांग संख्या ६६—औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत

श्री बृजसुन्दर शर्मा—(वित्त–मंत्री) अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान के लिये मांग संख्या ६६, मेजर हैड ७२–औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत के संबन्ध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को रु० १०,१४,००० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष—श्री हरिकृष्ण व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उपरोक्त मांग केवल १०० रुपया रख दी जाय, इस बात पर बहस करने के लिये कि विभाग मौजूदा लगी हुई पूंजी की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है।

अभी जिस एक्सप्लेनेटरी मेमोरेन्डम का जिक्र हुआ था अध्यक्ष महोदय, जिस एक्सप्लेनेटरी मेमोरेन्डम की बुनियाद पर वित्त मंत्री महोदय ने यह मांग रखी है उस मेमोरेन्डम के पेज १७ पर मांग नं. ६६ के बजट हैड ७२ में जिस प्रकार का खर्चा हुआ उसकी तफसील दी हुई है और उस तफसील में पहले नम्बर का नाम जो लिखा है जिसका उल्लेख किया है। इलेक्ट्रिकल कार्पोरेशन ऑफ इन्डिया लिमिटेड, बम्बई इस मद में ३५,००० हजार रुपया दिया गया है। आगे चलकर इस बारे में और जिक्र किया गया है। उसमें लिखा है कि कम्पनी के अवसायन के कारण सरकार को अवसायकों से समझौता करना पड़ा और परिणामस्वरूप सरकार को विधि विभाग से परामर्श करके ३५००० रु० का भुगतान करना पड़ा।

इस बिना पर अभी अभी मैं यह कह रहा था कि यह एक्सप्लेनेटरी मेमोरेन्डम बहुत काफी है। अभी सबसे पहले मैं यह साबित कर देता हूँ अध्यक्ष महोदय, यह मंत्री महोदय के लिये नाकाफी है और जानबूझ कर या अनजाने में सदन को गलतफहमी रखने का एक बहुत स्पष्ट दिखने वाला प्रयत्न है। षड़यन्त्र तो इसे नहीं कह सकते, भौंडा प्रयत्न अवश्य है जो साफ साफ दिखाई देता है। इसके लिये मैं आपके जरिये सदन का ध्यान पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट ५४-५५ के पृष्ठ ४२-४३ की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

जिस कम्पनी का जिक्र किया गया इलेक्ट्रिकल कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, बम्बई और जिसके साथ समझौता करके ३५ हजार रुपया और दिये गये हैं, अभी अभी हाल ही में उस कम्पनी का इतिहास क्या है, अध्यक्ष महोदय, कि यह लगभग १९४९-५० के समय में राजस्थान बनने के कुछ ही समय पूर्व भूतपूर्व जयपुर राज्य में इस प्रकार की इलेक्ट्रिकल कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, बम्बई से समझौता किया और यह तय किया कि ५ लाख की राशि उस कन्सर्न में राजस्थान की सरकार लगावेगी। २५ हजार रुपया तो उसको जयपुर राज सरकार ने दे दिये और राजस्थान बनने के बाद; मैं इन शब्दों पर ज्यादा जोर देना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष, कि राजस्थान बनने के बाद १ अप्रेल, १९५० को एक लाख रुपये का पेमेन्ट राज सरकार ने और कर दिया इस समझौते का पालन करते करते। इस पर पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी ने यह मत दर्ज किया है।

"Before making this payment, however, no detailed enquiry was made and reliance was placed on some reported agreement between this firm and an English firm ?

हुआ यह कि उस कन्सर्न ने आकर राज्य सरकार को यह मुगालता दिया, धोखा दिया या यों कहिये कि ४२० का तरीका अपनाया कि हमने इन्गलैंड के कन्सर्न से समझौता कर लिया है, अपना रिजोल्यूशन बताया, एग्रीमेंट के कागज भी दिखाये और वे सब कागजात एग्रीमेंट के झूठे और बेबुनियाद थे और ऐसे झूठे और बेबुनियाद आधार पर एक लाख का भुगतान राज सरकार ने उनको कर दिया; यह मेरी ही राय नहीं है, खुद पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी ने कहा है।

"Thus presuming on the bonafides and good faith of this party the money was mabe available to it. Later on, it was discovered that the whole thing was a fraud. Even the Agreement reported to have been shown to the Government Officers was not a genuine document. This firm never went into production and now liquidation proceedings against it have been commenced under orders of the Bombay High Court."

मैं याद दिलाऊं अध्यक्ष महोदय, कि इस फर्म के खिलाफ हमारी ही शिकायत पर लिक्विडेशन की कार्यवाही शुरू हुई। जिस कन्सर्न ने झूठे जाली दस्तावेजात राज्य सरकार को दिखाये और झूठे दस्तावेज दिखलाकर १ लाख रुपया लेकर चम्पत हो गये उस कन्सर्न के जयपुर में भी रहने की बात थी, पर यहां तो उसकी एक ईंट भी नजर नहीं आई। उस फर्म को लिक्विडेट कराने के लिए हमारे ही राज्य अधिकारी यहां से गये। उनके भत्ते का खर्चा हुआ वह अलग, कानून कायदे से वकीलों से सलाह मशविरा किया उसका खर्चा अलग, यह सब तो हुआ सो हुआ ही पर अब अन्त में यह नई पूंजी की लागत और हमसे लगवाई जा रही है। एक लाख २५ हजार रुपया तो कुए में गया सो गया, पर अब और ३५ हजार रुपया की लागत की राशि कुए में डाली जा रही है। कहते हैं उनके साथ समझौता किया उसके लिए यह रकम दी जा रही है। मैं जानना चाहता हूँ किस बात

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

का समझौता किया अध्यक्ष महोदय । क्या वह कन्सर्न फिर से चालू होगा ? क्या वह कन्सर्न फिर से चालू होगा ? क्या जयपुर में कोई उद्योग चालू होगा ? अगर ऐसा भी हुआ तो सन्तोष है । कम से कम राजस्थान में कोई एक उद्योग तो पनपेगा, पर मैं कहूँ अध्यक्ष महोदय, कि ऐसी कोई बात नहीं है । यह रुपया दिया जा रहा है लिक्विडेशन की प्रोसीडिंग रफा-दफा करा देने के लिये, एक की ओर दूसरे की बातों का सुलहनामा कराने के लिए कि हमारा दावा तुम पर से हम उठा लेते हैं और तुम्हारा दावा हम पर से तुम उठा लो इसके लिए । इसके लिए यह ३५ हजार का समझौता किया है । १२५ हजार हम से लिये गये, वे जब हमने मांगे तो मांगने के अपराध के एवज में हमने यह कहा कि यह ३५ हजार और लेकर हमारा गला छोड़ दो और हमारे वित्तमन्त्री इसके विपरीत यह कहते हैं कि ३५ हजार हम औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत कर रहे हैं । यह कैसा उद्योग ? पैसा साफ करने का उद्योग का उल्लेख हैं । (हंसी) और उस पैसा साफ करने के उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने फैसला किया है तो यह उद्योग की बात समझ में आ सकती है और हम भी सोच सकते हैं कि जो १२५ लाख अब तक हमने दिया है उसमें यह ३५ हजार और सही और अगर यह बात नहीं है तो यह माननीय वित्तमन्त्रीजी साफ साफ बतायें कि यह कौनसे उद्योग में पूंजी लगाई जा रही है और किस उद्योग की लागत का पैसा यह है । मैं यह जानता हूँ कि इसका उनके पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं है । तो फिर साफ साफ वे यह क्यों नहीं कहते कि अब और जो हम यह ३५ हजार दे रहे हैं वह सिर्फ इस परेशानी से बचने के लिये कि हम अब अपना मुकद्मा किस तरह से साबित करें, दे रहे हैं । तो या तो इस वजह से आप यह रुपया दे रहे हैं, निश्चित में नहीं कह सकता या फिर शायद और कोई ऐसा बड़ा घोटाला हो गया है, या ऐसी कोई बड़ी गड़बड़ी हो गई है जिसकी वजह से जिस प्रकार १२५ हजार पहले दिया उसी प्रकार यह ३५ हजार और देकर अपना पीछा छुड़ाया है । तो यह सारी ऐसी चीज़ है जिससे उद्योग विकास पर लागत का उल्लेख करना ही गलत है मेरे ख्याल से और बेबुनियाद भी है । और इस प्रकार से माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये सदन का ध्यान इस पूरी लम्बी-चौड़ी लिस्ट में से एक दो आइटमों को लेकर मैंने खींचा है जिसकी वजह से यह साफ साफ दीख जावेगा कि यह एक्सप्लेनेटरी मेमोरण्डम नाकाफी ही नहीं है पर इस मांग को मांगने का अधिकार भी राज्य सरकार को नहीं है ।

आगे चलकर हम और देखें कि बीकानेर जिप्सम कम्पनी लिमिटेड में १५० हजार की पूंजी की लागत का उल्लेख है । सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंकस्, अलवर, भरतपुर में १ लाख की पूंजी का उल्लेख है और सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बक्स या बैंक या दूसरे दूसरे इसी तरह के कन्सर्न में १२७ हजार की सम्पत्ति का उल्लेख है और स्टेट और राजस्थान फाइनेन्शियल ओम्नी बस कारपोरेशन है, इसमें ५ लाख की पूंजी की लागत का उल्लेख है, हालां कि यह रिज़र्व बैंक के जरिये बाद में हमें वापिस मिल जावेगी । यह जो इतनी नई पूंजी लगाई गई है, तो यह नई पूंजी लगाने से पहले कम से कम यह तो सोचना आवश्यक था कि जो लगभग १ करोड़ ८८ लाख की पूंजी लगी हुई है राज्य सरकार की, उसका क्या हाल है, इसका क्या हो रहा है, उसमें से हम कुछ ठीक इन्तजाम करके

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

आमदनी कर पा रहे हैं अथवा वह जो पूंजी हमारी लगी है वह इसी इलेक्ट्रिकल कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया की तरह से घाटे में जा रही है ? कई कई कम्पनियों में हमारी पूंजी लगी थी। अम्बिका एयरलाइन्स में भी हमारी पूंजी लगी थी। उसका तो यह हाल हुआ कि वह कम्पनी लिक्विडेशन में चली गई, वालेन्टेरीली चली गई, पर राज्य सरकार को पता तक नहीं चला। आगे वित्त मंत्री महोदय जवाब देते समय इन बातों का बखूबी ध्यान रक्खेंगे। तो राज्य सरकार का भी फायदा होगा, जनता का भी फायदा होगा और हमारे प्रांत का भी फायदा होगा। पर आपने अगर ध्यान नहीं रक्खा, तो जिस तरह तीन लाख रुपया हमारा इस अम्बिका एयरलाइन्स में डूबता दिखाई दे रहा है वैसे ही सब में हाल होगा। कम्पनी वालेन्टरीली लिक्वीडेशन में चली गई और राज्य सरकार को पता नहीं अन्त तक भी। क्लेम की तारीख निकल गई, बाद में केस फाइल किया और वह मामला अब भी अदालत में चालू है। हमें अभी कुछ भी मिला नहीं है। तो जो पूंजी लगी हुई है उसके सिलसिले में क्या क्या इन्तजाम हमारी सरकार ने किया है, उसके बारे में मैं दो-तीन सेन्टेन्स की केवल पी. ए सी की रिपोर्ट से दोहराना चाहूंगा और वे ये हैं कि जिन ६ कन्सर्नस् में सरकार का रुपया लगा था वे ६ कन्सर्न्स तो खतम हो चुके, जिसमें ५।। लाख रुपया सरकार का गारत हो गया और बाकी जो कन्सर्न्स हैं उनमें से हमको रिटर्न कितना मिलता है, इसकी यह हालत है कि लगभग २ करोड़ की हमारी पूंजी लगी हुई है और यह जो लगभग दो करोड़ की पूंजी है उसके मुकाबले में दो करोड़ रुपये बैंक में ओवर ड्राफ्ट के रूप में सरकार ले चुकी है, जिसका इस अरसे में ३० लाख रुपया इस ओवरड्राफ्ट के व्याज के रूप में सरकार ने दिये होंगे और जब हम अपने उस दो करोड़ के रिटर्न की बात देखते हैं तो कुल जमा आमदनी हमें तीन लाख से ज्यादा नहीं हुई है। इसके बारे में पी. ए. सी. ने अपनी रिपोर्ट के पेज ३६ पर अपना मत व्यक्त किया है :

"It is a well known fact that the Rajasthan Government have a rather difficult ways and means and the State Government have had to take recourse to an over-draft for which they are paying an tnterest at 3½ percent.........."

पहले साढ़े तीन परसेन्ट दे रहे थे। अब के आंकड़े यह हैं:—

"The painful position is that while Government invent investments in various concerns totalling Rs. 1,80,00,000/-have during the last 5 years brought as returns a paltry sum of Rs- 4,38,788/6/6, the State has during the same period paid a sum of Rs. 29,25,000/-as interest charges alone to banks on account of an over-draft of Rs. 1,80,00,000/- out of the total over-draft."

जो पूंजी हमारी लगी हुई है पहले से उसका यह हाल है। इम्पीरियल बैंक के ओवर-ड्राफ्ट के पैसे का व्याज दिया है हमने २६,२५,००० रु० और हमारी केवल आमदनी हुई है ४,३८,००० रु० और उसका क्या हाल है ? उसके इन्तजाम का क्या हाल है ? इसकी देखभाल के बारे में पूरी तफसील से जिक्र न करते हुए मैं एक चीज या दो चीज के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

करना चाहूँगा। मैंने अभी कुछ समय पहले अम्बिका एयर लाइन्स के बारे में जिक्र किया था। अम्बिका एयर लाइन्स तो दूर की बात है, अध्यक्ष महोदय, लेकिन राजस्थान के अन्दर ही...

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री)--अध्यक्ष महोदय, अम्बिका एयर लाइन्स के बारे में जब जनरल बजट पेश हुआ था उस वक्त डिसकशन हो चुकी है। अब अम्बिका एयर लाइन्स की क्या बात आ रही है ? जिस कन्सर्न के बारे में रुपया मांगा जा रहा है उसी तक सीमित रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें समय की बचत होगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास--मैं यही चाह रहा था कि इस प्रकार का एतराज हो और मैं बता पाऊं कि इसका उल्लेख किस प्रकार आयेगा।

जिप्सम्स लिमिटेड के लिए आज आप पैसा मांग रहे हैं। बीकानेर जिप्सम्स लिमिटेड, बीकानेर, के लिए जो १,५०,००० रु० मांग रहे हैं, मैं पूछना चाहूंगा कि यह १,५०,००० रु० मांगने के पहले क्या उस कन्सर्न का बेलेन्सशीट पांच साल का क्या है, यह सदन को बताया गया ? क्या सदन को यह बताया गया है कि यह इन्वेस्टमेंट क्यों आवश्यक हुआ ? क्या सदन को जानकारी दी गई है कि इस कन्सर्न में हमारी पूंजी सुरक्षित रहेगी, कहीं जायगी न आयगी ? उसके बारे में क्या क्या कदम उठाये गये है, क्या इसकी जानकारी दी गई है ? एक्सप्लेनेटरी नोट में न सही लेकिन सदन के सामने भाषण करते हुए नहीं दी गई है। इसलिए मुझे यह हक हासिल है कि आज तक के प्रिसिडेन्स से साबित करूं कि आज तक इस प्रकार की पूंजी लगाने की इजाजत दी गई उसका कोई ठीक इन्तजाम नहीं किया गया। आगे भी जब तक दूसरे फेक्ट्स एलेज नहीं किये जांय तब तक पुराने प्रिसीडेन्स के बिना पर निर्णय ले सकते हैं। इस चीज को इलस्ट्रेट करने की दृष्टि से मैं अर्ज कर रहा हूँ। मैं सारी की सारी पुरानी पूंजी की तफसील में न जा रहा हूं। किस प्रणाली की चीज चल रही है और दूसरे फेक्ट्स नहीं देते हुए केवल यह मांगा जाय कि फलांनी कन्सर्न में पैसा लगाना है तो मैं समझता हूं कि वह न सिर्फ नाकाफी बल्कि आज तक की परम्परा के बिना पर शक व सुबाह सदन को होना लाजिमी है।

मैं बता रहा था, अध्यक्ष महोदय, कि ऐसी एक-दो मिसालें, मैं पूरी तफसील में जाना चाहूंगा नहीं, दूंगा जो मैं समझता हूं कि आज की इस मांग के सिलसिले में उपयुक्त होंगी, लेकिन उनके मेनेजमेंट के सिलसिले में कुछ नहीं कहूंगा। ऐसी दो चार मिसालें आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अम्बिका एयर लाइन्स तो दूर की बात थी लेकिन राजस्थान में जो अलग अलग मोटर कम्पनियाँ थी उन ट्रान्सपोर्ट कम्पनियों के सिलसिले में पिछले वर्ष राज्य सरकार ने पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी को जो जवाब दिया है और जिस जवाब के बिना पर लाखों रुपयों की पूंजी के बारे में मंजूरी ली जा रही है, वह इस प्रकार है:--

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

"In view of the promulgation of the Motor Vehicles Amendment Act the monopolies enjoyed by these concerns have terminated and the question of their future working is under Government's consideration."

सन् ५१ में जो मोनोपोलियां खत्म हो गई उनका सन् ५५ में फर्दर कन्सीडिरेशन के लिए विचार था। जो इलेक्ट्रिकल कम्पनियां थी उन इलेक्ट्रिकल कम्पनियों के बारे में सन् १६५४ में सरकार की ओर से यह जवाब दिया गया। पेज ४५ पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट, की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ :

"The Chief Engineer, Electrical & Mechanical Department has been asked to suggest the steps that can be taken for improving the present state of affairs of the Nawalgarh Electric Supply Co., etc. etc."

और इस प्रकार आखिर में तंग आकर कमेटी ने अपनी राय दी है, जो यह है कि इस प्रकार की चीजें न सिर्फ सरकार के लेक्सिटी ऑफ कन्ट्रोल को दिखाती हैं लेकिन एक lack of concern को प्रदर्शित करती हैं। जब lack of concern है तब सदन से कहें कि और पूंजी की लागत के लिए रुपया दो, उसका तात्पर्य यह हुआ कि आज तक जो कुछ करते आये हैं उसी प्रकार करते जायेंगे। ऐसा मानते हुए रुपया दें तो मेरा यह कहना है कि इस बिना पर वह रुपया नहीं दिया जा सकता। सदन समझता था कि इस बात के बारे में दलील प्रस्तुत करेंगे, आंकड़े प्रस्तुत करेंगे कि पांच साल से इस कन्सर्न का क्या हुआ ? सरकार की जानकारी में क्या नतीजा निकला ? क्या आशा है, क्या उम्मीद है, क्या सेफगार्ड्स रखे गये हैं ? उनका जिक्र करने के बाद नई चीजों के लिए रुपया मांगा जा सकता है।

बाकी के मद हैं एक से सात तक, जिनमें से एक के लिए मैंने कह दिया है और दो से सात तक मैंने अभी जो चीज अर्ज की है उनके बारे में उनको इस आधार पर छोड़ दूं कि एक मद जो राजस्थान फाइनेन्स कॉरपोरेशन के बारे में पांच लाख का है उस पर जिक्र कर दूं। राजस्थान फाइनेन्स कॉरपोरेशन ऐसी एक बला है जिसके बारे में बार बार जिक्र करना आवश्यक है और अलबत्ता ५ लाख की मंजूरी का यहां हवाला होने से अब मैं अपनी सीमा के अन्दर हूँ कि इस राजस्थान फाइनेन्स कॉरपोरेशन के बारे में दो-चार शब्द कह दूं।

जिस राजस्थान फाइनेन्स कॉरपोरेशन के लिए पांच लाख की मन्जूरी ली जा रही है, उसके लिए मेरा यह कहना है कि इसको एक कौड़ी की भी मन्जूरी नहीं दी जानी चाहिये। वह किस लिए ? इसके अलावा काम-काज बहुत कुछ नहीं किया है। जहां तक मेरी सूचना है लोन तो शायद एक दिया है, वह भी ८०,००० रू० का, और बाकी के लोगों की अर्जियां विचाराधीन हैं। लेकिन काम काज का प्रश्न नहीं है। जो एक करोड़ की पूंजी पहले सौंपी गई है वह किनके हाथों में सौंपी गई है वह राज्य सरकार ने देखते देखते आखों मक्खी निगली है, ऐसा मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो पूंजी सौंपी गई है वह हमारे चिरपरिचित, राजस्थान के मन्त्रीगणों के चिरपरिचित

Page No.23

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

श्री रामनाथ पोद्दार हैं, यह पांच लाख भी हम उन्हीं को सौंपने जा रहे हैं। उन्हें पहले जितना रुपया सौंपा गया है इसका बखूबी हिसाब उन्होंने दिया है। अब वह बीकानेर की फर्म अपने हाथों में आ गई है थोड़े से दिन के लिए। वह बात थी शुगर फैक्ट्री की। लाखों का बखूबी उन्होंने हिसाब दिया है लेकिन अभी एक पैसा सरकार को कमा कर दिया नहीं और केवल इतनी ही बात होती तो शायद इस पांच लाख की मन्जूरी के बारे में जितना मुझे सख्ती से विरोध करना चाहिए उससे शायद थोड़ी कम सख्ती के साथ विरोध करता। लेकिन यह बात बड़ी गम्भीर है और गम्भीर इस प्रकार है, अध्यक्ष महोदय, कि जो पूंजी उपरोक्त व्यक्ति, एक व्यक्ति के रूप में नहीं, लेकिन मेनेजिंग एजेन्ट के रूप में ३८ लाख रुपये राज्य सरकार के लिए बैठे हैं और उन्होंने पैसा इसलिए वापिस नहीं दिया है कि उनमें माल प्रेक्टिस होती है। मैं पूरी जिम्मेवरी से और दोहराकर यह इलजाम लगाना चाहता हूँ कि उनमें माल प्रेक्टिस होती है, भृष्टाचार होता है। अगर वह कपास से सूत बनाने के लिये जैसा कि जयपुर में है, वित मंत्री महोदय नोट कर ले, कपास की खरीद में फर्जी दस्तावेज बना २ कर झूठा घाटा दिखाया जा रहा है यद्यपि भिल में मुनाफा होता है; यदि इसके बारे में कुछ सख्त कार्यवाही करने कहीं तैयारी नजर आये तो मैं स्वयं इस सिलसिले में आधारभूत तथ्य और मौका पड़े तो एक-दो दस्तावेज प्रस्तुत करने को तैयार हूं। जैसा कि रुई का भाव बाजार के अन्दर ५६ रु० मन है तो १६० रु० मन दर्ज दिखाया गया है।

श्री व्रजसुन्दर शर्मा—यह पुरानी बात है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—पुरानी नहीं-बल्कि सन् ५४–५५ के साल में यह हुआ है। क्या करते हैं आपके बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स ? क्या करते हैं सरकार के विशेषज्ञ ? क्या करते हैं सरकार के वित्त मंत्री महोदय ? उन्हें पुरानी पूंजीके बारे में कितनी सुविधा या असुविधा जो भी दी हुई है उसके बाद ५ लाख रुपये अब फिर भेंट किये जा रहे हैं और यह कॉरपोरेशन चाहे कानून से बना हुआ हो, लेकिन चेयरमेन के नोमीनेशन का अधिकार राज्य सरकार को है और चूंकि राज्य सरकार ने उन्हें मनोनीत किया है इसलिये उस मनोनीत करने के काम की और पांच लाख की मन्जूरी की दरख्वास्त करने की दोनों की जिम्मेवारी सरकार पर पड़ती है। इस कारण से मैंने, अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव रखा है कि यह जो १०,१५,००० की मांग की जा रही है यह करीब २ पूरी की पूरी ऐसी है कि इसको मन्जूर नहीं करना चाहिये और मेरा जो प्रस्ताव है कटौती का उसमें कम करके वह केवल १०० रुपये रख दी जाय और यदि इस प्रकार यह सदन अपनी इस पर नाराजगी व्यक्त करेगा और गलत नीति पर रोक लगायेगा तो शायद मुमकिन हो कि यहपै सा बचेगा और जो पुराना दो करोड़ को पूजी के रूप में इधर उधर लगी हुई, वह शायद कुछ हद तक बच जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव सदन की सम्मति के लिए प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं कि इस पर मत देते समय सब माननीय सदस्य इस पर अपना मत देकर इसको पास करायेंगे।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना कट मोशन मूव नहीं करना चाहता।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय अध्यक्षजी, श्री एच. के. व्यास ने जो कटौती प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—आपके बगैर कुछ कहे ही हम समर्थन मान लेंगे।

श्री मुक्तिलाल मोदी—थोड़ी देर के लिये मुझे बोलने की इजाजत दीजिये।

श्री अध्यक्ष—अच्छा बोलिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी—श्री एच. के. व्यास ने कटौती का जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ। मैंने पहले भी फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को, जब बजट पास हो रहा था तब बताया था कि धीरे धीरे करके कई डिमान्ड्स आजायेंगी और उस समय यह नहीं सोचेंगे कि इस तरह से क्यों डिमान्डस लाई जाती हैं? एक ही दफा में पूरी रकम क्यों नहीं ले ली जाती, लेकिन इसका कारण यह है कि शायद आप यह सोचते होंगे कि हम लोग पहले का आंकड़ा भूल गये होंगे इसलिये आगे और स्वीकृति ले लें, लेकिन हम सब याद रखते हैं। पहले उद्योग विभाग के लिये १० लाख और कुछ हजार की मांग की गई थी; उसमें से जिप्सम के बारे में १ लाख ५० हजार रुपयों की मांग की गई थी। मैंने बजट सेशन में पूछा था कि जिप्सम १८०० टन रोजाना सिंदरी फैक्ट्री में जाता है और राजस्थान सरकार का २० परसेन्ट शेयर है, उसमें से कितना राजस्थान में से जाता है।

श्री अध्यक्ष—सिंधरी की बात नहीं है।

श्री मुक्तिलाल मोदी—जिप्सम की बात है, सिंधरी फैक्ट्री में जाता है। १ लाख ५० हजार रुपये जिप्सम के लिये और मांगे जाते हैं; तो समझ में नहीं आता कि जब जिप्सम से इतना बड़ा प्रोफिट होता है तो राजस्थान सरकार यह बतलाती कि इतने रूपये का हर साल प्रोफिट होता है उसे न बता कर १ लाख ४६ हजार रूपयों की और मांग की गई है। मैंने कुछ अकाउन्ट एस्टीमेट कमेटी को भी बताये थे जिप्सम के बारे में। क्या कारण है कि उन्होंने कुछ नहीं बताया।

दूसरी बात यह है कि इन्डस्ट्रियल फाइनेन्स कोरपोरेशन बनाया है। उसमें २ करोड़ रूपये इकट्ठे किये है लेकिन उसका चेयरमेन नोमिनेटेड रखा, उन्हीं चेयरमैन साहब की जो जयपुर स्पिनिंग मिल है उसमें ३० लाख रूपये राजस्थान सरकार के हैं।...

श्री बृजसुन्दर शर्मा—कितने रूपये बतलाये?

श्री मुक्तिलाल मोदी—३० लाख रूपये हैं, या कितने मुझे पूरा पता नहीं।

(हंसी)

Page No.25

[श्री मुकिलाल मोदी]

३० लाख रूपये जो राजस्थान सरकार के हैं उन रूपयों का आज तक का व्याज तो दूर रहा, मूल का भी पता नहीं है और उसी आदमी को चेयरमेन बनाया जाता है इन्डस्ट्रियल फाइनेन्स कोरपोरेशन का। उसको तो चेयरमेन बनाने के बजाय ब्लेक लिस्ट करना चाहिये। उसको नोमिनेट किये जाने का अधिकार नहीं है। जब ३० लाख रूपयों का व्याज नहीं, मूल नहीं और उस मिल के १०० रूपयों के शेअर का भाव आज ३० रू. है तो ऐसे आदमी को चेयरमेन बनाकर उसके हाथ में २ करोड़ रूपये देना कहां तक ठीक है, यह सोचने की बात है। आप ५ लाख रूपये और ले रहे हैं। मंत्रीजी यह सोचेंगे कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार के हाथ में दी है तो ये रूपये क्यों इस तरह जा रहे हैं? फिर आप कहते हैं कि फाइनेन्सेज में कमी है तो कमी क्यों है? कम से कम यह तो बतादें कि २ करोड़ रूपये इकठे हुए उनमें से कितने छोटे धंधो वालों को दिये? कितनी एप्लीकेशन्स आई उनमें से कितनी स्वीकार की गई और कितनी ना मंजूर की गई? इसके अलावा ५ लाख रूपये और मांगे जा रहे हैं। यदि कोई चेयरमेन इस तरह का होता है और जनता को और एम. एल. एज. को उसके प्रति असंतोष होता है तो उसको चेयरमेन नोमिनेट नहीं करना चाहिये। एच. के. व्यास ने जो कटोती प्रस्ताव रखा है उसके लिये मैं प्रार्थना करता हूँ कि फाइनेन्स मिनिस्टर साहब उसको मान लें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, जो कटोती प्रस्ताव माननीय जोधपुर से आनेवाले सदस्य ने रखा है उसका विरोधक करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। कई बातें कही गई हैं जैसी एक आदत सी समझता हूँ, तथ्य हीन और ऊटपटांग बातें होती हैं; उसी प्रकार की आज भी कही गई हैं, जिनका कोई संबंध नहीं, कोई ताल्लुक नहीं; वैसी बातें कही गई हैं। जोरदार शब्दों में कहा गया कि सरकारी रुपया बरबाद किया जा रहा है उसकी कोई संभाल नहीं है, बिल्कुल मिस-मेनेजमेंट है। इस तरह के दोषारोपण लगाये गये हैं और ये हमेशा लगाते रहे हैं। बजट के समय भी यही दोष लगाये गये थे। जो बातें बजट के समय उठाई गई थीं उनका जवाब उस समय दिया गया था। जयपुर सरकार के जमाने में इलेक्ट्रिकल कोरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, बम्बई के ५ लाख रुपयों के शेअर जयपुर सरकार ने खरीदना तय किया था। उसमें से २५,००० रुपये एडवान्स दिये गये थे और १ लाख रुपये बाद में एडवान्स दिये गये थे; इस तरह से कुल १२५ हजार रुपये दिये गये थे। उसके बाद जब कंपनी लिक्वीडेशन में चली गई तो सरकार को नोटिस दिया गया कि आपके शेअर्स के ३ लाख ७५ हजार रुपये बाकी है। इसलिये ये रूपये दीजिये। हमको ये ३ लाख ७५ हजार रूपये देने पड़ते लेकिन हमने लॉ डिपार्टमेंट की सलाह से यह तय किया कि किसी प्रकार कंपनी से समझौता किया जाय; नहीं तो इतने सारे रुपये देने पड़ेंगे। इसलिए हमने तीन लाख ७५ हजार रुपयों के बजाय ३५,००० रूपयों में समझौता किया। इसमें कोई नुकसान की बात नहीं आती है। यदि फैसला नहीं करते तो ३ लाख ७५ हजार रुपये देने पड़ते। यदि इतने रुपये देने पड़ते तो कितना नुकसान होता? इसी ख्याल से यह ३५००० रुपयों की मांग की गई है। ३ लाख ७५ हजार रुपयों को बचाने के लिए यह ३५००० में कॉम्प्रोमाइज किया गया है।

[श्री ब्रजसुन्दर शर्मा]

बीकानेर के जिप्सम के बारे में माननीय मित्र ने दलील दी कि कुछ नहीं देखा गया, कन्सेशन दिया है इत्यादि। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि बीकानेर जिप्सम लिमिटेड एक ऐसी फर्म है जिसने राजस्थान सरकार के जितने रुपये लगे हुए हैं उनका उचित ब्याज दिया है। बल्कि जितना ब्याज मिलना चाहिये उससे अधिक ब्याज मिल रहा है और आज तक उस उद्योग में कभी नुकसान नहीं हुआ। इस साल बीकानेर उद्योग लिमीटेड ने १२॥ परसेन्ट डिविडेन्ड दिया है। जितना उन्होंने दिया उतने से केपिटल को आगे बढ़ाया है। इसके शेअर्स खरीदने के लिए जो रकम रखी हैं उससे, मैं नहीं समझता, कि कोई नुकसान होगा बल्कि हम उससे फायदा ही करेंगे। उसके साथ और भी बात-चीत चल रही है। रोयल्टी बात चल रही है। ज्यादा शेअर्स बढ़ाने की, इन सब में नुकसान की सूरत नहीं है।

(श्री हिम्मतसिंह अटरू, सभापति, पदासीन)

बड़े जोरदार शब्दों में इन्डस्ट्रियल फाइनेन्स कॉरपोरेशन को ५ लाख रुपये देने के बारे में कहा गया। यह कहा गया कि ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं जिससे कोई फायदा नहीं होगा, इससे नुकसान ही होगा। इस बारे में पहले भी कई बार प्रश्न किये गये थे, उनका जवाब भी दिया गया था।

लेकिन राजस्थान इन्डस्ट्रियल फाइनेन्शियल कॉरपोरेशन तो एक एक्ट के तहत में कायम हुई संस्था है जो कानून के जरिये कायम हुई और उस कानून के जरिये राजस्थान सरकार ने अपने यहां से ३५ लाख रुपया इसमें देना तय किया, १५ लाख रिज़र्व बैंक ने इसमें दिया है। ५५ लाख बाकी रहे उसमें से पब्लिक से शेयर्स लेने के बाद अब ५ लाख रुपया स्टेट को देना है। यह ५ लाख देकर गवर्नमेंट को एक करोड़ रुपया पूरा करना है, इसको रिज़र्व बैंक ने बाद देना मंजूर कर लिया है। उनके इस वादे पर राजस्थान गवर्नमेंट अपनी तरफ से खरीद कर एक करोड़ को पूरा करना चाहती है। तो इस तरह तो १५ और ये ५ लाख का इस तरह २० लाख का केपिटल हो जायगा। इसमें यह कहना कि ५ लाख मत दो तो अपने कानून के जरिये अनसब्सक्राइब्ड केपिटल के लिये तय किया है तो--रिजर्व बैंक ने दिया है तो, इसको ट्रान्सफर कर देंगे तो इसमें क्या नुक्सान है?

इन्ट्रेस्ट के बारे में कहा गया कि २६ लाख रुपया तुम इन्ट्रेस्ट का देते हो। मैं कहूँगा कि आप बचाते कितना हैं। गवर्नमेंट ओफ इण्डिया से डेवेलपमेंट के लिए रकम लोन पर लेनी पड़ती है, उस पर ४ परसेंट, साढे चार परसेंट और ५ परसेंट तक इन्ट्रेस्ट देना पड़ता है। शुरू साल में ले लिया जाय तो ज्यादा इन्ट्रेस्ट देना पड़ता है, पर हमें इम्पीरियल बैंक ओफ इण्डिया से साढ़े तीन परसेंट पर मिलता है। गवर्नमेंट ओफ इण्डिया से लें तो ४ परसेंट साढे चार परसेंट हमें देना पड़ता है। कहां साढ़े तीन परसेंट और कहां ५ परसेंट; इसके बीच के इन्ट्रेस्ट की हम बचत करते हैं, फिर ओवरड्राफ्ट करके गवर्नमेंट ओफ इण्डिया से पेमेंट ले लेते हैं।

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

तो अगर इन्ट्रेस्ट में बचत करने की बात को मेरे लायक दोस्त नुक्सान समझते हैं तो यह उनके दिमाग की खूबी है ।

माननीय चेयरमेंन, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि नम्बर एक और २ का कोई हवाला दिया नहीं है ।

ऑल इण्डिया मार्केटिंग सोसायटी ऑफ हैंड लूम फेब्रिक्स है, उसमें ५ मार्केटिंग कोऑ-परेटिव सोसायटीज़ हमने रखी हैं, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट्स की तरह मार्केटिंग की सहायता प्राप्त कर सकें ।

आइटम ४ से ७ तक रूरल ट्रेड सर्वे की रिपोर्ट आई । बड़ी सोसाइटीज़ से शेयर्स लेने के लिये यह एक्स्ट्रा रकम चाही गई है ।

जो कुछ भी एतराजात किये गए हैं वे तथ्यहीन हैं और बिल्कुल दुरुस्त नही हैं और किसी तरह ठीक नहीं हैं । जो मैंने मांग रखी है वह बिल्कुल उचित मांग है और वह राजस्थान के फायदे की मांग है । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो कटौती का प्रस्ताव माननीय जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है उसे अस्वीकार किया जाय ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—चेयरमेन महोदय, सबसे पहले तो मैं मंत्री महोदय को इस बात के लिये धन्यवाद दूं कि उन्होंने शहर को माननीय बना दिया, जिसका मुझसे सम्बन्ध रहा है ।

३५ हजार देने का उल्लेख कर दिया, पर नुक्ता यह है कि यह ३५,००० देकर कितना होने वाला घाटा बचाया है । मेरी समझ में नहीं आया माननीय चेअरमैन महोदय, कि यह घाटा कौनसा बचाया गया ५,००,००० रुपया देने के बारे में जो एग्रीमेंट हुआ था उसके बाद अगर आप आंख मूंद कर बैठें, सामने वाला कागज लाया तो आंखों में धूल डाल कर दस्तखत करें, नोटिस देने की जरूरत हो उस वक्त नींद लेते हुए पड़े रहें, कानूनी कार्यवाही की आवश्यकता हो उस समय ध्यान नहीं देवें और अंत में कहें कि घाटा हो रहा था, तो क्या मुनाफा होगा ऐसे लोगों को ?

मेरी शिकायत तो थी कि १,२५,००० मुफ्त में देने के बाद अपने सिर पर घाटे की स्थिति पैदा करने वाले लोग आपसे रुपया मांगते हैं; किस बात का दिया जाय, मेरे करने से, राज्य को जनता के करने से यह घाटा नहीं हुआ ।

मुझे तो कोम्प्लीमेंट्स इस प्रकार के मिलते हैं, पर मन्त्री महोदय खुद को कोम्प्ली-मेंट्स देने के लिये आ गये । उन्होंने कहा कि तथ्यहीन, बेबुनियाद बातें कहीं । मैं सदन का ध्यान आकर्षित करूं, पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की उस रिपोर्ट की तरफ जिसके माननीय सदस्यों के नाम देखें तो मालूम होगा कि तीसरे नम्बर पर नाम है श्री बृजसुन्दर शर्मा । फिर मैंने इसमें मिनट्स हैं

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

वे देखे तो मालूम हुआ कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स का एग्जामिनेशन अक्टूबर में हुआ था और माननीय बृजसुन्दरजी शर्मा ने नवम्बर में अपना त्यागपत्र दिया। कमेटी ने एग्जामिनेशन्स किये थे, जिस मुताबिक लिखा और मत बनाया तब तक इस कमेटी के सदस्य थे और अब उनके ख्याल से अब जो इसमें लिखा है वह तथ्यहीन और बेबुनियाद है। बाद में उनके दस्तखतों का काम है। तो तथ्यहीन और बेबुनियाद का तो यह हाल हो गया।........

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैंने जो तथ्यहीन बताया, वह पी. ए. सी. की रिपोर्ट है; उसे तथ्यहीन थोड़े ही बताया है। ३५ हजार का प्रश्न उस वक्त आया ही नहीं था।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मुझे संतोष है कि कम से कम रिपोर्ट के साथ तो रियायत हो रही है, पर वह रिपोर्ट नुकसान देने वाली चीज है, क्योंकि इस रिपोर्ट में लिखा है :

"This alone should suffice to show that a most complacent attitude has been shown by the State Government by making these further payments."

५,००,००० रुपयों के एग्रीमेंट के बारे में एतराज नहीं है। कमेटी का एतराज यह है कि राजस्थान बनने के बाद एक लाख देते हुए जांच क्यों नहीं की और उस वक्त जांच करके कान एंठते तो एक लाख भी बच जाते और यह ३५ हजार भी बच जाते और जिस कमेटी के लिए रेस्पेक्ट के तरीके से कहा जा रहा है उस कमेटी ने यह कहा है :

" The whole amount of Rs. 1,25,000 which the State Gevernment had invested in this concern can be taken as more or less lost. "

× × × ×

"Presuming on the bonafides and good faith of the party the money was made availabls to it. later on it was discovered that the whole thing was a fraud. "

जो सरकार अपने आपको फ्रोड के लिए ओफर करे, उसे कोई धोखा देकर न ले जावे और फिर भी अगर यह कहा जावे कि हमने तीन लाख रुपया बचाया, मैं समझता हूं कि यह राय, राय की बात नहीं थी, समझ की बात है और राय समझ के बाद बनती है और समझ में कोई किसी की मदद नहीं करता। इसलिये ये रुपये तो सिर्फ हमारी नेग्लीजेन्स, अज्ञानता और हमारे इस ओर ध्यान न देने के कारण ही....

श्री बृजसुन्दर शर्मा—दावा करके वे रुपया वसूल कर लेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—वे तो पैदा ही दावा करने के लिए हुए है। वे तो दावा करेंगे। करें। यदि उन्होंने दावा किया और उनके दावा करने की वजह से आप डर कर अपने पास सुई का धागा लेकर कहें कि हम इसके जरिये से बचना चाहते हैं तो आप नहीं बच सकते। अगर आप इससे डरते हैं तो सरकार से अलग हो जाइये। उन लोगों के साथ पार्टी खाने से यह प्रश्न हल नहीं हो सकता। ऐसे दावा करने वालों से अगर आपको बर्ताव करना है तो उनके साथ दावतें खाना छोड़ दीजिये और उनके कान पकड़ पकड़ कर दबाना पड़ेगा और अगर न मानें तो नियमों से उनको दूर करेंगे। डालमिया ने दो लाख "To and Through" के शब्द बीच में जोड कर, वे भी दावा करने बैठे थे, दावा करने की धमकी दी थी।

प्रश्न यह है कि जिस कन्सर्न का नाम निशान नहीं, जिसने जयपुर में एक चीज खरीदी नहीं; कम्पनी जैसे उद्योग में सारा का सारा एरिजस्ट होने में १,२५,००० रु० और ३५,००० रु० खर्च हो गया यानि १,६०,००० रु० खर्च हो गया। मुबारिक हैं हमारी उस सरकार को जिसने १,६०,००० रु० किसी को ओब्लाइज करने में खर्च कर दिया, लेकिन यह रुपया लोगों के फायदे के लिये नहीं खर्च हुआ।

दूसरी बात यह कही गई है कि यह फाइनेन्स कोरपोरेशन के करने की चीज है, और कानून न बनाये और राज्य सरकार ने जो अनसब्सक्राइब्ड केपिटल रह जावे उसको लेने का जिम्मा लिया है, लेना पड़ेगा। मैंने इस बारे में एतराज नहीं किया। जो केपिटल अनसब्सक्राइब्ड है वह क्यों न लिया जावे। मैंने यह एतराज किया कि जो केपिटल रिजर्व बैंक में लिये गये हैं उसे ऐसे हाथों में क्यों सौंपा है, जहां पर वे सेफ न हों। आपका यह कहना कि यह काम फाइनेन्स कोरपोरेशन के करने का है। लेकिन यह मुगालता किसी और को देने से काम चलेगा। लेकिन चेयरमैन को मनोनीत करना तो राज्य सरकार के हाथ की बात है और वह राज्य सरकार की तरफ से हो होता है। राज्य सरकार के अधिकार की बात यह थी कि वह किसी इमानदार आदमी को ऐसे स्थान पर बिठाती, तो उनको रोज रोज अन्धेरे में लालटेन लेकर किसी व्यक्ति को ढूंढने की आवश्यकता नहीं रहती। आप बजाय रात में अन्धेरे में टटोलने के दिन में लालटेन लेकर घूमते तो आपको आसानी से आदमी मिल सकता। आप आॅर्डर निकाल देते हैं और आॅर्डर पर दस्तखत हुए हैं फाइनेन्स सेक्रेट्री के बाई आॅर्डर, हिज हाईनेस दी राजप्रमुख। उसका इससे क्या लेना देना? यह तो आपके किये हुए ही काम हैं मगर कानून की आड में इस प्रकार किया जाता है। आप देखते हैं कि कानून की आड में हमें यह क्यों कर करना है? हमको किसी न किसी को तो इसके लिए नियुक्त करना ही है, मगर ऐसे आदमी को करना चाहिए जो काम अच्छा करे और इमानदार हो। हमको काम इमानदार आदमी के हाथ में देना चाहिये। अगर नहीं देते हैं तो इसी प्रकार से लौस निकलते हैं।

तीसरी बात कही गई जिप्सम कम्पनी के बारे में। बीकानेर जिप्सम कम्पनी बीकानेर लिमिटेड, जिसमें एक लाख रुपया और व्याज लगाने का उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि व्याज से ज्यादा पैसा मिलेगा, मेरे एक माननीय सदस्य कह रहे हैं कि रोयल्टी छोड़ देते हैं। जब माइनिंग

Page No.30

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

विभाग का जिक आवेगा तब समुचित रूप से इसका जिक्र हो जावेगा । मैं अपने माननीय मित्र से यह निवेदन करूंगा कि अभी माइनिंग विभाग का जिक्र नहीं है। इसलिए रोयल्टी के प्रश्न में न जाते हुए यह कहूँगा कि जो दृष्टिकोण है वह बुनियादी है, जो यह सोचे कि हमने पूंजी लगाई है और हमें व्याज से ज्यादा रुपया मिल रहा है । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बनिये को सरकार नहीं है जो व्याज बट्टे करती रहे । अगर आप बिजनेस नहीं जानते, बिल्कुल अनभिज्ञ हैं तो आपको चाहिये कि आप बिजनेस के जाननेवालों से सलाह लेते । आप यदि इस संबंध में बिजनेस के जानने वाले किसी भी अनाड़ी से पूछलें तो वह आपको बतलायेगा कि अगर बैंकों में रेट ४ प्रतिशत है तो दूसरे नेशनल ओरगेनाइजेशनों से ८ प्रतिशत व्याज आना चाहिये । आप रुपये किसी को उधार दे रहे हैं या उद्योग में लगा रहे हैं । जब आप उद्योग में लगा रहे हैं तो रेट ओफ इन्ट्रेस्ट से ज्यादा प्रोफिट मिलना चाहिए । यह बात फाइनेन्स मिनिस्टर के मुख से हम सुनते हैं कि हमें प्रोफिट मिल रहा है और इन्ट्रेस्ट से ज्यादा रुपया मिल रहा है । लेकिन उन्होंने पांच वर्ष के बेलेन्स शीट का जिक्र नहीं किया और ५ वर्ष के बेलेन्स शीट का नतीजा क्या है और यह क्यों नहीं होता, यह इसलिए कि ये जो बाजार में जगलर्स रहते हैं जो किसी का रूमाल उठा कर ले लेते हैं और किसी दूसरे की जेब में से निकाल देते हैं और फिर कहते हैं कि ताली बजाओं बच्चा लोग; यह रूमाल इधर से निकला आया । इसी प्रकार यह जगलरी की जाती है । अभी अभी माननीय मंत्री कह गये कि भारत सरकार से अगर कर्जा लेते तो उनको ४ प्रतिशत और किसी किसी मामलों में ४॥ प्रतिशत व्याज का देना पड़ता, लेकिन उन्होंने ३। प्रतिशत के हिसाब से रुपया ले रखा है । यह बिल्कुल है कि आपने कम व्याज से रुपया ले रखा है । इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि कम व्याज से रुपया क्यों लिया। अगर आपको कर्ज लेना है तो इससे ज्यादा क्या बुद्धिमानी हो सकती है कि सबसे ज्यादा सस्ते व्याज पर मिले तो बहुत अच्छा है । ४॥ प्रतिशत के मुकाबले में ३। प्रतिशत व्याज के हिसाब से कर्ज लेना बहुत अच्छा है । पर प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न यह है कि दूसरों को रुपये आपको देने पड़े और बेकार का व्याज भरना पड़े और व्याज से कम आमदनी हो तो वह बुद्धिमानी नहीं बेवकूफी का धन्धा है । जिसके पास रुपया नहीं है वह व्याज पर रुपया लावे और वह सस्ते व्याज पर, यह तो अक्लबन्दी का काम है लेकिन एक तरफ तो वह ३ प्रतिशत की दर व्याज देकर रुपया किसी से उधार लावे और दूसरी तरफ वह अपनी जेब से रुपये उड़ाता जावे और इस तरह से उनको उड़ावे कि उन रुपयों का एक टका वापिस नहीं आवे, इसमें कोई फायदा नहीं । यह कहां कि अक्लबन्दी है कि आप रुपया लगावें और उसका आपको कोई लाभ नहीं मिले । रुपया लगाया जा रहा है किन्तु उसका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है । जो रुपया सरकार ने लगाया है न लगाती तो क्या होता, अगर निठल्ले बैठे रहते तो ५ वर्षों में २५ लाख का नेट प्रोफिट होता क्योंकि अगर वह रुपया नहीं लगाया जाता तो वह सिक्योरिटी में जमा होता और अगर वह जमा होता तो वेज़ एन्ड मीन्स के लिये जो एडवान्सेज़ लिये हैं उनके लिये कम रुपया लेना पड़ता और उसका कम व्याज लगता और २६ लाख रुपए देने के बजाय ५ लाख से काम चल जाता ।

यह है बात । भारत सरकार के व्याज से, अमेरिका के व्याज से या यहां के सूदखोर बनियों के व्याज की दर जो है उनसे कम्पेरिज़न नहीं कर रहा हूं । कम्पेरिज़न तो यह कर रहा हूँ कि

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

एक तरफ तो रुपया लाये बैठें है ब्याज पर और दूसरी तरफ रुपया लगा रहे हैं उद्योगों में और और उसका रिटर्न नहीं मिलता है। इसका जवाब वित मंत्री महोदय दें, और मैं मानूं। दें उसका जवाब ? रिटर्न और इनट्रेस्ट चार्जेज़ में क्या जाता है ? और मैं यह कहता हूं कि वे यह साबित कर दें कि मेरे आंकड़े गलत हैं। मैंने आंकड़े दिये हैं उसी पी. ए. सी (पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी) का उल्लेख करके जिसकी अथोरिटी उन्होंने स्वयम् तस्लीम की है। उसका जवाब वे न दे पाये और न वैसी स्थिति है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं चेयरमेन महोदय कि उसका जवाब सुनने के पहले मेरी दस फी सदी यह राय थी कि पैसा नहीं देना चाहिये, किन्तु जवाब सुनने के बाद मेरी यह राय ६६ फी सदी हो गई है कि यह रुपया नहीं देना चाहिये। या तो इसमें कहीं घोटाला है, या काम करने में कहीं घोटाला है। यह बात निश्चित है कि यह पैसा नहीं देना चाहिये और मेरा यह पूरा मत है। सदन में इसका मत ले लें। राजस्थान का हित चाहने वाले और राजस्थान को फलता-फूलता देखनेवाले यह जो पैसा डुबोया जा रहा है उस पर रोकथाम लगायें और इस प्रस्ताव पर मैं यह अपनी राय पेश करता हूं

(विराम)

उनके पास कोई जवाब नहीं है।

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह)—प्रश्न यह है कि श्री एच के व्यास ने मांग सं० ६६ पर जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसको पास किया जावे ?

(मत—दान के पश्चात्)

ना पक्ष जीता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—'हां' पक्ष जीता।

('ना पक्ष जीता' ऐसी आवाज)

श्री सभापति—ना पक्ष ज़ीता, कट मोशन गिर गया।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ६६ मेजर हैड ७२-औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत के सिलसिले में ३१ मार्च, सन् १६५६ के वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित श्रीमन् राजप्रमुख को १० लाख १४ हजार की राशि प्रदान की जावे।

(मत--दान के पश्चात्)

हां पक्ष जीता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उधर से किसी की आवाज नहीं आई।

श्री सभापति—बोलने वाले बहुत सारे थे, लेकिन धीरे धीरे आई है आवाज।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जब मुद्दई सुस्त है तो फिर क्या ?

श्री सभापति—हां पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या ६५-कृषि सुधार व अन्वेषण परियोजनाओं पर पूंजी की लागत

श्री रामनिवास मिर्धा (कृषि मंत्री)—चेयरमेन महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुपूरक अनुदान के लिए मांग संख्या ६५, मेजर हैड ७१-कृषि सुधार व अन्वेषण परियोजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, सन् १९५६ की समाप्ति तक किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को ८.२० हजार रूपये तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री सभापति— (श्री कृषि मंत्री से) इस पर कुछ कहेंगे ?

श्री रामनिवास मिर्धा—It is self explanatory.

श्री सभापति—If you want to clarify. All right, Shri H. K. Vyas.

श्री हरिकृष्ण व्यास—It is an acceptance of defeat before starting.

(विराम)

चेयरमेन महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कहने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर सदन का क्यों समय जाया किया जाय ?

("आप तो अपना प्रस्ताव रखिये' इस प्रकार की आवाज)

मैं अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं। मेरा कटौती का प्रस्ताव यह है चेयरमेन महोदय, कि इस मांग में १ हजार रुपये की कटाती कर दी जावे।

श्री चांदमल मेहता—सिर्फ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सिर्फ । अक्लमन्द के लिये इशारा ही काफी है । इस खयाल से कि इस विभाग में जो कृषि के सुधार के सिलसिले में मशीनरी इत्यादि है और जो खरीदी जा रही है न तो उसकी हिफाजत होती है और हिफाजत ही नही होती है बल्कि उसका दुरुपयोग होता है ।

जो एक्स्प्लेनेटरी मेमोरेन्डम दिया गया है माननीय चेयरमेन महोदय, उसमें यह कहा गया है कि यह मांग चट्टानों को भेद कर और चट्टानों को उड़ाकर कुओं को गहरा करने हेतु कम्प्रेसर युनिटों के खरीदने पर किया जाने वाला अतिरिक्त खर्चा प्रदर्शित करती है । यह मैं इस भाषा को इस रूप में समझा हूँ कि शायद सरकार ने कुछ कम्प्रेसर युनिट्स खरीदे हैं और जो लगभग ८ लाख से ज्यादा रुपया है वह उन्हीं कम्प्रेसर्स युनिट्स के लिए हैं । काल्टार्स के खरीदे हैं । अब नये और पहले से जो सरकार के पास है वे तो हैं ही । मैं यह साबित करूं चेयरमेन महोदय, कि यह बात सही है कि राजस्थान जैसे प्रांत में जहां दुष्काल भी पड़ता है और जहां कुए भी गहरे होने चाहिए और जहां के लिए पानी एक बहुत आवश्यक वस्तु है उसके लिए मशीनरी के जरीये कुओं को गहरा करना चाहिए और इसमें दो मत नहीं हो सकते । पूरी की पूरी मांग को नामंजूर की जाय, ऐसी राय राजस्थान के किसान का हित चाहने वालों की हो नहीं सकती है बल्कि अलबत्ता यह उसकी जरूर इच्छा होनी चाहिए और है कि यह जो लाखों रुपया लगता है उसका पूरा का पूरा फायदा उस राजस्थान के किसान को या वासिन्दे को मिले । अब यह मिलता है या नहीं ? मेरे प्रस्ताव के अनुसार तो नहीं मिलता है । और वह नहीं मिलता है उसके बारे में दो-चार सबूत आपके जरिये सदन में प्रस्तुत करूं, जो माननीय मंत्री महोदय को आसानी से समझ में आने वाले साबित हों । यह जो कुओं की खुदाई का, डिपनींग एण्ड बोरिंग, पलेटिंग एण्ड डीपनिंग का जो है उसका नो प्रोफिट नो लोस बेसिस के हिसाब पर काम चलता है । और मेरी जहां तक जानकारी है ओन एन एवरेज सरसरी तौर पर और उससे ज्यादा भी गिनवा लें राजस्थान के एग्रीकल्चर विभाग ने ५०), ६०), ७०), ८०) और कभी कभी तो ९०) रुपया फीट के हिसाब से किसानों से चार्ज किया है कुओं की डीपनिंग के लिए । मैं तीन चार पांच साल के पूरे अर्से का जिक्र कर रहा हूं । अभी अभी उसकी रेट कुछ कम की गई है । लेकिन अगर आप एवरेज निकालें तो ७०), ८०) और ९०)रु० एक फीट के गहरा करने के लिए कुओं का चार्ज इस विभाग द्वारा किया जाता है और किया गया है और जिसके लिए यह मांग मंजूर की जा रही है । अब यह जानकारी मिलना जरा मुश्किल है चेयरमेन महोदय, कि यह वाजिब है या नहीं । विभाग से पूछें तो एक ही जवाब मिलता है कि नो प्रोफिट नो लोस, लेकिन अगर कहीं लिया हो तो उसका बोझा तो फिर किसान के सिर पर ही है । दूसरी कम्पनियां मुनाफा कमाने के बावजूद भी ३०) फीट के हिसाब से डिपीनिंग और पलेटिंग का चार्ज करती है और कोटा के पास जो चम्बल परियोजना है और वहां पर जो कम्प्रेसर्स काम कर रहे हैं इरीगेशन डिपार्टमेंट के मातहत, मंत्री महोदय को ध्यान होना चाहिये ।

यहां पर ठेका दिया गया है मेरी सूचना के अनुसार, २२ रूपया प्रति फुट के हिसाब से ठेका दिया गया है । वह भी बहुत ज्यादा है, जैसा कि एक मेरे माननीय मित्र कह रहे हैं । लेकिन विभाग तो ५०, ६०, और ७० रूपये से तो कम है । यह पहला इन्डीकेशन मिलता है, जानकारी मिलती है, कहीं न कहीं कुछ गंभीर किस्म की खामी है । वह इस बात से कि एक फुट डीपनिंग का औसत खर्चा किसान

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

से कितना वसूल किया जाता है और फिर यह कहा जाता है कि यह तो नो प्रोफिट नो लोस बेसिस पर चला रहे हैं इस पूरी की पूरी स्कीम को। अब हमें इसकी गहराई में जाना चाहिये कि ऐसा क्यों होता है, ज्यादा रूपयों का बोझा किसानों पर क्यों पड़ता है, इसका कारण मशीनरी की खरीद की जाती है; कभी किधर से कभी किधर से। इस बात का उल्लेख अभी मैं नहीं करूंगा। जहां तक मशीनरी परचेज़ का इतिहास है वह एक लम्बा इतिहास है। मैं तो अभी केवल इतना ही कहूँगा कि खरीद बड़ी जल्दी की जाती है लेकिन उसको रखने की क्या व्यवस्था है। यह जो ८ लाख रूपये की मशीनें खरीदी गई उसी मशीनरी के सिलसिले में अर्ज करूंगा चेयरमेन महोदय, ये मशीनें पड़ी हुई हैं जयपुर के अन्दर सांगानेर दरवाजे के बाहर पहले जहां एग्रीकलचर का दफ्तर था और अब भी चल रहा है। हालां कि सचिवालय के कागजों में जैसा कि उल्लेख है उसके हिसाब से वह वहां तो रहना नहीं चाहिये और दूसरे दफ्तर भी इस विभाग में ला रखे थे। जैसा कि प्रोपोज़ल भेजा गया था उसके अनुसार वहां से दफ्तर हट जाना चाहिये था। उसके न हटने से भाड़े के रूप में जो दो-चार हजार रूपया खर्च हुआ वह अलग।

जिस जगह मशीनरी रखी हुई है कम्प्रेसर यूनिट हारवेस्टर कम्बाइन जो सारे राजस्थान में केवल एक ही है। उसकी हालत यह है कि बरसात के दिनों में वह तालाब की तरह भर जाता है। स्टोर्स में जितने इन्सेक्टिसाइड रखे जाते हैं उसकी हालत यह है कि उस स्टोर के अन्दर तीन तीन फुट पानी भर जाता है। इस साल जयपुर में जब कि बहुत बरसा हुई तब की बात कर रहा हूँ।

केवल पानी ही भरा हो, इतना हो नहीं। उस कम्प्रेसर्स का एक आवश्यक पुर्जा था, वह भी पानी में डूबा हुआ था। जिस दिन इस प्रकार की बरसात हुई उस दिन की यह स्थिति थी। उन दिनों में इस विभाग के कर्मचारी जो थे उन्होंने वहां से पानी को निकालने के लिये काफी प्रयत्न किये और उधर से गलियों से पानी दफ्तर में आ रहा था। उसके बाद जब १०-१२ दिन के बाद फिर बरसात हुई तब भी यही हालत थी। जीपों के टायर ट्यूब चार चार पांच पांच फुट गड़े हुए पाये गये। मेरे पास उस दिन की तारीख और वक्त भी मौजूद है। इस पर भी आप को यकीन नहीं हो तो यह नवम्बर महीने की बात है; एक बरसात हुई थी ११ अगस्त को, उसके बाद फिर जब बरसात का मौसम खत्म हुआ तो फिर एक दफा जोर से बरसात हुई। उसके बाद ८०० रुपये का मोबिल ऑइल उनके लिए तीन दिन में खर्च हुआ। यह मैं मानता हूँ, यह ठीक हुआ होगा क्योंकि जो सारा मोबिल ऑइल मशीनों में लगा हुआ था वह बह गया था इसके लिये एक एक मशीन के पुर्जे में तेल दिया गया होगा। केवल ट्यूब टायर ही नहीं डूबे थे बल्कि मोबिल ऑइल में भी पानी घुस गया था। इस तरह से सारे दफ्तर के अन्दर मोबिल ऑइल ही आइल पानी पर तैरता हुआ नजर आता था, जो रोशनी में चमकता था। मैं यह बातें माननीय चेयरमेन, आपके जरिये सदन से अर्ज करना चाहता हूँ कि यदि मेरे कहने में किसी प्रकार की अतिशयोक्ति हो तो वे दफ्तर के रेकर्ड से मालूम कर सकते हैं कि इसके लिए मोबिल ऑइल कितना खर्च हुआ। मैं दावत देता हूँ इसकी आप जानकारी करिये, आइ

अनुपूरकमांग संख्या ६५-कृषि सुधार व अन्वेषण परियोजनाओं पर पूंजी की लागत ३८२

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

विटनेस (eye witness) लीजिये, आपके डिपार्टमेंट के रेकर्ड को देखिये कि मोबिल ऑइल कितना खर्च हुआ, कितने पैसों का खर्च हुआ। मैं यह नहीं कह सकता कि यह जानकारी डी. जी. एस. डी. को कर दी गई हो। लाखों रूपयों की मशीनरी का यह हाल है।

अब आगे चलिये इसका प्रयोग किस प्रकार होता है। आज मुझे अफसोस है कि वे माननीय सदस्य आज हमारे बीच में नहीं है जिनको इस बात का कटु अनुभव है इस मशीनरी के प्रयोग के सिलसिले में। वे कई बार इस बात का जिक्र करते थे। एक छोटी सी भी चीज की कमी हो गई तो झट उनके यहां से आदमी दौड़ कर यहां आता था, वह तीन दिन तक उस कार्य में लगा रहता था, उसके लिए जितना भी खर्चा होता था वह सब उस गरीब किसान के मत्थे पड़ता था। मुझे उन चीजों का नाम याद नहीं जो इसके प्रयोग में आते थे ज्यादा नजदीकी नाम जो होते हैं उनको याद रख लेता हूँ जिस २ चीज का प्रयोग होता है वह if it forms out to be dud तो सारा किसानों के सिर पर १०,१२ रूपये बिगड़ गये। यहां हाल यह चल रहा है कि जितना रूपया जमा हुआ उतना ही खर्च हो गया, इसी तरह से वे नो प्रोफिट एन्ड नो लोस का अकाउन्ट बना देते है यह भी बात नहीं। पहले तो ऐसा होता था कि जो रूपया जमा हो गया वह ट्रेज़री में जाने से पहले खर्च हो जाया करता था इधर उधर लेने देने में। इस पर जब रोकथाम लगी तो एक फर्जी केश बुक बनाई गई। जो ऑडिट रिपोर्ट में इस केश के सिलसिले में जिक्र है जब कभी प्लान्ट प्रोटेक्शन के सिलसिले में जिक्र आयगा तब जिक्र करूंगा। अकाउन्ट आफिस के कर्मचारियों की गवाहियां होंगी, केश बुक मुंह से बोलती है कि वह फरजी बनाई गई है।

चेयरमेन महोदय, मैं अब एक गंभीर बात का जिक्र करना चाहता हूँ इस विभाग की मशीनरी के दुरूपयोग के बारे में। येन केन प्रकारेण विशेष व्यक्तियों को यह काम करने के लिए मुफ्त में मिलती है। बगैर एप्लीकेशन के यह ट्रेक्टर बगैर एडवान्स जमा कराये काम करता है उनके फार्म्स पर। आप पूछेंगे वह कौन है और कब काम करता है, किस जगह और कब से काम करता है। मैं जवाब दूंगा ट्रेक्टर आर. जे. एल. 34. 95. caterpillar D. 54 तारीख १,७,५५ को गया श्री कुम्भारामजी के फार्म पर और उसने कुल मिलाकर २० घंटे काम किया; एक तारीख से चार-पांच तारीख तक। मुझे जहां तक जानकारी है इसकी कोई एप्लीकेशन नहीं। इसके विभाग के पास कुम्भारामजी के कोई पैसे जमा नहीं हुए।

इसका जॉब नहीं खोला और कल शाम तक इसका बिल नहीं बना। यदि इन्कार करेंगे मन्त्री महोदय तो फिर मैं माकूल जवाब दे पाऊंगा बाद में। मैं चाहता हूँ कि वे इन्कार करें। मेरी उनको दावत है कि वे इन्कार करें और नहीं तो पेश करें सदन के सामने कि यह है एप्लीकेशन, यह है आर्डर और यह जोब खोला है और यह है बिल। और नहीं तो मुझे मौका दें। मैं पेश करूं और भी बहुत सी जरूरी जरूरी बातें जो माकूल हैं, सही हैं और जिनको अंग्रेजी में कहते हैं

३८८२ अनुपूरक मांग संख्या ६८–कृषि सुधार व अन्वेषण परियोजनाओं पर पूंजी की आगत

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

इनक्रिमिनेटिंग । यह एक मिसाल है । मैं मौका आने पर तो इधर उधर से और भी कई बातें कई मिसालें पेश कर सकता हूँ । यह एक ही मिसाल हो, यह बात नहीं है । मोटर गाड़ियों की रिपेयर होती हैं । सरकारी वर्क शोप में । उनकी भी इन्डिविजुअली सूची देने को मैं तैयार हूँ, मालूम नहीं किसने फोटो वोटो खींच लिया, यह उनको मालूम ही नहीं होगा । पर मैं ने एक मिसाल ऐसी दी है । इतने बीसों मन गेहूँ में से एक मुट्ठी गेहूँ लेकर आप परख लें और जिस समय यह कार्य हुआ था वे मंत्री पद पर आसीन थे और २७ तारीख को टेलीफोन चला था इस कार्य के लिये । यह भी मैं आपकी सेवा में अर्ज कर दूं और भी इसकी तफसील है जो मंत्री महोदय के इन्कार करने की स्थिति में मैं प्रस्तुत करूंगा ।

लेकिन यह इस बात का सुबूत है कि दुरुपयोग होता है सरकारी साधनों का, सरकारी रुपये का और सरकारी चीजों का और भयंकर रूप से दुरुपयोग होता है । मैंने एक मिसाल दी इस वजह से एक ही ऐसा वाक्य है ऐसी बात नहीं है, बहुत से हैं । अलबत्ता आवश्यकता पड़ने पर पूरा की पूरी तफसील में जाना सम्भव हो सकेगा । लेकिन आज इस सप्लीमेन्टरी डिमान्ड के समय केवल सरकार का ध्यान आकर्षित करने की दृष्टि से अर्ज कर रहा हूँ कि इस प्रकार की बड़ी भारी अव्यवस्था है, इसे आप ठीक करिये । इतना ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन टाइम पर नहीं आती, फाइनेन्शियल इरेगुलेरिटीज़ की तो यह हालत है कि इस स्कीम में काम करने वाले ड्राइवर्स रोते फिरते हैं, तनख्वाह नहीं मिलती उन्हें । डेढ़ डेढ़ साल से नहीं मिली है । कई कई लोगों को तो आठ आठ महीने बाद मिली है और कई कई लोगों को तो दो दो महिने का एडवांस ही मिला है; कहते हैं क्या करें सरकार से मन्जूरी नहीं आई । पर आपने यह भी कभी सोचा कि बिचारों को बनिया किसकी मन्जूरी से धान देगा । वे मजदूर बिचारे अपने पेट की भूख को किसकी मन्जूरी से रोक लेगा । कभी टी. ए. का बिल नहीं आता है, कभी डी. ए. का यही हाल है । लम्बी चौड़ी अकाउन्ट्स की तफसील में मैं नहीं जाना चाहता । यह सदन का काम भी नहीं है तफसील में जाना । यह तो कमेटियों का काम है । वे करेंगे तो ठीक है, नहीं तो और कोई करेगा । लेकिन आठ लाख की जो मन्जूरी ली जा रही है उस सिलसिले में मैं अर्ज करूं कि खरीद के अन्दर, खरीदने के बाद इसके अपकीप में और अपकीप के बाद उसके प्रयोग में इन तीन चीजों में यह हालत है सरकार के प्रबन्ध की । तो यह काम तो अच्छा है, इससे कोई इन्कार नहीं करता, इसमें दो रायें नहीं हैं, पर काम यह गलत तरीकों से किया जा रहा है । मशीनरी चाहिये पर दुरुपयोग करने के लिये नहीं, लाखों रुपया खर्च करके कम्प्रैशर लाइये पर बरसात में पड़ा सड़ने के लिए नहीं, और इस बात का आपस में बैठ कर लूट खसोट करने के लिये नहीं, इन बातों का सदुपयोग करने के लिए मशीनरी चाहिए । बाड़ खुद ही खेत को खाने लगे, इसके लिए नहीं । तो ऐसी हालत होने से मैं समझता हूँ कि गम्भीर रूप से सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना जरूरी है, सदन के साथ साथ लोगों का ध्यान आकर्षित करना जरूरी है और मन्त्री महोदय का निजी तौर से भी ध्यान आकर्षित करना जरूरी है और यदि इस बात की गम्भीरता को उन्होंने महसूस किया हो तो इसको बताने के रूप में जो मैंने टोकन कट किया है सो

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

रुपया का उसको स्वीकार करके गम्भीरता महसूस करने का अपना सुबूत वे दें, प्रदर्शन करें कि वे इस बात की ओर इस अव्यवस्था को इतनी ही गम्भीरता से दूर करने के लिए चिन्तित हैं और आतुर हैं। हमारे और उनके उसूल में कोई मतभेद नहीं हैं। तरीको में विरोध है, उसूलों में नहीं। तरीकों में उनको भी सहमत होना चाहिये, अगर ईमानदारी से प्रगति की ओर इस प्रान्त को वे ले जाने के इच्छुक हैं तो। इन शब्दों के साथ मैं अपनी कटौती प्रस्ताव सदन की सम्पत्ति के लिए प्रस्तुत करता हूँ।

श्री मुक्तिलाल मोदी--इसका समर्थन करूंगा साहब मैं?

श्री गोपीलाल यादव—किसी और से करा दो।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—कोई और है ही नहीं, इन दो के अलावा।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय चेयरमेन महोदय, व्यासजी ने जो कटौती का प्रस्ताव रक्खा है उसका मैं सपोर्ट करता हूँ।

यह जो आठ लाख रुपयों का जिक्र है वह एक साल पहले भी इसी तरह से मशीन खरीदने के सम्बन्ध में हाउस में जिक्र में आया था। उस वक्त ये रुपये बजट से लैप्स हो गये थे और उस वक्त यह रुपया इसलिये लैप्स हो गया था कि उस वक्त के एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब किसी और पार्टी में इन्टेरस्टेड थे, मशीनरी खरीदने के बारे में, पर अखबारों वगैरह में हो-हल्ला होने से उस वक्त यह रह गया।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अब तो यह आठ लाख में खरीदने की बात कही जा रही है। इसके बारे में मैं बताऊं आपको कि ज्यादा कम्प्रेसर का खर्चा तीन रुपया, चार रुपया फुट का पड़ता है पर सरकार इन गरीब किसान मजदूरों से ३०), ३५) और ४०), ४०) रुपया फुट वसूल करते हैं।

श्री गोपीलाल यादव—तो ठेका ले लीजिये आप।

श्री मुक्तिलाल मोदी—लो, मैं तैयार हूँ आठ रुपये में लेने को, दस रुपये में ले लूंगा। आठ रुपये में पक्का रहा। असेम्बली के सामने जबान करता हूँ मैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ठेका देने के बजाय ठीक से इन्तजाम ही कर दीजिये न आप।

श्री मुक्तिलाल मोदी—तो मैं तो यह कहता हूँ कि कम्प्रेसर में सरकार इतना अधिक चार्ज क्यों करती है ? फिर यह भी है कि कम्प्रेसर एक तहसील में जाता है, वहां एक कुआ खोदा और वापिस जयपुर भागने की सोचता है । अब उसी तहसील में, उसी गांव में अगर किसी और किसान को कुआ खोदने की जरूरत पड़ी तो उसे फिर जयपुर का चक्कर लगाना पड़ता है और फिर उसे वहां से लाने और पहुँचाने का खर्चा देना पड़ता है । यह नहीं करता कि डिपार्टमेंट कि जिस वक्त वह एक तहसील में जावे वहां यह सूचना दे दे कि जिस जिस को कूए खुदाना हो वह इतला कर दे, कम्प्रेसर उस फलां तहसील या जिले में दस, पन्द्रह या बीस दिन या पांच दिन या महीने के लिए रहेगा । तो यह तो समझ में आ सकता है । पर यह क्या तरीका कि एक के कुआ खोदा और भागा जयपुर और फिर किसी को वहीं जरूरत पड़ी तो फिर भागो जयपुर उसे लाने के लिए ।

अब आपको ताज्जुब होगा वाटर बोर्ड है । उसने ४००) रुपया महीने में एक कम्प्रेसर लिया है और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से लिया है । कितने कुए वह खोदेगा और कितने फीट एक दिन में खोदेगा ? एक कम्प्रेसर सौ फीट खोद सकता है । इसका रेंड जो खोदने का है वह ५५) रु० में आता है ।तो ज्यादा खर्चा नहीं आ सकता । हम तो बनिये हैं, ये सारी बातें जानते हैं । वे बनियों के पास नहीं आते । अब यह तो गवर्नमेंट का पैसा है, जिस तरह से लूटो वैसे लूटो । घर में से लगे पैसा तो मालूम पड़ता है ।

अब एक आना रुपया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड टैक्स लेता है तो उसको ही सरकार कम्प्रेसर दे दे । एक एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक, दो दो ही दे दे तो वह भी हिसाब ठीक बैठ सकता है और ज्यादा से ज्यादा छ छ और चार चार रूपया फीट के हिसाब से खर्चा बैठेगा । तो जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है और जो एक आना रूपया टैक्स लेता है उससे भी क्या इन्तजाम नहीं बैठा, जो वाटरबोर्ड वालों को यह काम सौंपा ?

तो कहना यह है कि आठ लाख रुपया भी खर्च करके अगर आपका इन्तजाम ठीक नहीं बैठा तो क्या फायदा ? किसानों को भी लाभ नहीं पहुँचे और सरकार भी यह रूपया लोन ही लेती है तो इस तरह राजस्थान सरकार पर एक कर्जे का भार भी बढ़े । तो यह हालत ठीक की जानी चाहिये और यह जो मशीनरी का तरीका बताया, और अब जो यह मशीनरी का तरीका बताया श्री एच. के. व्यास ने उसको सुनकर इतना दुःख हुआ कि यह जो ऑफिसर जितने भी बड़े २ बैठा रखे हैं, इन्जीनियर बैठा रखे हैं, उनके ड्राइवर बैठा रखे हैं, वह करते क्या हैं ? सरकार को चाहिये कि उन सारी चीजों की इन्क्वायरी करे और उस इन्क्वायरी के अन्दर यह बता देना चाहिये माननीय मंत्रीजी को आगे के लिए जो मशीनरी होगी, पहले की भी २,७ या पांच लाख की मशीनरी होगी और अब जो मशीनरी ८ लाख की आयेगी उसका किस तरह से क्या ? इन्तजाम होगा आगे तो कम से कम इस तरह की चीज न हो । तो यह जो ८ लाख की मांग की गई है वह बनिस्पत इसके तहसीलदारों के सुपुर्द करते, बनिस्बत इसके कि कलेक्टर के सुपुर्द करते तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि एक तहसीलदार ऐलान कर देता है कि एक कम्प्रेसर अभी १०-१५ रोज के लिए आया हुआ है । अभी क्या होता

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

है कि ३ दिन के लिए आता है तो फिर दूसरे कुए के लिए तीन दिन के लिए १५,२० रोज के बाद जाता है। तो आने जाने के कार्य में सरकार से वह खर्चा वसूल करते हैं, और एक नेजल टूट जाय जो कि दो तीन रूपये का है तो ऐसी हालत में जिस तरह से जो इन्तजाम आज का है तो वह (समय-समाप्ति सूचक घंटी) खर्चा किसान पर आ जाता है। वह फायदे की चीज नहीं है, नुकसान की चीज है। मन्त्री महोदय को सोचना चाहिये कि ८ लाख की जो मांग की गई है और जो कटौती प्रस्ताव श्री एन. के. व्यास ने रखा है उसका मकसद यह है कि जो मशीनरी निश्चित रूप से खरीदी जाय, लेकिन उसका इन्तजाम इस तरह से किया जाय कि जिससे किसानों का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके।

रावत श्री शम्भू सिंह—माननीय उपाध्यक्ष, जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने, जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करने के वास्ते खड़ा हुआ हूं। कृषि के उपयोगी यंत्रों के खरीदने के वास्ते जो राशि स्वीकृत की जाय उसमें कटौती कैसी ? यह तो एक जनहितकारी कार्य के वास्ते खरीदे जाने वाले यंत्र हैं। परन्तु जब ऐसे यन्त्रों के खरीदने में या उनके उपयोग में किसी प्रकार का दुरुपयोग हो तो उस पर विवाद करने के वास्ते यह एक टोकन कट प्रस्तुत किया गया है जो कि सर्वथा उपयोगी है और उपयुक्त है। माननीय उपाध्यक्ष, तफसील की बातों पर माननीय मित्र ने बहुत कुछ प्रकाश डाला और इसका किस प्रकार से दुरूपयोग हो रहा है उस पर काफी रोशनी पड़ चुकी है। इससे ज्यादा और क्या कह सकता हूं मैं ? परन्तु कुछ विचार ऐसे हैं जो यहां प्रगट करने आवश्यक हैं। यन्त्र खरीदे जा रहे हैं कृषि और कृषकों के हित के वास्ते, परन्तु उनका उपयोग होता है मंत्रियों के निजी फार्मों पर या विशेष वर्ग के या विशेष पार्टी के व्यक्तियों के फार्मों पर। तो क्या इन यन्त्रों के उपयोग में भी पार्टीबाजी या जातीयता जैसी कोई बात अपनाई जा रही है ? और यदि ऐसा है तो यह एक बहुत खेदपूर्ण बात होगी। माननीय उपाध्यक्ष, यह इतनी ज्यादा कीमतों के यन्त्र खरीदे जा रहे हैं और पहले भी खरीदे गये, मैं समझता हूं कि इनके खरीदने की आवश्यकता इस वास्ते ज्यादा पड़ जाती है कि इनका इस बुरी तरह से उपयोग किया जाता है कि वे समय के पहले ही बेकाम हो जाते हैं या नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। इस वास्ते फिर दुबारा जल्दी ही ऐसे यन्त्रों के खरीदने के वास्ते आवश्यकता प्रतीत होती है और वह यदि मांग की जाय ऐसे सार्वजनिक हितकारी काम के वास्ते तो सर्वथा उपयुक्त है। परन्तु जब उन यन्त्रों का इस प्रकार दुरूपयोग होता है तो खेद होता है। उपाध्यक्ष महोदय, यह यन्त्र कैसे काम करते हैं ? भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जहां तक मेरी सूचना है कि इस प्रकार के कम्प्रेसर्स कुओं को गहरा करने के वास्ते एक लम्बे अरसे से किसानों की मुतवातिर मांग हो रही है लेकिन वे नहीं आये, और उस डिस्ट्रिक्ट की तहसील सराड़ा, रूपाहेली, मांडल इत्यादि में मैं तो आपको निवेदन कर सकता हूं कि किसानों की लगातार मांग रही परन्तु बावजूद लगातार मांग के यह यन्त्र नहीं पहुंचाये गये हैं, और इधर नये यन्त्र भी खरीद लिये जाते हैं, और उनकी रकम इस सदन में मन्जूर कराने के वास्ते मांगें प्रस्तुत की जाती हैं तो क्या वह विशेष क्षेत्र के वास्ते ही यह यन्त्र खरीदे जा रहे

[रावत श्री शम्भूसिंह]

हैं या तमाम राजस्थान के वास्ते खरीदे जा रहे हैं। भीलवाड़े में कई स्थान ऐसे हैं जहां पानी काफी गहरा है। वहां चट्टान सख्त हैं, वहां की चट्टानों को तोड़ने के वास्ते ऐसे यन्त्रों की आवश्यकता है। किसान जिलाधिकारियों के थ्रू अपनी दरख्वास्तें भेजते हैं परन्तु कोई सुनवाई नहीं होती और यदि भूले भटके यन्त्र पहुंच जाते हैं तो जैसा कि मेरे माननीय पूर्ववक्ता ने बताया कि ६० रू फुट के हिसाब से खर्चा वसूल किया जाता है जब कि चम्बल नदी योजना में २२ रूपये फुट पर दिया गया है। मैं समझता हूं कि इनकी अपकीप नहीं होने से वे इतने अनफिट हो जाते हैं कि किसानों के कुओं पर काम करते बेकार हो जाते हैं और अपकीप पर समुचित ध्यान नहीं देने के कारण जो इन यन्त्रों में दोष आ जाते हैं कि फिर से नये यन्त्र खरीदने पड़ते हैं। जो एक्सपोज की चीजें होती हैं उनकी ठीक से सम्भाल करनी चाहिए। उनकी सम्भाल ठीक नहीं रखी जाती है और बरसात इत्यादि से नष्ट हो जाते हैं और वहां पर आकर बेकार हो जाते हैं और उसका बिल किसानों को चुकाना पड़ता है। अपकीप का सारा दोष किसानों के मत्थे. और सम्हाल का दोष किसानों के मत्थे और सम्हाल नहीं होने से यन्त्र जल्दी नष्ट हो जाते हैं और नये यन्त्र जल्दी से खरीदे जायं तो यह यन्त्र का खर्चा सरकार के मत्थे। तो फिर मैं समझता हूं कि मेरे पूर्व वक्ता ने जो विचार प्रकट किये हैं वे सर्वथा वाजिब हैं। हम यह नहीं चाहते कि इस प्रकार के कृषि कार्य के वास्ते उपयोगी यन्त्रों के खरीदने में कमी की जाय, परन्तु उनका सही प्रकार से प्रयोग, सही प्रकार से हिफाजत और सही प्रकार से किसानों के काम में वे लाये जाने चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि इन यन्त्रों की अब भी ऐसे स्थान है जहां कि कुओं को गहरा करने के वास्ते लगातार आवश्यकता है। उनको वहां जल्दी से जल्दी पहुँचाया जाना चाहिए। इन यन्त्रों को खरीद कर केवल प्रभावशाली व्यक्तियों के फार्मों पर ही नहीं लगाया जाना चाहिए, परन्तु सर्व साधारण के काम में लगाया जाना चाहिए और मैं यह दरख्वास्त करता हूं कि जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है वह एक टोकन कट के रूप में पेश किया गया है वह मन्जूर किया जायगा।

श्री रामनिवास मिर्धा (कृषि एवं सिंचाई मंत्री)—उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने मांग संख्या ६५ पर बहस हो रही है। मांग को प्रस्तुत करते समय मैंने सोचा था कि इसमें खास विशेष एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस बात को भी एक माननीय सदस्य ने बड़े जोड़-तोड़ से रखा। इसलिए मैं दो शब्दों में बता दूं कि इस मांग की क्यों आवश्यकता पड़ी। इस मांग की मन्जूरी पिछले बजट में हो गई थी, लेकिन उस समय इसको लोन्स एन्ड एडवान्सेज के अन्दर रखा गया था और वह लोन्स एण्ड एडवान्सेज के अन्दर न मांग कर केपिटल आउट ले में मांग रहे हैं। इसलिए जहां तक इस मांग का प्रश्न है वह मंजूर हो चुकी थी, लेकिन इस हेड को हेर फेर के कारण यह सपलीमेन्ट्री ग्रान्ट लेने की आवश्यकता पड़ी।

अभी इसके साथ ही माननीय सदस्य ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसकी इच्छा है, इस बात को डिस्कस करने की कि जो मशीनें विभाग द्वारा दी जाती हैं उनकी देखरेख ठीक नहीं की

[श्री रामनिवास मिर्धा]

जाती है और इसके बारे में उन्होंने और अन्य सदस्यों ने जो कहा उसका मैं संक्षेप में जवाब देना चाहूंगा।

सबसे पहली बात जो प्रस्ताव-कर्ता ने कही वह थी कि जो रेट चार्ज की जाती हैं, कम्प्रेशर्स द्वारा जो कुए खुदवाते हैं, उनके लिये वह ज्यादा है। उन्होंने यह भी बताया कि एक समय पर १० रूपया प्रति फिट के हिसाब से लिया जाता था पर उन्होंने विशेष जानकारी नहीं दी कि किस केस में और किस समय ऐसा किया गया।

अभी जो कृषि विभाग की पॉलिसी है और हमेशा से रही है कि इस रेट को जितना कम कर सकें, किसानों के लिए कम करें। पहले कुछ दिनों ये रेट्स ज्यादा जरूर थीं, इसके कई कारण थे, उनमें से एक कारण यह भी है कि पहले हमारे पास कम्प्रेशर्स कम थे और सारी जगह भेजना पड़ता था, इसलिये आने जाने का खर्चा जो कुए खुदवाने वालों पर लगता है, वह जोड़ना पड़ता था इसलिए प्रति फिट के हिसाब से काफी रकम कूये खुदवाने वालों को देनी पड़ती थी। पर ज्यों ज्यों मशीनें हमारे पास बढ़ रही हैं और व्यवस्थित ढंग पर काम को लाने की कोशिश की जा रही है, आशा की जाती है कि यह रेट्स काफी कम कर दी जायगीं और काफी कम कर दी गई हैं।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि दो, तीन रूपये के हिसाब से यह काम करने के लिये आठ-दस ठेकेदारों ने ऑफर दी है। इसके बारे में मैं विस्तार से नहीं कहना चाहता पर इतना जरूर कहूंगा कि यह नामुमकिन बात है कि किसी विभाग द्वारा इतनी सस्ती खुदाई की जा सके, क्योंकि इसके लिए जरूरी इन्स्ट्रूमेंट्स, सामान और दूसरी जरूरत की चीजें एक जगह से दूसरी जगह ले जानी पड़ती हैं, फिर इसके लिये जो स्टाफ है ओपरेटर्स वगैरह हैं उनको ले जाना पडता है, इन सब का खर्चा पड़ जाता है तो रेट काफी ज्यादा हो जाती है। ऐसी सूरत में जो उन्होंने रेट बताई है उस हिसाब से यह नामुमकिन है।

लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको और आपके जरिये सदन को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि ज्यों ज्यों कम्प्रेशर्स बढ़ेंगे त्यों त्यों रेट्स कम कर दी जायंगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मौजूदा रेट क्या है ? What is the present rate ?

श्री रामनिवास मिर्धा—मौजूदा रेट ४०-४५ रूपया प्रति फिट के हिसाब से आती है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इर्रिगेशन डिपार्टमेंट ने blasting through कम्प्रेशर्स के लिये कन्ट्रेक्ट दिया है, वह कितना है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—इसकी मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार के सामने ऐसी कोई ऑफर आई है ?

श्री मिर्धा—सरकार के सामने कोई ऑफर नहीं है। कुछ कन्सेशन कम कर सकते हैं। यदि उनको एक-दो कुए एक जगह बताये जांय, पर जिस तरह हमारे जिले फैले हुए हैं वहां पर सस्ती रेट से काम करना नामुमकिन है। एक ही जगह २० कुए हों तो सस्ती रेट आ सकती है पर इतनी दूर दूर भेजना पड़ता है और खर्चा ले जाने, लाने का आता है; ऐसी सूरत में इससे कम रेट मौजूदा हालत में करना नामुमकिन है।

श्री सन्तोषसिंह—कितनी कम रेट की है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—४०-४५ रुपये आते हैं और इसमें हेर फेर भी होता है। ट्रक्स को ज्यादा दूर जाना पड़ता है तो रेट इसमें बढ़ानी पड़ती है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—There are private concerns in Delhi which are prepared to undertake work in the hardest soil at the optimum rate of Rs. 30/- per foot.

श्री रामनिवास मिर्धा—मैंने कहा कि सरकार के सामने ऐसी कोई ऑफर नहीं है, हो तो विशेष काम के लिये हो सकती है; प्रदेश भर में काम करने के लिये नहीं हो सकती।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—कितनी रेट कम कर देंगे ?

श्री मिर्धा—यह तो कम करने के बाद ही बताया जा सकता है। पर पहले से कम हुई है और हमारी नीति यह है कि कम की जाय, जितनी ज्यादा हो सके।

प्रस्तावकर्ता ने जो खास बात कही वह मशीनरी के स्टोरेज के बारे में है। इसको मैं मानता हूँ कि कुछ कम्प्रेसर्स वर्षा के कारण पानी में भीग गये।...

श्री हरिकृष्ण व्यास—भीग गये नहीं, सब मर्ज हो गये।

श्री रामनिवास मिर्धा—सब मर्ज नहीं हुए, क्योंकि कम्प्रेसर्स काफी बड़े होते हैं, वे सब मर्ज हो जांय तो सारी बिल्डिंग की बिल्डिंग सब मर्ज हो जाय।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Major part of it.

श्री रामनिवास मिर्धा—उपाध्यक्ष महोदय, अच्छा हो कि मुझे बोलने का मौका दिया जाय। हमारे यहां अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड था जिसे भारत सरकार चलाती थी और इस साल कहा कि हम इसे नहीं चलाना चाहते और हमारी सरकार ने इसे ले लिया। इसके बारे में उनसे बात चीत

[श्री रामनिवास मिर्धा]

हुई और कहा कि हमारे पास मशीनें हैं, वे ले लीजिये और आपके पास इस विभाग की जो मशीनें हैं वे भी वाटर बोर्ड को दे दीजिये और इस बात,–चीत के दौरान में उन मशीनों को न तो ठीक तरह से रखने का प्रबन्ध कर सके और न उनको डिस्ट्रिक्ट्स में ही भेज सके। अब काम हाथों में ले लिया गया है और स्टोरेज के बारे में अब आयन्दा कोई शिकायत नहीं आयेगी। इस साल वाकई बहुत ज्यादा वर्षा हुई थी और दो–चार दिन में काफी ज्यादा हो गई। पर सब मर्ज हो गये हों कम्प्रे-शर्स ऐसी बात नहीं है। जो कवर हैं हमारे पास पर्याप्त नहीं हैं, उनको बनवाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी जगह कम्प्रेशर्स चले जायेंगे तब स्टोरेज़ के बारे में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आयेगी।

एक बात ट्रेक्टर के बारे में माननीय सदस्य ने कही जो अमुक सदस्य के यहां काम पर जाता है। अच्छा होता कि एक–दो दिन पहले इसकी जानकारी दे देते; इसके लिए हमेशा उनका मार्ग खुला रहता है, प्रश्न करने के समय जानकारी दे सकते थे। बगैर पूरी जानकारी के मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—गया या नहीं गया, इतना तो कह सकते हैं।

श्री रामनिवास मिर्धा—मैंने कहा कि दो दिन पहले जानकारी देते तो जितनी जानकारी जितनी इन्फोर्मेशन मेरे पास होती वह कह देता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आपकी इन्क्वायरी करनी चाहिये थी जब कि एक्सेस डिमांड पर वोटिंग हो रहा था। उस समय कहा था तो डिनाई किया था। वित्त मंत्री महोदय ने......

श्री रामनिवास मिर्धा—यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी जानकारी नहीं दी जा सके। It is always open to the hon'ble member to ask a specific question and it is not difficult for us to say where a particular thing was on a particular day and I will be pleased to put all facts before the House.

श्री हरिकृष्ण व्यास—when ?

श्री रामनिवास मिर्धा—अच्छा उपाध्यक्ष महोदय, जो दो चार खास बातें श्री सदस्यों ने कहीं, यह जरूरी काम हैं, इनसे ज्यादा से ज्यादा किसानों को फायदा पहुँचना चाहिये। उनके जो सुझाव हैं रेट कम करने के, जैसे एक माननीय सदस्य ने कहा कि कभी तो कम्प्रेशर्स चले जाते हैं और कभी नहीं जाते। इसके बारे में हम ऐसा प्रबन्ध कर रहे हैं। हर जिला अधिकारी को पूछ लेते हैं कि ऐसे लोग कितने हैं आपके इलाके में कि जो कुए खुदवाना चाहते हैं। जहां २०, २५ ऐसे लोग हों वहां हम भेज देते हैं।

[श्री रामनिवास मिर्धा]

मैं आशा करता हूँ कि इतना कहने के बाद माननीय सदस्य अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस ले लेंगे।

रावत श्री शम्भूसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, अच्छा होता कि भीलवाड़ा जिले के मुतल्लिक भी बता देते।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, माननीय मंत्री महोदय ने तीन मुद्दे दलीलों के रूप में अपने उत्तर में बताये हैं। उन्होंने एक तो यह कहा है कि रेट्स पहले बहुत ज्यादा थीं लेकिन अब कम कर दी गई हैं। अब रेट ४० या ४५ रूपये पर फुट है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि ऑफर काम के लिये नहीं आई कि यहां पर काम करना है। मैं ऑफर का जिक्र नहीं कर रहा था। मैं तो सरकार के इन्टेलिजेन्ट मैनेजमेंट का जिक्र कर रहा था। जो सरकार नो लोस और नो प्रोफिट के बेसिस पर काम करती है, ऐसा तो नहीं कि वह आंख पर पट्टी बांधे काम करें। यह उन लोगों की ड्यूटी है और इन्टेलिजेन्ट मैनेजमेंट के लिये उनकी यह आवश्यक ड्यूटि है कि वह देखे कि किस प्रकारका काम दूसरी जगह होरहा है और वह किस तरह से हो रहा है और अगर वे लोग काम कर पाते हैं तो हम लोग क्यों नहीं काम कर पाते ? लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि सरकार को यह भी पता नहीं कि वे प्राइवेट कन्सर्न से ज्यादा सस्ते में काम करते हैं या प्राइवेट कन्सर्न उनसे सस्ते में काम करती है क्योंकि वे तो प्रोफिट से काम करते हैं मगर सरकार के पास पूंजी की इफराजात है। मैंने जैसा पहले बताया कि उनके पास आंकड़े अभी भी कोन्टेस्ट नहीं हो पाये हैं और पहले के मुकाबले में कितना काम हुआ है और जो काम हुआ है वह पर्याप्त है या नहीं मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि जो काम किया गया है, पर्याप्त है। आज भी नोर्मल रेट से ड्योढ़ा नहीं तो दुगना आना चाहिये।

दूसरी बात यह कही गई कि सब मर्ज नहीं हुए। मैं यह समझता हूं कि ऐसा कह कर कोई गंभीर बात पर पर्दा डालने जैसी बात नजर आई। यह कहना गलत है कि वे भीग गये। यह कहना सही है कि एसेन्शिअली सबमर्ज हो गये। उसका मतलब यह है कि वे सबमर्ज हो गये। एक बार नहीं दोनों बार वर्षा से भीगे और उनके पुर्जे भीग गये। उसका पुर्जा, क्रेन रोड भीग गया और क्रेन रोड खराब हो जाता है तो वह कम्प्रेसर किसी काम का नहीं रहता। अब आप यह कहें कि वर्षा अचानक हुई तो इस सम्बन्ध में मैं बता देना चाहता हूँ कि पहले दफा जन्माष्टमी के रोज हुई। यह तो वर्षा अचानक हुई यह कहा जा सकता है मगर उसके १५ दिन बाद फिर वर्षा हुई तब फिर वे सब मर्ज हो गये। ऊपर से टीन के पतरे लगे हुये थे। ये फोटोज़ है जो बोलते हैं और चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं। इसलिए यह कहना कि हम व्यवस्था न कर पाये, वर्षा अचानक आगई यह गंभीरता पर पर्दा डालना है। आपने उन अधिकारियों के खिलाफ किस प्रकार की कार्यवाही की, उनसे क्या जवाब तलब किया, लाखों रूपयों की मशीनरी इस तरह से जिन्होंने डाल दी। रस्ट लग जाता है, सारी मशीनरी खराब हो जाती है। इसमें पिस्टन के अलावा होता क्या है; थोड़ा सा रस्ट लग गया तो

[श्री रामनिवास मिर्धा]

वह बेकार हो जावेगा। यह तो बहुत अच्छा हुआ कि मोबिल ऑइल बदल दिया गया। मोबिल ऑइल बदलने में ८००) रूपये का खर्चा हुआ है। अगर आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। चेक इट अप। माननीय मंत्री चाहे तो उनकी सेवा में सदन की मेज पर रख सकता हूँ। अगर वे असली फोटो चाहें तो देख सकते हैं। चश्मदीद गवाह है।

श्री भैरूसिंह—मुफ्त में भेज दीजिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मुफ्त का धन्धा करने वाले दूसरे होते हैं। यह गम्भीर बात हुई इसको तो बिल्कुल छुपा दिया गया। यह कहना कि आज उनके सामने एक नई बात आई है। मैं यह कह देना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में उनके खुद के कलीग ने थोड़ी देर पहले यह कहा था कि यह तो रोज रोज होती है। जब एक्सेस ग्रान्ट पर वोट हुये तभी इसका जिक्र हुआ। आपको यह मालूम नहीं हो, ऐसा मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूँ। माननीय मन्त्री महोदय, अपने यहां बैठे हुये विभागीय अधिकारी, जो यहां पर बैठे हुए हैं उनसे दरियाफ्त करलें कि मैंने जो फेक्ट कहे हैं उससे समाधान नहीं हुआ है। या तो वे इसको मंजूर कर लें या इन्कार कर लें, दोनों में से किसी चीज को सदन में पेश करें। आपने यह कहा कि आप इस सम्बन्ध में अलग से प्रश्न पूछ लें, उसका उत्तर दे दिया जावेगा। उत्तर आप क्या देंगे, उत्तर तो मेरे पास है। प्रश्न तो वह पूछता है जिसको उत्तर मालूम नहीं हो। उत्तर मुझे मालूम है। मैं तो जांच चाहता हूँ। अगर आप इस सम्बन्ध में जांच करने का प्रोमिज करें तो मैं माननीय उपाध्यक्ष, आपके जरिये (वे बातों में मालूम होते हैं) यह बहुत गंभीर मामला है जो बगैर इजाजत के विभागीय मशीन भेज देते हैं और जवाब देते हुए हिचकिचाते हैं। यदि माननीय मंत्री आश्वासन दें कि इसकी पूरी जांच की जावेगी कि ट्रेक्टर दिया गया या नहीं। इसके लिये जोब खोला गया या नहीं? आज तक तो नहीं एन्टर हुआ है। आज के बाद अगर मंडेगा तो इधर उधर कहीं भी मांडेंगे, तो मैं समझता हूँ कि टंटा आवेगा, मुझे मालूम है। आज के बाद के लिये मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। आज के पहले बिल उसका नहीं बना, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। अगर वे इस प्रकार की जांच के लिये कहें तो मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने के लिये तैयार हूं। अगर उनको इस सम्बन्ध में प्राइमाफेसी केस चाहिये तो उनके फार्म के पास जो रास्ता है जिसको उन्होंने एक डिसप्लेस्ड फोजी से धींगामस्ती में दबा लिया वह रास्ता उसके फार्म में नहीं था कब्जा कर लिया जबरन। अब बिजलीघर के सब स्टेशन हैं, उसके पास भी यही हालत है। पी. डब्ल्यू. डी के मिनिस्टर को मालूम होना चाहिये कि सब स्टेशन जाने के लिये रास्ता नहीं है। केवल एक रास्ता था उस पर यह ट्रेक्टर एग्रीकल्चर का खड़ा था, यह तो मैं आपके जरिये फोटो सदन की मेज पर पेश करता हूं। प्राइमाफेस केस है। या तो वे इस बारे में हां भरलें या इन्कार करलें। अगर वे हां करें तो उन्होंने उनके लिये क्या एक्शन लिया और अगर वे ना कहें तो यह मेरा जिम्मा है लिखित प्रमाणों के आधार पर इस बात को साबित करने का। मेरी उनको यह ऑफर है। दस्तावेज सही साबित करने का मेरा जिम्मा है। जुबानी एक भी गवाह नहीं होगा इतना कहने के बाद भी... (घंटी)

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अब थोड़ा ही निवेदन करना है। मुझे इस सम्बन्ध में ज्यादा नहीं कहना है, क्योंकि वे अब मंत्री पद से हट गये हैं, लेकिन माननीय मन्त्री इस सम्बन्ध में हां भर लें। नहीं तो इस पर मत लिये जांय और यदि वे समय चाहते हैं तो ठीक है; कल सदन में एक स्टेटमेंट करदें, जैसा भी वे चाहें, अभी तो एग्रीकल्चर के मोशन बाकी हैं। एक दिन का समय उनको मिल जायगा। किसी न किसी मद पर जिक्र कर दें। यदि नहीं, तो दिन दहाड़े डाका जो सरकारी पैसे का डाला जा रहा है, उसको निगला जा रहा है, ४०) ४५) से कम हो गये तो किसानों को तो लूटा जा रहा है।........

(घंटी)

एक दो बातें और कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे आज्ञा देंगे। मैं उनका ध्यान आकर्षित करूंगा कि वे अपने विभाग को ऑर्डर नं० ए.ई. जी ओ बी ६। ५५ डेटेड १.७.५५ जो है उसकी नकल भी साथ लेते आवें जिसमें इस बात का उल्लेख है।

और भी कई दस्तावेज हैं। अगर वे इस बात की हां भरते हों तो दस्तावेज सदन की मेज पर प्रस्तुत करूं और वे खुद देख लें कि गलत बात है क्या? फिर इतने पर भी हां करने के लिए तैयार नहीं हैं तो मेरे लिये कट मोशन को वापिस लेना निरर्थक बात होगी और यह निरर्थक सिद्ध होगी। जांच के लिये इन्कार करते हैं तो इस पर सदन का मत होना चाहिये।

(विराम)

यह लो सेक्रेटरी साहब।

(सदन की मेज पर फोटो रखा गया। सम्बन्धित समाचार-पत्र व फोटो विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि मांग संख्या ६५ पर जो कटौती का प्रस्ताव श्री एच. के. व्यास ने प्रस्तुत किया है उसको क्या स्वीकार किया जावे?

(स्वीकृत)

कट मोशन गिर गया।

(विराम)

[श्री उपाध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि जो मांग श्री रामनिवास मिर्धा (कृषि मंत्री) ने मांग संख्या ६५, मेजरहैड-७१ प्रस्तुत की कि कृषि-सुधार व अन्वेषण परियोजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, सन् १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को ८.२० हजार की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ६९—राज्य सरकार द्वारा उधार व अग्रिम

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री)—माननीय उपाध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुपूरक मतदान के लिए मांग संख्या ६६ मेजर हैड-राज्य सरकार द्वारा उधार व अग्रिम के सम्बन्ध में ३१ मार्च, सन् १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को १ करोड़ ९१ हजार की राशि प्रदान की जावे।

माननीय उपाध्यक्ष, इस मांग के सिलसिले में जो मेमोरेन्डम है वह भी बिल्कुल साफ है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि इस सदन के सम्मुख कुछ निवेदन कर दूं वरना यह कहा जायगा कि १ करोड़ ९१ हजार रुपया किस तरह से है और कैसे फालतू खर्च किये जा रहे हैं और यह कर्जा जो कुछ भी दिया जा रहा है वह बेकार है। तो मैं यह आवश्यक समझता हूँ कि इस विषय में सदन के समक्ष कुछ निवेदन करूं ।

यह मांग ११ आइटम्स में विभाजित है। उसमें से करीब १० लाख रुपया तो इस बात के लिए है कि सन् १९५४ में अकाल पड़ा हुआ था और उसके लिए सन् १९५५–५६ के बजट में बीज के लिए तकावी देने की बहुत आवश्यकता महसूस हुई और जो फेमीन स्ट्रिकन एरियाज़ थे उन फेमीन स्ट्रिकन एरीयाज में करीब गवर्नमेंट ने बीज़ बांटने के लिए १० लाख रुपये की स्वीकृति की जरूरत चाही। इन १० लाख रुपयों में से अब तक ८ लाख २५ हजार रुपये खर्च किये जा चुके हैं जिससे कि किसानों ने वक्त पर बीज़ खरीदा और बाकी रुपया अभी रिज़र्व में है। इस दस लाख में से लोगों को जो रकम तकावी के लिये दी गई है, उसमें जो अनरिकवर्ड है उसमें ५०-५० का गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया का और राजस्थान सरकार का हिस्सा होता है।

दूसरी मद जो इस १ करोड़ ९१ हजार में शामिल है, वह यह है कि २ लाख ५० हजार रुपया जयपुर म्युनिसिपल कौंसिल के द्वारा संचालित की गई युटिलाइजेशन स्कीम्स के लिए है जो यहां चालू है और जो गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया से ग्रो मोर फूड के लिए कर्जा मिलता है उसमें से दी जायगी। यह मैं यहां बतला देना आवश्यक समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया से कर्जा मंजूर होता है

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

वह हमारे यहां से दिया जाता है और उसकी अलग से ग्रांट की मंजूरी देनी पड़ती है और यह ग्रो मोर फूड कम्पेन के सिलसिले में यह कर्ज भी इस काम के लिए दिया गया है।

इसके अलावा हमारे यहां पर कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट्स और नेशनल एक्स्टेन्शन ब्लॉक्स इस साल में खोले गये और जो पहले नेशनल एक्स्टेन्शन ब्लॉक्स थे उनको जिन्हें कम्युनिटी प्रोजेक्टस बनाया गया उनमें ज्यादा कर्जा देने की आवश्यकता पड़ी और जो नये ब्लॉक्स खोले उनमें तकावी के लिए ऋण देने की रकम की स्वीकृति की आवश्यकता पड़ी और इसलिए ये जो आइटम नं० ३ व ४ हैं वे उसके लिए हैं।

आइटम नं० ५ में ६० लाख रूपया लोन दिया जायगा लो इनकम ग्रूप हाउसिंग के सिलसिले में और उसके लिए यह मांग है। जो कर्जा हमको भारत सरकार ने दिया है, लो इनकम ग्रूप हाउसिंग के लिए वही हम दे रहे हैं। इसमें १८ लाख रूपया अभी ऑलरेडी दिया जा चुका है और और रकम भी इस साल में एडवान्स की जावेगी।

इस समय इस साल में सरकार ने नेशनल सेविंग्स कैम्पेन के सिलसिले में यह मुनासिब समझा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को कर्ज के रूप में कुछ एडवान्स कर दिया जाय जिससे कि वे इसको नेशनल सेविंग्स में इन्वेस्ट करें और लोंग रन में जाकर उनको फायदा हो। इसीलिए इसमें ८ लाख रूपया इन कर्मचारियों को कर्ज देने के निमित्त रखा गया है।

कई म्युनिसिपैलिटियों ने अपने यहां की विकास योजनाओं के लिये हमसे रकम की मांग की है।

कइयों ने अपने यहां पर वाटर वर्क्स के लिए कर्जा जो मांगा है हमने उनको इस बारे में रूपया दिया है। भारत सरकार सैंतीस लाख रूपया वाटर सप्लाई स्कीम के लिए कर्जा देना मन्जूर किया है और अब तक ७ लाख ५० हजार रूपया दिया भी जा चुका है। लेकिन आवश्यकता इस बातकी प्रतीत होती है कि दिन ब दिन म्युनिसिपेलिटीज़ द्वारा कर्जे की मांग बढ़ती जा रही है क्योंकि म्युनिसिपैलिटीज़ अपने यहां पर ज्यादा कर्जा लेकर विकास करना चाहती है। इसलिए हमने ७।। लाख रूपये का आइटम रखा है। यह इसलिए आवश्यक है कि म्युनिसिपैलिटीज़ को उनकीइ क्वीर्मेन्ट्स स्कीम्स आदि के लिये कर्जा दिया जाय। पहले इसमें २२ लाख रूपया रखा गया था जो बिल्कुल अपर्याप्त दिखाई देता है। इसके लिए और ज्यादा रकम रखना आवश्यक है।

२५ हजार रुपया इसलिए रखा गया है कि जो मौजूदा फ्लड आया था उसमें जिन लोगों के घर गिर गये उनको रिलीफ देने के लिए तकावी के रूप में देने के लिए २५ हजार रूपये का ऋण के रूप में देने के लिए रखा गया है, ताकि उन लोगों को जिनके घर फ्लड के कारण गिर गये उनको पुनः बनाने के लिए एडवान्स किये जा सकें।

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

आइटम नं० ६ के विषय में यह निवेदन है कि भारत सरकार ने १.२७ हजार रुपये राजस्थान विश्वविद्यापीठ में जनता कालेज होस्टल के लिये मन्जूर किया है, जो हमने दिया उसके लिये भी ग्रान्ट की आवश्यकता है। जो रूपया भारत सरकार से आता है पहले हमारे कन्सोलिडेटेड फंड में जमा होता है, उसके बाद फिर एडवान्स होता है। कन्सोलिडेटेड फंड में जमा होकर यह जाता है, उसके लिए हरेक के लिए यह आवश्यक है कि सदन की स्वीकृति ली जाय।

एक लाख रूपया इस बात के लिये मांगा गया है कि हम चाहते हैं कि हमारे सरकारी कर्मचारी अपने लिये मकान बनवा लें, उसके लिए कर्ज देने के लिए यह रकम मांगी गई है। यह सुविधा देना आवश्यक है कि सरकारी कर्मचारी लोन लेकर अपना मकान बना लें और इसमें ५० हजार रूपया जो मांगा है वह कन्वेयेन्स लोन के लिये है। मौजूदा सूरत में जो रकम है वह कमी पड़ती है, इसलिए हम इस ओर ध्यान देना चाहते हैं कि सरकारी कर्मचारी अपना मकान बना लें। इसके लिए हमारे पास मांग भी बहुत है। इस प्रकार यह रकम १ करोड़ ६१ लाख की हो जाती है जिसमें भारत सरकार द्वारा दी हुई रकम भी शामिल है और हमारे यहां से दी जाने वाली भी रकम शामिल है। इस तरह यह १ करोड़ ६१ लाख रुपये की रकम की मांग की गई है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप आज्ञा दें तो श्री चांदमल जी मेहता पहले अपना कटौती प्रस्ताव रख दें, उसके बाद मैं अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करूंगा, just fcr the sake of convenince.

श्री उपाध्यक्ष—ठीक है, श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—उपाध्यक्ष महोदय, मांग नम्बर ६६ पर मेरे तीन कटौती के प्रस्ताव हैं। उनमें से पहला कटौती का जो प्रस्ताव है वह इस प्रकार है कि अनुपूरक अनुदान मांग संख्या ६६ में केवल मात्र १ रू. की कटौती की जावे (बिना निश्चित आधार बनाये राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड खोलने पर विचार प्रकट करने हेतु)।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रति वर्ष अप्रेल और अक्टूबर के महीने में राजस्थान में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड खोले जाते हैं। जहांतक मैं मानता हूं राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड खोलने के वक्त उनके सामने कोई निश्चित आधार नहीं होता। उनके सामने ऐसा स्टेटमेन्ट नहीं होता जो उन सारे स्थानों की जानकारी दे सके। जहां ये खण्ड नहीं खोले गये उन सारी जानकारी के आधार पर वे निश्चत करें कि कौन से स्थान को प्राथमिकता दी जानी चाहिये और कौनसा स्थान प्राथमिकता पाने का अधिकारी है, कौन सा बाद में लिया जाना चाहिये। वास्तव में होता यह है कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड ज्यादातर मंत्रियों के निर्वाचन क्षेत्रों में ही खोले जाते हैं या ऐसे स्थानों पर खोले जाते हैं जो उन सम्बन्धित मंत्रियों से ज्यादा नजदीक लोग होते हैं। वे इस तरह की भिक्षा मांग कर कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र में भी विस्तार सेवा खंड खोले जांय इस मायने में कामयाब हो जाते हैं। इसी

[श्री चांदमल मेहता]

तरह की मनोवृति की वजह से जब जब राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड के बारे में विधान सभा में प्रश्न किये जाते हैं तो यह जवाब दिया जाता है कि विस्तार सेवा खंड ऐसी जगह खोले जाते हैं जहां सिंचाई की भूमि, यातायात के साधन उपलब्ध हों, वहीं पर ये खंड खोले जाते हैं, लोगों के उत्साह को ध्यान में रखते हुए और वहां की जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड खोले जाते हैं, लेकिन विधान सभा में जब इस बारे में पूरक प्रश्न किए जाते हैं तो उनके जवाबों से इस बात का पता लगता है कि इस बारे में गवर्नमेंट द्वारा जो जवाब दिए जाते हैं उनसे असन्तोष है। उसूल की बात तो यह है कि जहां प्रथम पंचवर्षीय योजना में जितने राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड खोलने की योजना है जितने क्षेत्र को शामिल करना है, उस क्षेत्र के सिलसिले में पहले योजना बना ली जाय और यह निश्चित कर लिया जाय कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में इतनी इतनी जगह राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड खोले जायेंगे। इसी प्रकार दूसरी और तीसरी और चौथी और पांचवी साल फलां फलां जगह विस्तार सेवा खंड खोले जायेंगे। इस तरह से प्रायं रिओलिस्ट बना ली जाय और उनको गजट में प्रकाशित करवा दिया जाय और जो लोग इस बारे में एतराजात देना चाहें वे भी आमंत्रित कर लिये जांय। उन एतराजों पर विचार करके यदि उचित समझा जाय तो उन नामों को ऊंचा-नीचा करके परिवर्तन भी किया जाय। इस प्रकार की कोई योजना सरकार ने बनाई हो, यह मुझे मालूम नहीं।

मैं खास तौर से किशनगढ़ सब डिवीजन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। किशनगढ़ सब डिवीजन एक ऐसा सब डिवीजन है कि जिसको इस बात का गौरव मिला है कि वहां पर न केवल राजस्थान के बल्कि हिन्दुस्तान के माने हुए नेता पहुँचे हैं। एक चुनाव क्षेत्र में ऐसा हुआ जिसमें माननीय मुख्य मंत्री, वित्त मंत्री और न जाने कितने दूसरे दूसरे विभागीय मंत्री, विधान सभा के सदस्य वहां पहुँचे हैं। अब मैं वित्त मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं, जिन्होंने यह मांग रखी है जो विस्तार सेवा खंड अप्रेल या अक्टूबर के माह में खोले गये हैं उनके लिए मेरा यह पूछना है कि सरवाड़ किन बातों में पीछे है, जिससे वहां राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड नहीं खोला गया, वे हमें निश्चित बातें बतायें कि इन इन मामलों में पीछे है इसलिए यहां नहीं खोला गया, अगर वे यह मानते हैं कि इसमें पक्षपात हुआ है और पक्षपात के आधार पर ही राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड खोलने की स्वीकृति दी गई है तो मुझे कुछ नहीं कहना। अगर वे यह मानते हैं कि इसमें पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अख्त्यार किया गया तो मैं खास तौर से मुख्य मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा जो किशनगढ़ सब डिवीजन के बारे में ज्यादा जानकार हैं, सरवाड़ तहसील और अराई तहसील के बारे में अधिक जानते हैं, उसका क्या क्या महत्व है, वहां अभी तक राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड क्यों नहीं खोला गया, हर मर्तबा यह जवाब दिया जाता है कि सरवाड़ तहसील ऐसी है जिसको प्राथमिकता दी जानी चाहिये लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड खोलने के पहले यह तो कहा जाता है, किन्तु जब ये खोलने का मौका आता है तो मंत्रियों के पीछे लगने वाले विधान सभाई सदस्य अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड खुलवाने में कामयाब हो जाते हैं

[श्री चांदमल मेहता]

इस तरह से मंत्री महोदयों को भी उनको ओब्लाइज़ करने का मौका आ जाता है और इसका नतीजा यह होता है कि महत्वपूर्ण स्थान रह जाते हैं। इन शब्दों के साथ में माननीय वित्त मंत्री महोदय से यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस तरह की प्रणाली को समाप्त कर दिया जाना चाहिये और निश्चित आधार पर प्रायोरिटी लिस्ट बनायी जानी चाहिये। जहां जहां चालू वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड खुल चुके हैं उनकी भी लिस्ट बना ली जानी चाहिये और आगामी वर्ष में किन किन जगह खोले जायेंगे इसकी भी सूची बना ली जानी चाहिये और फिर एतराजात आमन्त्रित करने के बाद यदि आवश्यक हो तो उसमें परिवर्तन भी कर देना चाहिए।

दूसरा जो मेरा कटौती का प्रस्ताव है वह तकावी वितरण के बारे में जो भ्रष्टाचार फैला है उसके सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए है। सरकार की ओर से प्रति वर्ष लाखों की तादाद में तकावी दी जाती है लेकिन सही माने में जो खेती करने वाले हैं उनको कितना फायदा पहुँचता है और व्याजखोरों को कितना फायदा मिलता है, तो मैं कहूँगा कि किसानों के मुकाबले में इन व्याजखोरों को अधिक फायदा पहुँचता है।

तकावी देने के सम्बन्ध में सरकार की ओर से कुछ आदेश निकले हैं और वे ये हैं कि तहसील पंचायतों के सरपंच, तहसीलदार और विधान सभा के सदस्य मिलकर वितरण करें। पर आज तक इस बात की जांच नहीं की गई कि जो कमेटी की बात कही गई हैं उसकी राय से यह वितरण होता है या नहीं या मनमानी ढंग से वितरण होता है। दूसरी ओर इस बात की भी जांच नहीं की गई है कि जिसको तकावी दी जाती है उनमें कितने व्यक्ति हैं जो खुदकाश्त करने वाले हैं। ऐसे कितने हैं जो आदमी रख कर कराते हैं और व्यापार भी करते हैं और जो यह सोचते हैं कि आज की बढ़ी हुई व्याज की रेट को अपनी पूंजी क्यों लगावें, दूसरी जगह से उधार की पूंजी क्यों लगावें, आठ आना सैकड़ा से सरकार से पूंजी जब मिल जाती है तो उसका उपयोग क्यों नहीं किया जावे, तो इस तरह कुछ लोग ये ऐसे हैं जो सरकार से तकावी के नाम पर रुपया लेते हैं और उससे व्याजखोरी करते हैं और इसका नतीजा यह होता है कि जरूरतमन्द गरीब को तकावी नहीं मिल पाती और इन सूदखोरों को आसानी से मिल जाती है। यहां तक भी है कि और जगह की तो मैं निश्चित तौर से नहीं कह सकता पर किशनगढ़ के बारे में खास तौर से कह सकता हूँ कि बीस प्रतिशत इस तकावी का जब तक अधिकारियों की जेब में नहीं जावे तब तक किसी को तकावी नहीं मिल सकती। इसका प्रोसीजर ऐसा रक्खा है कि अगर इससे कोई सहमत नहीं हो तो ले नहीं सकता। ये अधिकारी अजीब तरह के रोड़े वक्त वक्त पर अटकाते रहते हैं। कहते हैं लोन चाहते हो, पहली बात तो यह कि तुम्हें जमानत देनी पड़ेगी और इसके साथ साथ जमानत न दे तो दूसरी बात यह है कि जमीन वर्षों की है तो उसे मोर्टगेज रख सकते हो, पर होता यह है कि अगर कोई व्यापारी है और पैसा खर्च कर देता है तब तो उसके लिए यह छूट रहती है कि मोर्टगेज रख दे पर अगर वह व्यक्ति गरीब है तो मोर्टगेज की बात भी उसकी टाल दी जाती है और उसे यही कहा जाता है कि जमानत लावो। वह गरीब बिचारा

[श्री चांदमल मेहता]

जमानत कहां से लावे ? अगर जमानत ही लाने लायक होता तो रकम ब्याज पर भी ला सकता था। पर जब जमीन है और दूसरों को तो मार्टगेज पर रखने की मंजूरी दे दी जाती हैं और उस गरीब को नहीं दी जाती तो यह बहुत एतराज की चीज है और आज ऐसा हो रहा है। साथ ही साथ मैंने ऐसे भी मौके देखे हैं कि अगर पटवारी को रुपया नहीं मिला तो वह किसान की परची के लिए भी कह देता है कि किसान के पास कोई जमीन नहीं है और इन बातों को मैं सरकार के ध्यान में लाया भी हूँ। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि तकावी का तरीका गलत है। यह भी है कि अगर तकावी दी जाती है तो अन्तिम समय में दी जाती है, जब कि साल खतम होता है। तो उससे फिर किसान क्या फायदा उठावें ? जब फसल का समय निकल जाता है तो वह तकावी किस काम की ? तकावी तो निश्चित टाइम में दे देनी पड़ती है। यह भी देखने में आता है कि अधिकारियों से जब सम्पर्क में आते हैं तो मालूम पड़ता है कि ऊपर से अभी सैंक्शन नहीं आई, सैंक्शन आती है तो मालूम होता है, पैसा अभी नहीं आया। तो इस प्रोसीजर की देरी से रुपया देरी से प्राप्त होता है और तकावी का परपज सर्व नहीं हो पाता। तो आवश्यकता इस बात की है कि निश्चित टाइम इसके लिए आप मुकर्रर कर दें कि उन तारीखों तक कोटा तहसीलों में और जिलों में पहुँच जावे, उन तारीखों से पहले एक महीने का नोटिस नकाल दिया जावे कि जो लोन लेना चाहे वे अपनी ऐप्लीकेशन्स पेश कर दें और फिर वे एप्लीकेशनें प्रायोरिटीवाइज़ रजिस्टर की जावें और फिर जिन जिन की एप्लीकेशनें नामन्जूर की जावें उनकी वजूहात लिखी जानी चाहिए कि फलां फलां आधार पर रिजेक्ट की गई हैं और अगर स्वीकृत की जावें तो उसकी भी वजूहातें लिखी जावें कि इन इन कारणों से और इन इन आधारों पर स्वीकृत की जाती हैं। अगर ऐसी व्यवस्था की जावे और उस कमेटी की राय से व्यवस्था की जावे तो निश्चित है कि जरूरतमन्दों को तकावी मिलेगी।

दूसरी बात यह भी है कि तकावी देते वक्त प्राथमिकता उन्हें दी जानी चाहिये जो स्वयं हाथ से खेती करते हों। उस वक्त यह नहीं सोचा जाना चाहिए कि वह माकूल जमानत नहीं दे सकता। इसलिए या और किसी वजह से उसे तकावी नहीं दी जानी चाहिये। ऐसे कुछ निश्चित नियम बना देने चाहिए कि जिनके आधार पर तकावी के वितरण के लिए जो कमेटी बनी है वह तकावी वितरण का काम कर सके।

तो अन्त में मैं उम्मीद करूंगा कि जो कटौती का प्रस्ताव मेरा तकावी वितरण के बारे में है और जो इसके वितरण के अन्दर फैले भ्रष्टाचार के बारे में है उसको खत्म करके आइन्दा के लिए निश्चित प्रबन्ध किया जावे, निश्चित समय पर तकावी की रकम पहुँच जावे सेन्टरों में, प्राथमिकता किसको देनी, यह तय कर दिया जावे; एप्लीकेशनें समय पर लेकर फैसला कर दिया जावे आदि आदि इस तरह की व्यवस्था करने के बारे में सरकार की ओर से आश्वासन दिया जावेगा।

तीसरा कटौती का प्रस्ताव मेरा मरोगला गांव, तहसील सरवाड़ के लोगों को तकावी न देने के सम्बन्ध में है। इस मांग में उनकी चर्चा की गई है, जिनको बाढ़ग्रस्तों की सहायतार्थ मदद दी

[श्री चांदमल मेहता]

जायेगी। इस गांव की किस तरह से सरकारी अधिकारियों द्वारा उपेक्षा की गई, यह सारा किस्सा मैं मन्त्री महोदय तक पहुंचाना चाहता हूं। यह पूरा का पूरा गांव तालाब में डूब गया, गांव के लोगों की रहने की झोपड़ियां, उनके काश्त के खेत आदि सब पानी में डूब गये। उनका अनाज और उनके मवेशियों का चारा सब पानी में डूबकर खत्म हो गया और जब यह स्थिति पैदा हुई तो वहां की स्थानीय पंचायत ने अपने पंचों के साथ में एक डेपुटेशन भेजा यहां जयपुर और वह डेपूटेशन यहां मुख्य मन्त्री महोदय से मिला। उन्होंने डेपुटेशन के लोगों के साथ बडी सहानुभूति दिखलाई और बाढ़ग्रस्त लोगों के प्रति भी बडी सहनुभूति दिखलाई और तत्काल आदेश दिया कि कलेक्टर जयपुर एक हजार का चेक लेकर तत्काल वहां पहुंचे और उन लोगों को पूरी पूरी राहत देने का प्रबन्ध करें। इसके साथ ही माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर के नाम एक डी ओ लिखने का भी आदेश दिया कि जिनको खास खास मदद देने की आवश्यकता हो वह दी जावे। इस सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो कार्यवाही की उसके लिए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद उन्हें देता हूं, पर जैसी सरकार की नीचे की मशीनरी है और जिस प्रकार की मदद दी गई है उस सम्बन्ध में मैं आपकी मार्फत, सभापति महोदय, सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक हजार का चेक तत्काल बना माननीय मुख्य मंत्रीजी के निजी फण्ड से और कलेक्टर जयपुर के पास भेजा गया, पर कलेक्टर वहां पहुंचता है जिस तरह से पुराने जमाने में पोलिटिकल एजेन्ट या और कोई अफसर किसी गांव में पहुंचता था और स्थानीय अफसरों से कह सुनकर वापिस रवाना हो जाता था। तो ये कलेक्टर महोदय वहां पहुंचाकर मालूम करते हैं कि यहां क्या कोई आदमी भूखा है? और या कोई ऐसा आदमी यहां है जिसके पास कोई खाने-पीने का साधन नहीं है। अगर ऐसा कोई आदमी है तभी हम उसको कुछ मदद दे सकते हैं। पर क्योंकि ईश्वर की कृपा से इस गांव में रहने वाले सारे ही ऐसे व्यक्ति थे जिनको कर्जा भी मिल सकता है, उनमें भूखों मरने वाले नहीं थे। नतीजा यह हुआ कि जितने सरकारी अधिकारी थे वहां के उन्होंने यही कहा कि यहां इन लोगों को इस रुपये की कोई जरुरत नहीं। हालां कि वे वहां की सारी हालत जानते थे पर वे भी उन लोगों से इस वास्ते जले-भुने थे कि गांव के पंच मिलकर उनके पास क्यों नहीं आये, वे सीधे मिनिस्टर तक क्यों पहुंचे, वे आते हमारे पास तहसील में पहुंचते, कलेक्टर के पास जाते। इस वास्ते वे लोग गांव को कुछ देना नहीं चाहते थे इसलिये यह बात ध्यान में लाने की कोशिश की गई कि यहां कोई भूखा नहीं है, हमारे पास यहां की कोई शिकायत नहीं आई। नतीजा यह होता है कि कलेक्टर महोदय वापिस आ जाते हैं, चेक को वापिस अपनी जेब में लेकर। तो यह तो उस सहायता के बारे में बात हुई जो माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने दी।

अब दूसरी और मुख्य मंत्री महोदय ने कृपा करके राजस्व मन्त्री को एक पर्सनल डी ओ भी लिखा था और उनसे कहा था कि जांच करनी चाहिये और जो जरूरत मन्द हों उन्हें चारे के लिये, कुए के लिए, अनाज के लिए या खेती के लिए तकावी देनी चाहिये और दूसरी दूसरी मदद दी जानी चाहिये। पर खेद के साथ निवेदन करना पड़ेगा कि जहां माननीय मुख्य मन्त्री

[श्री चांदमल मेहता]

महोदय ने इतनी सहानुभूति दिखाई वहां राजस्वमन्त्री बिल्कुल मौन रहे। शायद उनके लिए मालपुरा की बात होती तो तुरन्त आज्ञा दी जाती, ध्यान भी दिया जाता पर यह तो किशनगढ़ का मामला था। उनके लिए तो एक राजस्व मन्त्री के नाते सब के साथ समान व्यवहार करना चाहिये था, फिर यह उदासीनता क्यों बरती गई, यह मैं समझ नहीं पाया। इसलिये मैं माननीय राजस्व मन्त्री महोदय से अति नम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि उनके सामने तो सब क्षेत्र एक से होने चाहिये, उनकी निगाह में किसी भी अभावग्रस्त क्षेत्र की तरफ खास तौर से ध्यान दिया जाना चाहिये। जहां इस तरह की स्थिति पैदा हो गई हो उसको समान महत्व दिया जाना चाहिये, इतनी उदासीनता और चुप्पी नहीं साधी जानी चाहिये। मैं उम्मीद करूंगा कि जो मैंने ये जो तीन कटौती के प्रस्ताव रक्खे हैं उन पर इस पृष्ठभूमि में निश्चित आश्वासन सरकार की ओर से दिया जावेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उपाध्यक्ष महोदय,.......

श्री दामोदरलाल व्यास—जैसा मेरे माननीय परबतसर से आने वाले सदस्य ने कहा कि मुझे कोई डी. ओ लिखा गया है यह बिलकुल गलत बात है। हो सकता है कि रिलीफ मिनिस्टर साहब को लिखा हो। पर जहां तक मेरा सम्बन्ध है, न मुझे कोई डी. ओ. लेटर लिखा गया और न मुझे इस घटना के विषय में मालूम ही है।

श्री चांदमल मेहता—मैं माननीय मन्त्री महोदय से नम्रतापूर्वक निवेदन कर देना चाहता हूँ कि माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने जो आदेश दिया वह मेरे सामने दिया और उस प्रार्थना पत्र पर दिया जो हमने इस मामले के सम्बन्ध में उनके सामने पेश किया था और उस पर यह लिखा है कि माननीय राजस्वमन्त्री से यह निवेदन किया जावे कि वे इस सारे मामले की जांच करें और यथा-सम्भव मदद पहुँचावें। उस हुक्म को मैंने स्वयं ने देखा है और यह मैं मानकर चलता हूँ कि जिस तरह से उनकी आज्ञा से चैक इश्यू हो गया उसी तरह से वह डी. ओ भी इश्यू हो गया होगा। वह पत्र लिखने में गलती नहीं हो सकती। हुक्म उन्होंने लिख दिया और मेरे सामने लिख दिया था और उसे मैंने खुद ने देखा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं बोलूं या वे सफाई करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—श्री व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, इस मांग पर मैं अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ कि एक हजार की कटौती इसमें कर दी जाय (इसमें जो कर्जा दिया जाता है इसके हिसाब और उसकी वसूली की व्यवस्था पर विचार करने के लिए)।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—कब तक कहते जायेंगे आप !

श्री हरिकृष्ण व्यास—जब तक नहीं सुधरेगा, तब तक कहता ही जाऊंगा।

श्री दामोदलाल व्यास—वही भाषण मान लिया जाय आपका।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जो वस्तुस्थिति है वही भाषण होगा। वस्तुस्थिति सुधर गई तो सुधरने का भाषण होगा और बिगड़ गई तो भाषण बिगड़ने का। भाषण अगर बुरा लगता है तो सुधार करने में किसी ने हाथ तो रोका नहीं है।

इस मांग में मैं खास, विशेष ध्यान इसका जो पहला अंग है उस पर ही कोन्सेन्ट्रेट करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय। आज यह बात सर्वविदित है कि राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा तरह २ की तकावियों का वितरण होता है। थोड़े दिन के पहले रिहेबिलिटेशन की तकावी का भी होता था। अब वह बन्द हो गया है, लेकिन फेमीन और फिर ग्रो मोर फूड और उसके अलावा मामूली किस्म की रेवेन्यू तकावी, और कुछ स्पेशल तकावी जिसे कहना चाहिये स्पेश्लाइज्ड, विशेष लोन्स। तो इन सब चीजों का करीब २ एक ही स्तर चल रहा है। और वह स्तर क्या चल रहा है कि यह खर्च आवश्यक है, इसमें दो रायें नहीं हैं, लेकिन कम से कम इस बात की खबरदारी जरूर बरतनी चाहिये कि ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहिए जिसको कि मिलना आवश्यक हो और दूसरे जिस कार्य के लिए यह मद यहां से मन्जूर करके हम देते हैं सदन की ओर से और उस मद के तहत किसी को कर्जा मिलता है तो उसी कार्य के लिए वह रुपया प्रयोग में आये, और फिर जिसकी वह अवधि पूर्ण हो जाय तब उसकी ठीक से रिकवरी भी हो जाय; पूरी तरह से इस बात का ध्यान रखा जा सके ऐसी स्थिति निर्माण करना आवश्यक है।

मेरे माननीय मित्र ने अभी कहा कि यह बात तो बार बार कही जा चुकी है कि ऐसी स्थिति नहीं हैं, और मुझे कुछ ऐसा आभास हुआ कि इस बयान के जरिये वह मेरे दिमाग पर यह प्रभाव डालना चाहते थे कि जब यह बात बार बार कही जा चुकी है तो और कहने से क्या फायदा है ....

श्री बृजसुन्दर शर्मा—ऐसी बात नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—लेकिन मेरे दिमाग में पड़ा हुआ है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि जो चीज करें वह कैसी होनी चाहिए? राज्य का पैसा है, सरकार उसकी देखभाल करती है तो करे, लेकिन कम से कम इन तीन चीजों की व्यवस्था होनी चाहिए। वह यह है कि अगर कहने से नहीं हुई और बार २ कहने पर भी नहीं हो रही है और ताज्जुब तो यह है कि न होने पर थोड़ा शरमिन्दा होकर परेशानी जाहिर करने के बजाय सम्बन्धित मंत्री महोदय कहते हैं कि कई बार कह चुके हैं। यह जो दृष्टिकोण है, उपाध्यक्ष महोदय, वह गलत किस्म का दृष्टिकोण है। एक चीज के लिए बार २ कहने का मौका ही नहीं आना चाहिये क्या स्थिति है, इसके बारे में मैं सारे राजस्थान में क्या २ हाल है उनके अगर चुटकुले बताने लगूं तो शायद आज का दिन तो पूरा हो ही जायगा, कल का

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

दिन भी पूरा हो सकता है। लेकिन मैं जानबूझकर अपनी जो बात है उसको एक जिसे अधिकृत दायरा कहते हैं उस अधिकृत दायरे के अन्दर अपने आप स्वेच्छा से बन्द रह कर कहने की कोशिश कर रहा हूँ; और इसलिए मैं इस सिलसिले में जो पब्लिक एकाउन्टस कमेटी की फिफटीन्थ मीटिंग यानी मिनिट्स जो २५ जनवरी, १९५५ में हुई उसमें से एक बहुत ही दिलचस्प और रोचक बात का उल्लेख है, और वह यह है उपाध्यक्ष महोदय, कि जो कर्जा दिया गया मशीन तकावी पर उन कर्जों के बारे में एग्रीकल्चर विभाग के डाइरेक्टर महोदय ने सूचना माँगी थी कलेक्टर्स से। जुलाई १९५४ में कलेक्टर्स को उन्होंने लिखा कि आप इस बात की सूचना दें कि कितने लोगों को कितना कर्जा दिया है और जिनको दिया है उन्होंने वह मशीनें, पम्प या ट्रेक्टर खरीदे या नहीं खरीदे। बस आगे की बात नहीं। जुलाई १९५४ में सब कलेक्टरों से जो सूचना मांगी गई तो उनसे जनवरी, १९५५ तक छः महीनों में चार कलेक्टरों का जवाब आया। केवल चार कलेक्टरों से जवाब आया? जुलाई ५४ से जनवरी, ५५ तक अभी तो कलेक्टरों से सूचना आ रही है, पैसे की बात तो बहुत दूर है। केवल चार कलेक्टरों ने सूचना दी, बाकी के लोगों ने सूचना तक भी नहीं दी। बाद में और कोशिश की तो यह मालूम हुआ कि इन चार जिलों में जिनका जवाब आया है उनमें केवल ७७ लोगों को यह मन्जूरी दी थी और मन्जूरी देने के बाद रुपया भी दे दिया। उन ७७ लोगों में केवल ७ ट्रेक्टर खरीदे गये। अब बाकी के ऊपर क्या एक्शन लिया इसकी किसी को जानकारी नहीं थी। न तो कलेक्टर को थी, न डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकलचर को थी, न फाइनेन्स डिपार्टमेंट को, न जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को और न डिसिप्लिनरी एक्शन लेने वाले एप्वाइन्टस डिपार्टमेंट को। यानी लोगों ने रुपया ले लिया और तीन चार साल तक कोई उनसे पूछने वाला भी नहीं कि जिस काम के लिए लिया है कम से कम उसके लिए प्रयोग तो करो। तो ऐसे केसेज़ चार जिलों में ७७ में से १७ थे। अब इसके परसेन्टेज का यदि हिसाब लगाया जाय तो मेरे खयाल से लगभग २३ परसेन्ट, २४ परसेन्ट बैठता है; यानी २५ परसेन्ट का आंकड़ा ऐसा है जहां रुपया जिस कार्य के लिए दिया गया उसके लिए प्रयोग में नहीं आया। प्रयोग में आया उसमें से कितना ठीक से आया, वह अलग बात है और फिर वापस कितना आया उसका तो कोई प्रश्न ही नहीं है और यही हाल तरह २ के जो कर्ज दिये जा रहे हैं उनका है। रेवेन्यू की तकावियां दी जाती हैं उनका तो यह हाल है कि उनका रजिस्टर भी, मेरे खयाल से, आज तक पूरा नहीं बना है ...

श्री बृजसुन्दर शर्मा—नहीं, अब तो बन गये हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—वित्त मंत्री महोदय ने कहा है कि हो गया है। मैं फिर उनसे अर्ज कर दूं कि अभी तक नहीं हुआ। आपकी आज्ञा के अनुसार हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। I am positive and certain on this point. कुछ जगह अलबत्ता हो गया; ज्यादा जगह अभी नहीं हुआ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह फायदा तो होगया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मुझे तो मालूम है तब कह रहा हूं, बगैर मालूमात के कहने की आदत नहीं है।

और ज्यादातर जगहों पर अभी शुरू हुआ है, और यदि और मालूमात चाहिए तो ऐसी भी जगह मौजूद हैं कि जहां आपने इस काम के लिए दो अहलकार मन्जूर किये हैं, दो अहलकार तहसीलदार के दफ्तर में बैठने के बजाय कलेक्टर के दफ्तर में हवा खा रहे हैं और तहसीलदार कह रहा है कि मन्जूरी तो मेरे नाम की है और वे काम कर रहे हैं; तो रजिस्टर कैसे पूरा करेंगे? आज के दिन तक कैसी स्थिति है वह भी सूचना में आपको अर्ज कर दूं। तो मैं यह कह रहा था कि तफसील में जाने का मौका नहीं है और छेड़छाड़ करने का असर माननीय मित्रों पर होने वाला नहीं है। वे पीजियन होल्स बने हुए हैं। जैसे कि पुराने जमाने में किसान लोग डिब्बे रखते थे लोहे के, जिसमें कागज जो जरूरी हुआ वह डिब्बों में डाल देते थे और ढक्कन लगा कर जमीन में गाड़ देते थे, तो उसी तरह से राज्य सरकार का हिसाब रखने का मामला है। वह अलग अलग कागज बन्धे हुए हैं, तहसीलदार के पास गट्ठर के गट्ठर। आज के दिन तक कोई यह कह दे कि रेवेन्यू के रजिस्टरों के अनुसार यह फीगर्स हैं, इतना आउटस्टैंडिंग है, इतना ड्यू मेच्योर्ड है, इतने की रिकवरी है तहसीलवाइज़ भी तो मैं समझूंगा कि एक बहुत बड़ा काम इस मामले में होगा।

तो इन चीजों के लिए कर्जा दिया जाना चाहिए, इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकती। मकान बनाने के बारे में है, सरकारी मुलाजिमों के मकान बनाने का है उसके बारे में दो शब्द अब अलग से अर्ज करूंगा।

तकावी से लगा कर दूसरे मद हैं उनसे विरोध नहीं है मेरे को, या ये मद गलत हैं, न यह मेरा कहना है कि उनमें रुपया देना जरूरी नहीं है। पर यह सब से बड़ा काम है वित विभाग का, पर हमारे राजस्थान में वित्त विभाग अमूमन सोता हुआ नजर आता है, इसके कामों का ठीक तरह से कन्ट्रोल भी नहीं रहा है। हां, अनऑथीराइज्ड, अन वेरीफाइड बयान मन्त्री महोदय द्वारा कर दिये जाते हैं कि ऐसा कर दिया है, ऐसा कर रहे हैं पर होता कुछ नहीं है।

इसमें एक गम्भीर बात और है, उसकी ओर मैं सम्बन्धित मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूं। वह बात यह कि इसका प्रोसीजर कुछ अजीब सा है। देने वाला और, मंजूरी देने वाला और, वेरीफाई करके चेक देने वाला और; जिस मशीन तकावी में मंजूरी देने वाले डायरेक्टर एग्रीकल्चर विभाग या राजस्थान सरकार है उसमें पेमेंट करने वाला कलेक्टर है और रेकार्ड रखने वाला तहसीलदार है और इसको चेक करने का काम एग्रीकल्चर ऑफीसर का है और हर एक सोचता है कि इस बड़े दूध के हौद में एक घडा पानी का डाल दें तो क्या है? ऐसी स्थिति अगर है तो यह बहुत खतरनाक चीज हो जायगी और इसमें तुरन्त कदम उठाना आवश्यक है।

दूसरी बात रही म्युनिसिपैलिटीज़ की जिसको ढाई लाख का कर्ज दिया जा रहा है।...

श्री बृजसुन्दर शर्मा—५ लाख में से ढाई लाख तो पहले दे चुके हैं, उसके कम्प्लीशन के लिए ढाई लाख और दे रहे हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—पहले दिया जा चुका है उसके अतिरिक्त। इसके सिलसिले में गांवों के बारे में दो राय नहीं हो सकती, म्युनिसिपैलिटियों से सरकार ने बहुत रुपया ले रखा है और उनके साधन-बाधन दबा रखे हैं, पर जहां एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वहां गवर्नमेंट को इतना खर्चा बताने की क्या आवश्यकता होती है? और यह कहां तक ठीक है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसकी अवधि बढ़ाते हो जायं? उसकी मदद करता है तो चुनी-चुनाई बॉडी को मदद करें एडमिनिस्ट्रेटर की आवश्यकता होती है' इसको मैं जरूरी नहीं समझता। जयपुर म्युनिसिपैलिटी के बारे में कहूंगा कि कर्जा दिया जाकर ऑडिट रिपोर्ट के बारे में भी क्या कभी किसी ने जांच पड़ताल की है? अब तक तीसरी ऑडिट रिपोर्ट निकल चुकी है। यदि ध्यान दिया गया हो तो यह मालूम पड़े कि जिसको कर्जा दिया जा रहा है उस बोडी का मेनेजमेंट भी कोई बहतरीन नहीं है। तो कर्ज तो दिया जाय, सी वेज़ वगैरह का काम जितना जल्दी हो उतना ही अच्छा है पर इसको देखभाल और जांच की जाय तभी यह जो पैसे दिये जा रहे हैं वह उपयोग में आयेंगे और वापिस मिलेंगे।

अन्त में मैं यह अर्ज कर दूं कि आज भी वित मंत्री महोदय यह कहने की स्थिति में हैं कि it has been applied for the purpose for which it was given.,

इतना भी हो तो हम यह समझें कि हम एक कदम आगे बढ़ गये। आज भी वे इस स्थिति में नहीं हैं तो एक मयाद मुकर्रर कर दें, ३ महीने की, ६ महीने की, आठ महीने की, ६ महीने की। जितना समय उनको चाहिए उतना मुकर्रर कर दें और उस अवधि के अन्दर अन्दर—फिर यह नहीं कहें कि फाइलें नहीं मिलीं,—पूरी पूरी जांच करके चाहे लेन-देन हिसाब का हो, चाहे वसूली के बारे में व्यवस्था की हो, चाहे इस दृष्टि से हो कि जिस काम के लिये पैसा दिया गया उसके लिये उसका उपयोग हुआ कि नहीं, इसको ठीक जांच करके इसका ठीक हिसाब सदन के सामने दिया जाय।

यही कहते हुए मैं अपना कटौती का प्रस्ताव उनकी सम्मति के लिए और स्वीकृति के लिए पेश करता हूं। इसे स्वीकार कर लें, इससे उनकी गम्भीरता का परिचय मिल जायगा।

श्री श्रीदास गोयल—उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विकास सेवा खण्ड के बारे में कटौती के प्रस्ताव में मेरे माननीय मित्र ने अभी कहा उसके विषय में मैं निवेदन करना चाहता हूँ।

जहां तक तकावी का प्रश्न है कमेटी बनी और ऐसे उपयुक्त व्यक्तियों की बनी कि उसके बनने के बाद भी अगर भ्रष्टाचार चले तो जब कि उसमें इस हाउस के एम. एल. ए. हैं।

Page No.59

[श्री श्रीदास गोयल]

और उन स्थानों के सरपंच हैं तो इन दोनों महारथियों की कमजोरी है, कि दिन दहाड़े उनकी आंखों में धूल डाली जाय और पता तक नहीं चले ।

सवाई माधोपुर विस्तार खण्ड में हमने जहां गिरदावर, कानूंगो और पटवारी की शिफारिश पर निर्णय दिया जाता था वहां हमने यह निर्णय लिया, मौके पर जा कर काश्तकारों से जानकारी की जाय । इससे गिरदावर, पटवारी, कानूंगो जिनकी सिफारिश पर निर्णय होता था वे पश्त हिम्मत हो गये । सर्विसेज़ में भ्रष्टाचार हो उसको भी रोकना है । राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड कहां कहां खोले जाते हैं, दो दफा इस हाउस में भी कहा-सुनी की कि जिस जिले में विस्तार सेवा खण्ड पहले खोले जा चुके हैं वहां अधिक से अधिक खोल कर इस काम को पूरा कर देना चाहिये । इसी हिसाब से खोले गये हैं और वास्तव में हमें विकास की ओर ले जाने वाले हैं । जहां तक कटौती प्रस्ताव का सम्बन्ध है, इस स्थिति में ठीक नहीं है ।

एक बात जरूरी निवेदन कर दूं, जैसा कि मेरा खुद का अनुभव रहा है और बी. डी. ओज़. हैं उनका कहना है कि गरमी की मौसम में भी उनको मीलों पैदल चलना पड़ता है । तो जब तक उनको जीपें नहीं मिल जातीं तब तक काम ठीक तरह से नहीं चल सकता । जिस समय से इस तरह किसानों और आम लोगों से बी. डी. ओज़. ने काम लेना शुरू किया तब से न जाने कलेक्टर उन लोगों से नाराज हो गये जिससे वे हतोत्साह हो गये । इन लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए डिपार्टमेंट की ओर से कलेक्टर साहबान को यह हिदायत दी जानी चाहिये कि इनको हर तरह से सहयोग दें ।

अन्त में मैं यह निवेदन करूं कि विकास सेवा खण्ड और दूसरी बातों के बारे में फंड्स ठीक समय पर खर्च नहीं होते, गत साल मार्च के महीने में निकाला गया और रुपया लेप्स हो गया, इस साल भी यही हाल है और तकावी को जिस वक्त जरूरत हो और जिस वक्त मांग की जाय उसी समय मिल जाय तो यह स्वस्थ तरीका होगा और इससे उचित लाभ भी होगा । जरूरत के समय नहीं दी जाने से उसका कोई मतलब नहीं निकलता ।

जैसा कि मुझे मालूम हुआ है कि अभी जो तकावी विकास खंड द्वारा कुओं के लिए दी जाती है वह बैलों के लिए नहीं दी जाती है । बैलों की किसानों को अधिक आवश्यकता रहती है । साहूकारों से किसान बरबाद होते हैं । इसलिए किसानों की जमीन कुए वगैरह पर जमानत ली जा कर उन्हें यह तकावी दी जानी चाहिए ।

मैं सम्बन्धित मन्त्री महोदय से यह दरखास्त करूंगा कि वे इसके बारे में जांच करें और अगर यह क्लीयर दुरुस्त है तो शीघ्र अधिक जगह अपनाने को तैयार होंगे । यह राजस्थान के लिये हितकार होगी ।

श्री शंभूसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करना चाहता हूँ । सेवा खंड के विषय में मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो राजस्थान में खोले गये हैं वह जनता की आवश्यकता को देखते हुए व जनता की मांग की पूर्ति के लिहाज से जहां पर कि इनकी आवश्यकता बहुत जोरों से महसूस की जा रही है नहीं खोले गये हैं । इस बात के लिए प्रमाण मौजूद हैं कि जो किसान अपना योग विस्तार सेवा खंड को खोलने के लिए देने के लिये तैयार थे और जहां की सब परिस्थितियें विस्तार सेवा खंड खोलने के अनुकूल थीं वहां पर नहीं खोला गया और ऐसे स्थानों पर खोल दिया गया जहां पर माननीय मंत्री महोदय का निर्वाचन क्षेत्र था या किसी नेता का स्थान था । अच्छा होता अगर माननीय मंत्री इस पर भी कुछ प्रकाश डाल देते ताकि यह मालूम हो जाता कि किस किस क्राइटेरिया के आधार पर विस्तार सेवा खंड खोले गये । मुझे याद है कि भारतवर्ष के एक राज्य में ऐसा प्रस्ताव पेश हुआ था कि सामुदायिक योजना के क्षेत्र या राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड ऐसे स्थानों पर खोले जाते हैं जहां किसी मंत्री या नेता का क्षेत्र हो । वहां पर यह राय रखी गई कि बारी बारी सभी सदन के सदस्य मंत्री बना दिये जावें, यदि यही क्राइटेरिया रखा जाता है तो सभी के क्षेत्रों में विकास कार्य हो सके । ऐसी चर्चा एक राज्य में हुई थी । मैं समझता हूँ कि राजस्थान की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए यह ठीक था । भीलवाड़ा में कई तहसीलें हैं जैसे सारड़ा, रायपुर और मांडल; जहां पर सेवा विस्तार खंड खोले जा सकते हैं, मगर सारे भीलवाड़ा डि० में केवल एक मांडल में खोला गया है । भीलवाड़े को बिल्कुल निग्लेक्ट किया गया । मैं समझता हूं कि वहां पर भी कोई प्रभावशाली कांग्रेस नेता होने से इसको दृष्टि में रखा गया और वहां पर सामुदायिक योजना का क्षेत्र खोल दिया गया । बाकी भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जिस तरह से निग्लेक्ट किया गया टेडा रायपुर के प्रतिनिधियों ने इस सम्बन्ध में गुजारिश की कि इसके दोनों तरफ आमेर और हिलमगरा है । क्या वजह है कि वहां पर नहीं खोला गया और कहा गया तो भी कोई ध्यान नहीं दिया गया ? इसलिए माननीय परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा और उसमें दलीलें दी हैं वे सर्वथा वाजिब थीं और इसीलिए मैं समझता हूँ कि सेवा विस्तार खंड उचित स्थानों पर नहीं खोले गये ।

श्री जगनसिंह झाला—माननीय उपाध्यक्ष, मैं भी परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसके सम्बन्ध में कुछ अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं । मैं अपने चित्तौड़ जिले की जानकारी के सम्बन्ध में अर्ज करूंगा । वहां पर दो विस्तार सेवा खंड खोलने की आज्ञा हुई । मगर दोनों ही सेवा खंड कांग्रेस की तरफ से आने वाले सदस्य की कोन्स्टीट्यूएन्सी में खोले गये । मैं समझता हूं कि इस तरह से पार्टी बाजी नहीं होनी चाहिये । न केवल चित्तौड़ में बल्कि उदयपुर में ऐसे कई स्थान है जहां पर केवल कांग्रेस सदस्य जो सदन में आये हुए हैं उनको प्रसन्न करने के लिए उनके क्षेत्रों में खोल दिये गये हैं । मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि कपासन और बड़ी सादड़ी जो पांच तहसीलों की बनी हुई है वहां पर काफी सामग्री इसके लिए मौजूद थी और कई दफा लोगों ने इसके लिए एप्लीकेशन्स पेश हुईं, मगर कोई ध्यान नहीं दिया गया । इसलिये यह स्पष्ट है कि विकास खंड अपने मित्रों के क्षेत्र में ही खोले गये हैं ।

[श्री जगतसिंह झाला]

इसलिये मैं श्री चांदमल के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इन बातों पर सरकार को ध्यान देना चाहिये। यह स्पष्ट हैं कि केवल उसी जगह पर सेवा खंड खोले गये जहां पर कांग्रेस के सदस्य हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास—श्री चांदमल मेहता भी कांग्रेस से आये हुए हैं।

श्री जगतसिंह झाला—मैं उदयपुर डिविजन और खास तौरसे चितौड़ के बारे में कहूंगा कि जो लोग विरोधी दल से आये हैं उनके क्षेत्र में कोई विस्तार खंड नहीं खोला गया जैसे बेगू और प्रतापगढ़ आदि। हमने विकास खंड के लिये जो रकम खर्च की जाती है उसके लिये बात-चीत की और बताया कि विकास खंड में अनुपात से रकम खर्च होनी चाहिये, और अगर आप उस अनुपात से खर्च नहीं करते हैं और जान-बूझ कर आप इस तरह से करते हैं तो यह प्रजातन्त्र के लिए घातक सिद्ध होगी, बस में इस तरफ आपका ध्यान आकर्षक करना चाहता हूं कि सेवा खंड में अनुपात से रकम खर्च की जावे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मन्त्री)—माननीय उपाध्यक्ष, सबसे पहले मैं हमारे माननीय मित्र जो परबतसर से आये हैं और जिन्होंने अपने विचार प्रकट किये हैं उसके विषय में जवाब देना चाहूंगा और यह कटौती का प्रस्ताव रखा है कि यह नेशनल एक्सटेन्शन ब्लॉक और कोम्युनिटी प्रोजेक्ट खोले गये हैं। उनका कोई आधार नहीं हैं और वह मर्जी आवे वहां और मिनिस्टरों की कोन्स्टीटुएन्सी में खोले गये हैं। दूसरे माननीय सदस्य ने जिन्होंने उनका समर्थन किया है उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जहां पर कांग्रेस के सदस्य हैं, वहीं पर खोले गये हैं और बाकी के स्थानों पर नहीं खोले गये। इसके लिए तो एक निश्चित क्राइटेरिया है कि जहां पर जिस प्रकार की सुविधाए होती हैं उनको देखते हुए उनके अनुसार यह विस्तार सेवा खंड खोल दिये जाते हैं। इसके लिए कई दफा इस सदन में भी इसका जिक्र आ चुका है कि जगह ऐसी होनी चाहिये कि जहां जहां सहयोग की भावना लोगों की हो, जहां सिंचाई के साधन हों, जमीन अच्छी हो। अभी इस साल में जो विस्तार खंड खोले गये हैं वे इस बात को ध्यान में रख कर खोले गये हैं कि। जहां पर विस्तार खंड नहीं थे वहां पर एक एक विस्तार खन्ड खोलदिया जावे। कम से कम हमारे जिले में एक खोल दिया गया है, जयपुर में पहले से खोल दिये गये और अब इसमें ज्यादा नहीं खोले गये। तो इसमें कोई इसलिए नहीं कि दूसरे जिलों में भी जगह कुछ भी नहीं थी वहां खोले जाने आवश्यक थे। लेकिन अब मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि आयन्दा पंचवर्षीय योजना में सब जगह यह विस्तार खंड खोले जाने की योजना है और निश्चित प्रकार की यह योजना बना ली गई है जिसमें करीब १५४ विस्तार खंड अगली पंचवर्षीय योजना में खोले जायेंगे और उनका अब से प्रोग्राम बना लिया गया है और वह निश्चित आधार पर ही कायम की गई है और आयन्दा आपकी फरमायश है उसका ध्यान रखा जावेगा और यह कहना कि कांग्रेस क्षेत्र में खोले जाते हैं तो इसके लिए तो मैं यह कहूंगा कि ११५ कांग्रेस वाले हैं और जहां भी खोले जावेंगे तो वे कांग्रेस वालों के क्षेत्र में ज्यादा

[श्री ब्रजसुन्दर शर्मा]

ही आपको दिखाई देंगे। इसलिये हर एक जिले में विस्तार खंड खोले जाना आवश्यक है और इसको आवश्यक समझा गया और इस तरह से ऐसा किया गया है। इसके लिये एक निश्चित योजना बना ली गई है और आयन्दा उस योजना के अनुसार ये सारे के सारे विस्तार खण्ड खोले जावेंगे।

हमारे दो माननीय सदस्यों ने इस बारे में कहा, उसके विषय में भी मैं निवेदन करूंगा कि आपकी जो सूचना है और जो सुझाव हैं उन पर भी विचार किया जा सकता है और उन पर भी आयन्दा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे।

दूसरा जो कटौती का प्रस्ताव बड़े जोर से रखा गया है हमारे माननीय परबतसर से आने वाले सदस्य के द्वारा, माननीय परबतसर से आने वाले सदस्य ने तकाबी के बारे में बताया। जहां तक मेरी सूचना है, उस सम्बन्ध में अभी मैंने माननीय मुख्य मन्त्रीजी से भी पूछा और माननीय राजस्व मंत्रीजी भी यहां हैं, वास्तविक स्थिति यह थी कि गांव डूबने की इन्फोर्मेशन ऐसी आयी थी कि गांव डूब गया है, लोगों के पास खाने-पीने को नहीं है और जब यह इन्फोर्मेशन आयी तो कलेक्टर खुद गये और वे अपने साथ एक हजार का चेक भी लेते गये। जब उन्होंने वहां जाकर मालूम किया तो पता चला कि गांव तो नहीं डूबा है, मुश्किल से दस बीस झोंपड़े हवा ज्यादा होने से गिर पड़े थे और उसके लिए सौ दो सौ रुपये रीलिफ के लिए दे दिये। मैंने यह भी दर्याफ्त किया कि ऐसी कौनसी दरख्वास्त आयी जिस पर कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने लिखा, माननीय मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि दरख्वास्त नहीं आयी।

श्री चांदमल मेहता—तो क्या माननीय मुख्य मंत्रीजी के पास ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं आयी?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैंने पूरा सुना नहीं? गांव डूब जाने से कम्पेन्सेशन देने वाली दरख्वास्त की ही बात है ना?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं। एक दरख्वास्त आयी। अगर कोई बात हो तो बता दें।

श्री चांदमल मेहता—माननीय मंत्रीजी का पूरा जवाब मिल जाय, उसको मैं सुन लूं। दुबारा जब मैं जवाब दूंगा तब बता दूंगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—आपने अपने भाषण में यह कहा था कि एक दफा माननीय मुख्य मंत्रीजी को सूचना दी गई और मुख्य मंत्रीजी ने एक हजार का चैक दिया, वहां पर बीज आदि के लिए तत्परता दिखाई और दूसरी दरख्वास्त जब कम्पन्सेशन के लिए...।

श्री चांदमल मेहता—उसके बाद मैंने अपने भाषण में दूसरी अर्जी की चर्चा नहीं की, सिर्फ एक ही अर्जी की चर्चा की थी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अगर सिर्फ एक ही अर्जी की बात है तो मेरा निवेदन है कि उस विषय में कलेक्टर ने रिपोर्ट की हैं। गांव ही नहीं डूबा है तो तकावी देने की बात ही पैदा नहीं होती। रिलीफ के लिये दरख्वास्त दी गई और एक हजार रुपया भेज दिया गया। एक हजार वहां खर्च भी नहीं हुए। कलेक्टर ने रिपोर्ट दी कि गांव नहीं डूबा है, केवल दस बीस झोंपड़े गिर पड़े थे।

तकावी के लिए कहा गया कि इतना भ्रष्टाचार है। उसका जवाब तो माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने दे दिया। कमेटी ऐसी बना दी गई है और यह भी हिदायत दे दी गई है कि तहसीलदार मौके पर जाकर तकावी का वितरण करें, तो फिर किस तरह से भ्रष्टाचार का प्रश्न पैदा होता है और अगर माननीय सदस्य बतावेंगे कि फिर भी भ्रष्टाचार है क्योंकि मजमें जाकर तहसीलदार तकावी का फैसला करता है और फिर किस तरह से भ्रष्टाचार होता है, वहां तहसीलदार बैठता है, तहसीलदार के अलावा कमेटी के मेम्बर साहबान हैं वे फैसला करने वाले होते हैं; इस पर भी अगर ऐसी चीज़ होती है और उसके लिये इन्स्टान्स देंगे तो सहूलियत की जा सकती है।

श्री मुक्तिलाल मोदी—दो-दो महीनों में तहसीलदार बदल जाते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—तहसीलदार बदल जाते हैं तो कुर्सी थोड़े ही खाली पड़ी रहती है, दूसरा आ जाता है।

तकावी के विषय में मुझे इतना ही निवेदन करना है कि हरवक्त यह सहूलियत दी जाने की कोशिश की जाती है और यह बात मैं मानता हूँ कि काश्तकार के पास जितना जल्दी से जल्दी हो सके रकम पहुँचे और इसीलिए यह सिस्टम जारी किया गया है कि तहसीलदार खुद जाकर तकावी वितरण करे और कमेटी के मेम्बर देखें और यदि फिर भी भ्रष्टाचार होता है, जब कि कोई कारण नहीं मालूम पड़ता भ्रष्टाचार होने का, लेकिन अगर फिर भी भ्रष्टाचार होता है तो यदि माननीय सदस्य बतावेंगे तो उसको दूर करने की कोशिश की जायगी।

("बैलों के लिये" ऐसी आवाज)

बैलों के लिये बहुत मामूली सी रकम होती है और यह आवश्यक नहीं है कि हर एक बैल के लिए तकावी ले, फिर घास के लिए ले। अगर वास्तव में फेमीन की परिस्थिति होती है, या बैलों में कोई डीज़ीज़ होती है जिससे कि बैल मर जाते हैं तो ज्यादातर देते हैं। वैसे आम तौर पर ज्यादा इसके लिये तकावी की आवश्यकता नहीं है।

उसके बाद जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव रखा है और कई सुझाव दिये हैं। पहले भी जब एक्सेस ग्रान्ट का सवाल आया था तब और जोरदार तकरीर की। मैंने

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

कहा था कि हम स्थिति को सुधारना चाहते हैं। उसके बाद माननीय मित्र इस बात को मन्जूर करते हैं कि कुछ तो हुआ। कहीं नहीं हुआ है तो हो सकता है कि कहीं कमी रह गई हो। लेकिन जो हमने कोशिश की है उसका दिग्दर्शन कराना चाहता हूँ।

दिक्कत यह थी कि रेवेन्यू अकाउन्ट्स के लिए तहसीलों में क्लर्क्स नहीं थे। रजिस्टरों को तैयार करने या ठीक तरह से फाइल रखना या वे काम की ज्यादती से मुकम्मिल नहीं हो पा रहे थे और जब यह बात आई तो कलेक्टर की कान्फ्रेन्स में यह तय किया गया कि हर एक तहसील में अकाउन्ट्स क्लर्क्स मुकर्रर कर दिये जांय। उसके बाद रेवेन्यू अकाउन्टेन्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में मुकर्रर कर दिये गये और उस कार्य को तरतीब कराया जा रहा है, और बहुत सारी जगह किये भी जा चुके हैं उसके लिये हमारे पास स्टेटमेंट आते हैं क्योंकि कलेक्टर्स को हमने कह दिया था कि जैसी भी परिस्थिति हो उसकी सूचना हमको मिलती रहनी चाहिये, हो सकता है कि किसी पर्टीकुलर जगह पर नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए बतावें और जैसा कि आपने बताया दो क्लर्क कलेक्टर के दफ्तर में काम कर रहे हैं और तहसील में नहीं पहुँचे हैं। उनका नाम आपने नहीं बताया, फिर बता देंगे। पहले भी मैंने कहा था कि मैं स्वयं इस बात के लिये पर्टीकुलर हूँ कि स्टेटमेंट होने चाहिए, हमें पोजिशन मालूम होना चाहिये कि कितना कर्जा बकाया है, कितनी कितनी किश्तें ड्यू होती हैं, रजिस्टर्स जारी हो चुके हैं, किस तरह और किस फार्म में होने चाहिए उसके लिए भी हिदायतें जारी करदी गई थीं और आगे आने वाले समय में जब यह प्रश्न खड़ा होगा तो माननीय सदस्य विश्वास करेंगे कि वह सब अकाउन्ट्स व तरतीब हो जावेंगे और यदि नहीं होते हैं, किसी पर्टीकुलर केस में नहीं होता है तो कोई वजह होगी और वजह भी न हो और फिर भी नहीं होते हैं तो उसके खिलाफ एक्शन लेने में हिचकिचाहट नहीं होगी?

तो अकाउन्ट्स का जहां तक ताल्लुक है हम सोये नहीं हैं। माननीय सदस्य को यह मालूम होता है कि सब सोते रहते हैं और जागते वे ही हैं जो कि जोर २ से बोले, वे ही सोते रहते हैं कि जिनको जोर से बोलना आता नहीं। तो मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिला दूं कि हम सो नहीं रहे हैं।

तो मैं इस विश्वास के साथ हमारे माननीय मित्र, सारे कटमोशन के लिए तो मैं नहीं कहता, इस सम्बन्धी जो कटमोशन है वह तो वापिस लेंगे ही।

श्री चांदमल मेहता--उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसके सम्बन्ध में जो जवाब दिया गया है उससे मुझे पूर्णतया सन्तोष नहीं होता। सिर्फ यह कह कर कि अगली पंचवर्षीय योजना के लिये हमने एक निश्चित योजना बनाली है राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड खोलने की। अभी तक अगली पंच वर्षीय योजना के शुरू होने में काफी समय है। हमें यह भी नहीं बताया गया कि क्या क्राइटेरिया रखा गया है? इस बारे में भी प्रकाश नहीं डाला गया और न यह

[श्री चांदमल मेहता]

बतलाया गया कि वित मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री महोदय दोनों श्रीमानों की ओर से किशनगढ़ सब डिवीजन के बारे में वे ज्यादा जानते हैं सरवाड़ के बारे में वे अधिक जानते हैं वे यह जवाब देते कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड खोलने की दृष्टि से यह पीछे रहा है तो भी मैं यह मान लेता कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड खोलने का उसूल ठीक है। लेकिन यह नहीं कहा क्योंकि उनकी आत्मा मानती है कि वहां की मांग वाजिब है। यह कहा नहीं कि किस मामले में वह पीछे है। मैं यह मानकर चलता हूँ कि जिस प्रकार प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो नीति अमल में लाई गई वह द्वितीय पंच वर्षीय योजना में इस प्रकार की बात नहीं होगी और जो सुझाव दिये गये हैं उसके मुताबिक एक लिस्ट बनाली जायगी और उसको पब्लिश किया जायगा और जो कुछ ओब्जेक्शन होंगे वे लिये जायेंगे; उसके बाद उनमें आगे पीछे भी किया जा सकता है और उसी आधार पर दूसरी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड खोले जायेंगे, इसी आशा के साथ मैं अपना पहला कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

दूसरे कटौती के प्रस्ताव में जो बातें मैंने कहीं उनको जवाब देना माननीय मंत्री महोदय भूल ही गये सिवाय इसके कि जो वितरण कमेटी है उसमें सभी सदस्य सरपंच तहसील पंचायत के तहसीलदार भी हैं। मैं वित्त मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब कोई फैसला करना होता है या किसी को तकावी देनी होती है तो तीनों कमेटियों के सामने आती है लेकिन किसकी अर्जी आई और किस अर्जी पर क्या कार्यवाही हुई ये बातें कमेटी के सामने नहीं रखी जातीं...

श्री बृजसुन्दर शर्मा—सारी अर्जियां उन्हीं के सामने पेश होती हैं।

श्री चांदमल मेहता (जारी)—मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि एक निश्चित तारीख हो और जिस तारीख पर मीट होंगे और उसी तारीख को यह पेश होगी; इस प्रकार का कोई निश्चित प्रोग्राम नहीं सेट किया जाता है।

दूसरी बात यह कही गई कि तकावी मौके पर जाकर वितरण की जाती है। किशनगढ़ सब डिवीजन में एक भी ऐसा मौका नहीं आया...

श्री हरिकृष्ण व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, वे सिरोंज की बातें कहते थे।

श्री चांदमल मेहता—(जारी रखते हुए) मैं यह निवेदन कर रहा था उपाध्यक्ष महोदय, कि किशनगढ़ सब डिवीजन में एक भी ऐसा मौका नहीं आया जिसमें तीन आदमियों की कमेटी ने मिल कर ऋण दिया हो। इस बारे में मैं एक मुख्य बात अर्ज कर दूं कि तीन आदमियों की कमेटी ने मिल कर ऋण दिया, यह बात किस हद तक सही है। मैं इस सम्बन्ध में सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण बात की ओर आकर्षित करूंगा। जो तकावी दी जाय वह निश्चित तारीख तक उन व्यक्तियों को मिल जानी चाहिये। एक महिने पहले प्रार्थनापत्र इसके लिए आमन्त्रित कर लिये जाने चाहिए ताकि कमेटी उन पर विचार कर सके कि किन किन के प्रार्थनापत्र आये हैं और उन पर विचार कर

[श्री चांदमल मेहता]

सकते हैं। इसके बारे में माननीय मंत्री महोदय ने ख्याल नहीं किया। मैं यह मान कर चलता हूँ कि शायद माननीय मंत्री महोदय मुझे फोलो नहीं कर पाये होंगे या वे आयन्दा के लिए व्यवस्था करेंगे। इसके लिये यह बहुत जरूरी है जैसा कि मैंने अपने कट मोशन में निवेदन किया कि पहले तकावी उन लोगों को मिलनी चाहिये जो खुद हाथों से काश्त करते हैं। जो दूसरों से काश्त करवाते हैं उनको प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिये। इस बारे में भी वित्त मंत्री महोदय ने कोई जवाब नहीं दिया...

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जो बातें उचित होती हैं उनका जवाब देने की आवश्यकता नहीं रहती है।

श्री चांदमल मेहता—तो जिन बातों के बारे में जवाब नहीं दिया गया क्या वे सारी की सारी सही मान ली जाती हैं और आयन्दा इन बातों का ध्यान रखा जायगा। इसी आधार पर मैं अपना दूसरा कटौती का प्रस्ताव भी वापिस लेता हूँ।

जहां तक तीसरे कटौती के प्रस्ताव का ताल्लुक है उसके बारे में जो कुछ वित्त मंत्री महोदय ने जानकारी दी वह ऐसा लगता है कि उनके इस संबंध में सही जानकारी नहीं। इस बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो कुछ भी उनको जानकारी दी गई है वह गलत जानकारी दी गई है। एक हजार रुपये का चैक सैंक्शन हुआ था उसमें २२५ रुपये बांट दिये गये, यह जो वित्त मंत्री महोदय ने कहा उसके लिये मेरा यह निवेदन है कि उस एक हजार के चैक में से एक भी पैसा नहीं बांटा गया तो वह रुपया सरकारी अधिकारियों के जेब में गया होगा, मैं खुद मौके पर गया था...

श्री बृजसुन्दर शर्मा—कुछ घर डूबे थे, गांव का गांव नहीं डूबा था, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री चांदमल मेहता—(जारी रखते हुए) उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करता। मैं खुद अपनी कोन्स्टीच्यूएन्सी के बारे में पूरी जानकारी रखता हूँ और मौके पर जाकर बात को पक्की करता हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय सदस्य की कोन्स्टीच्युएन्सी कौन सी है ?

चांदमल मेहता—मैं अपनी दोनों कोस्टीच्युएन्सी मानता हूं, परबतसर और किशनगढ़।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो श्री पूज्य व्यासजी का क्या होगा ?

श्री चांदमल मेहता (जारी)—मैं यह निवेदन कर रहा था कि गांव मरोगला के जितने घर थे वे सारे के सारे इस तालाब के पानी के डूब में आ गये। वे इस पानी के तालाब की वजह से डूबे

[श्री चांदमल मेहता]

हैं, एक घर भी अछूता नहीं रहा। मेरा इस बात का चेलेन्ज है कि वहां एक भी मकान मौजूद नहीं है। जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि कुछ घर डूब गये थे, सारी बातें गलत हैं। उनकी काश्त बिल्कुल नहीं रही सारी की सारी काश्त डूब गई। इसके बाद भी सरकार यह समझती है कि उनको सहायता देना आवश्यक नहीं। ऐसे लोगों को तकावी देना आवश्यक है ? आखिरकार तकावी किसके लिये है ? जिनके मकान गिर गये, ऐसे आदमी जिनकी फसल डूब गई, उनको तो तकावी देने की बात नहीं तो किस आधार पर यह दी जाती है इसके लिए एक आधार जरूर हो सकता हैं और वह यह कि जिस बात का जवाब न दिया जाय उसको सही मान लिया जाय।

इस बारे में अभी अभी मुख्य मंत्री महोदय ने जिस बात की चर्चा कर दी थी, उसका भी जिक्र यहां कर देना उचित होगा। मरोगला गांव के निवासियों ने एक प्रार्थना पत्र लिखा और वह प्रार्थना पत्र लेकर सरपंच और पंच यहां आये और मुख्य मंत्री से मिले, उन्होंने उस समय यह मांग नहीं की कि हमको आप राहत के लिये पैसा दें। हमारे पास बिल्कुल चारा नहीं है मवेशियों को चराने के लिये क्योंकि सारा कस्बा ही पानी में डूब गया, पैसा दिया जाय केवल चारा खरीदने के लिये और मकान बनाने के लिए। मुख्य मंत्री ने उनके साथ उदारता दिखाई कि प्रार्थना पत्र में इस बात का भी उल्लेख भी नहीं था, कि फिर भी उन्होंने राहत दिलवाना आवश्यक समझा और उन्होंने एक हजार रुपये का नोट इस काम के लिये दिया था, लेकिन उस घटना के कुछ समय बाद सार्वजनिक निर्माण मंत्री जो पहले थे जो आज स्वास्थ्य मंत्री हैं और स्वास्थ्य शासन मंत्री हैं, फतेहगढ़ जा चुके हैं, जिस वक्त फतहगढ़ गये वहां उनसे किसानों ने निवेदन किया। मैं भूल नहीं करता तो एक प्रार्थना पत्र भी उनकी सेवा में भेंट किया गया और इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया गया कि इस तरह की घटना घटी है, कि मुख्य मंत्री महोदय ने चैक दिया वह उनको मिला नहीं। तो उस समय माननीय मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि इस बारे में जानकारी की जायगी और जिसको दोषी पायेंगे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाया जायगा और मैं जो कुछ बातें कह रहा हूँ, वह गलत हो तो मैं खुद सजा पाने के लिये तैयार हूं। मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं, कि आप मेरे साथ चलिये जो कुछ मैं कह रहा हूं, उसकी जांच करिये। यह बात क्यों हुई, इसका कारण यह था कि यह शिकायत आई, वह पंचायत के मारफत आई, वहां की पंचायत ने समझा की इसकी कार्यवाही जरूर होनी चाहिये। उन्होंने सोचा अगर रूटिन में इसको डाल दिया गया तो बहुत वक्त लग जायगा। वे तहसीलदार के पास नहीं गये, न एस० डी० ओ० के और न कलेक्टर के पास ही पहुँचे।

बस यह एक ऐसी बात थी जिससे जल उठे वे सब अधिकारी, कलक्टर, तहसीलदार और एस. डी. ओ. आदि। वे सब मिल कर कोई सहायता उनको केवल इस वजह से नहीं देना चाहते कि हम सीधे मिनिस्टर साहब के पास क्यों पहुँच गये, हम पहुँचे केवल और इस इरादे से कि वैसे इनके मार्फत जाने में सारा मामला रूटीन में पड़ जावेगा, रैड टैपिज़्म ही रह जावेगा और ऊपर जाने से मामले

Page No.68

[श्री चांदमल मेहता]

में तुरन्त कुछ कार्यवाही हो जावेगी। अगर वे कहते हैं कि ऊपर सीधे क्यों गये तो मैं कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे हैं, जनता के हैं, और हमें हक हैं, कि जल्दी राहत पाने की दृष्टि से उनके पास पहुँचें। पर इस तरह को जो बीच में कार्यवाही की जा रही है, वह नहीं की जानी चाहिये। इस तरह की राहत अगर आप उनको नहीं देना चाहते तो मत दीजिये, तकावी तो उनको दीजिये। तकावी पाने के तो वे हकदार हैं। मुख्य मंत्री महोदय की आज्ञा की भी आज्ञा की तवज्ञा की गई तो उस पर मैं अन्दाज लगाता हूं कि क्या उस वक्त तक उन्हें इन्तजार करना पड़ेगा, तब तक सर्वथा दूसरी स्थिति हो जावेगी।

मैंने पहले प्राथमिकता देने की बात का भी जिक्र किया, पर उत्तर में प्राथमिकता दी जावेगी, इसका कोई जिक्र नहीं हैं। तो मैं नम्रता से निवेदन करूंगा कि ऐसे मामलों में तो आप सोचें, और कम से कम इनको तकावी तो दीजिये बैलों के लिये, कुओं के लिए, खेती के लिये। तो जिनकी सारी जमीन डूब गई, उनको तकावी तो देनी ही चाहिये। तो इस पर मैं उम्मीद करूंगा कि निश्चित रकम तकावी के लिए यह अवश्य देंगे और जल्दी से जल्दी तकावी वितरण की जावेगी। इसलिये मैं अपना तीसरा कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री)—अभी मेरे पूर्व माननीय सदस्य जो बोल रहे थे और उन्होंने जो कुछ कहा, उसके सम्बन्ध में मुझे यह तो निश्चित तौर से याद है कि पंचायतों के कुछ प्रतिनिधि और कुछ किसान और माननीय सदस्य मेरे पास आये थे और एक हजार रुपये तत्काल रिलीफ के लिए सैंक्शन किया गया और इसके अलावा मुझे ऐसा याद आता है कि यह भी बताया गया था कि इरिगेशन डिपार्टमेंट ने पहले वहां गांव डूब में आयगा या नहीं, यह पहले से नहीं बताया और बाद में अचानक पानी फैलने से गांव डूब गया और इस कारण से वहां के लोगों को काफी दिक्कतें पैदा हो गई हैं, तो कम्पेन्सेशन की बात भी उस आदेश के अन्दर मैंने लिखी थी, कि जिनके घर इस कारण से डूब में आ गये हैं, उनकी वाजिब कम्पेन्सेशन भी दिया जाना चाहिये। अब जब आपने जिक्र किया तब मुझे याद आया कि इसके सम्बन्ध में जो जयपुर के कलेक्टर हैं, उन्होंने ने भी यह रिपोर्ट की थी बीच में कि वे स्वयं उस गांव में गये थे और वहां पर सौ दो सौ रुपयों के आसपास कुछ रुपये जिनको बहुत आवश्यकता थी उनको दे दिये हैं, पर इससे ज्यादा रुपया देना उनकी राय में आवश्यक प्रतीत नहीं होता हैं, तो क्या किया जावे ? इसके बाद मैंने कहा, कि आवश्यकता नहीं हो तो रुपये दे दिये जावें यह जरूरी नहीं। अगर आवश्यकता हो, तो दिये जाने चाहिये। अब प्रश्न करने पर मैंने अपनी जानकारी तेज करने के लिए पुछवाया, तब भी वही बात मेरे सामने आई है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय उपाध्यक्ष, जो भी सदन के अन्दर मैं सूचना दूं वह उचित होनी चाहिये और माननीय सदस्य भी अगर जो सूचना दें वह भी उचित होनी चाहिये। अगर कोई अधिकारी हमें गलत सूचना देता हैं, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उनका पक्ष लेने का प्रश्न नहीं है। अगर वे गलत हैं और अगर वे गलत सूचना देते हैं और जो माननीय सदस्य कहते हैं, उससे वह मेल नहीं खाती और भ्रम में डालने वाली हो, तो मैं निवेदन कर

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

देना चाहता हूँ, कि इस सदन में जो सर्वोपरि स्थान रखता है, माननीय सदस्य की किसी भी बात को हम टालने के लिए कोई गलत बात कहना चाहते हैं, यह कतई हमारे सामने लक्ष्य नहीं है और अगर जो वे इतना जोर से कहें तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, कि अच्छा यह हो कि जो कमिश्नर यहां के हैं वे और माननीय सदस्य स्वयं उस स्थान पर जावें और मैं इसके लिए इन्तजाम कर दूंगा एक-दो रोज में। वास्तविक जानकारी वे प्राप्त करें वहां और फिर इसकी रिपोर्ट दें और अगर वे गलत हैं तो उन्हें अपनी गलती मानने के लिए तैयार रहना चाहिये और अगर हमारे अधिकारी की सूचना गलत है तो हमें गलत सूचना देने के लिए हम उसे सजा देंगे और आवश्यक कार्यवाही करेंगे। इसमें किसी प्रकार का किसी का पक्ष लेने का और माननीय सदस्य को कहने का हमारे सामने कतई लक्ष्य नहीं है, यह आप विश्वास रक्खें।

("हियर हियर" की आवाज)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है....

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय की भावना और उनके सहयोग पूर्ण लहजे को खयाल में रखते हुए मैं सदन से अपने कटौती प्रस्ताव को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूँ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—अब समझ में आया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—I always respect...

श्री मोहनलाल सुखाडिया—आज कल जल्दी जल्दी समझ में आता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—पर उधर फिर भी कई बार कमजोरी रह जाती है।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो कटौती के प्रस्ताव श्री चांदमल मेहता ने प्रस्तुत किये उन्हें वे वापिस लेना चाहते हैं; क्या सदन की यह अनुमति है कि उन्हें अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति दी जावे ?

(स्वीकृति)

अनुमति दी गई।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपने तीनों कटौती के प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—जो कटौती का प्रस्ताव श्री हरिकृष्ण व्यास ने प्रस्तुत किये वे उसे वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहते हैं, क्या उन्हें वापिस लेने की अनुमति दी जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अनुमति तो बहुत चुपके चुपके दी, पर मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो मांग संख्या ६६ श्री बृजसुन्दर शर्मा ने प्रस्तुत की उसे स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही समाप्त की जाती है। कल प्रातः साढ़े आठ बजे हम फिर मिलेंगे।

[रात्रि के आठ बज कर आठ मिनिट पर सदन की कार्यवाही कल दिनांक १ दिसम्बर, १९५५ को प्रातः साढ़े आठ बजे तक के लिये स्थगित हुई]

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक-३० नवम्बर, १९५५

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

[तारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सम्बन्धित प्रश्नकर्ताओं की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये तथा जिनके प्रकाशित कराने की सम्बन्धित मंत्री महोदयों की अनुमति है] ।

४६. (१७/एम. एल. एम.) श्री भोपालसिंह एम. एल. ए. डिविजन नं० २०:—क्या स्वागत शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या भिडासरी तहसील डीडवाणा में पंचायत के चुनाव हो चुके हैं ?

(ख) क्या वहां के पंचों और सरपंच की शपथ हो चुकी है?

(ग) अगर हां, तो किस तारीख को ?

(घ) क्या चुनाव के कागजात गुम कर दिये गए थे ।

(ङ) यदि हां, तो किसने और क्यों ? क्या कोई जांच की गई है ?

उत्तर

(क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) ६.११.१६५५.

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

४८. (२०/एम. एल. एम.) श्री प्रभुदयाल, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ११६:—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या राजगढ़ नगरपालिका (जिला चुरू) के दो सदस्यों को आचरण भ्रष्ट व अधिकारों के दुरुपयोग के आरोप पर ७ दिन में हटाने का नोटिस दिया गया था ?

(ख) यदि हां, तो उन्हें अब तक नहीं हटाने का क्या कारण है ?

उत्तर

(क) जी हां।

(ख) ये सदस्य अपना जवाब पेश करने के पूर्व कुछ कागजात को देखना चाहते हैं। वे कागजात सचिवालय में थे जो उनको दिखाये जाने के लिए भेज दिये गए हैं। सदस्यों का जवाब प्रस्तुत होने के पश्चात् नियमानुसार आगे की कार्यवाही की जावेगी।

५१. (२२/ए. टी. एम.) श्री गुरदयालसिंह संधु, एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर ४६:— क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) भाखरा केनाल पर कितने ट्रेक्टर खरीदे गये? क्या ट्रेक्टर खरीदते समय ठेकेदारों से उनके टेन्डर लिए गये थे?

(ख) क्या यह सच है कि उन ट्रेक्टरों की कीमत मार्केट रेट से ज्यादा है?

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की जांच करायेगी?

उत्तर

(क) भाखरा केनाल पर कुल अब तक ३६ ट्रेक्टर खरीदे गये हैं। यह ट्रेक्टर कम्पनियों से स्पेसिफिकेशन्स (Specifications) के मुताबिक टेंडर लेकर खरीदे गये हैं।

(ख) नहीं।

(ग) (क) और (ख) के उत्तर ध्यान में रखते हुये यह प्रश्न नहीं उठता।

अगर कोई विशेष शिकायत हो तो सरकार जरूर जांच करायेगी।